Postal Reg. No.GDP -45/2020-2022

अल्लाह तआला का आदेश

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

(शूरा : 39)

(अनुवाद) : और जो कोई अपने रब की आवाज़ पर लबैक कहते हैं और नमाज़ कायम करते हैं। और उनका मामला आपसी सलाह-मशवरे से तय किया जाता है और उसमें से जो हमने उन्हे प्रदान किया खर्च करते हैं ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

वर्ष- 9
अंक-7-8

साप्ताहिक क़ादियान

बदर

Weekly BADAR Qadian HINDI

मूल्य
600 रुपए
वार्षिक

संपादक
शेख़ मुजाहिद अहमद

उप संपादक
सय्यद मुहियुद्दीन फ़रीद

4-11 शाबान 1445 हिज्री कमरी, 15-22 तब्लीग़ 1403 हिज्री शम्सी, 13-20 फ़रवरी 2025 ई.

अख़बार-ए-अहमदिया

रूहानी ख़लीफ़ा इमाम जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज सकुशल हैं। अलहम्दो लिल्लाह। अल्लाह तआला हुज़ूर को सेहत तथा सलामती से रखे तथा प्रत्येक क्षण आप पर अपना फ़जल नाज़िल करता रहे। आमीन

मुस्लेह मौऊद के विषय में भविष्यवाणी

हज़रत मसीह मौऊद व महदी मा'हूद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

ख़ुदा-ए-रहीम व क़रीम(وَاِعْلَامِهٖ عَزَّوَجَلَّ)व ऐलामेही अज़्ज़ा-व-जल (بِاِلْهَامِ اللّٰهِ تعالیٰ) ब-इल्हामेही तआला मुझ को अपने इल्हाम से(جَلَّ شَانُهٗ وَعَزَّ اسْمُهٗ)बुज़ुर्ग व बरतर ने जो हर चीज़ पर कादिर है जल्ला शानोहू व अज्ज़ा इस्मोहु सम्बोधित करके फ़रमाया कि मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ उसी के अनुसार जो तूने मुझसे मांगा अतः मैंने तेरी ज़रूरियात को सुना और तेरी दुआओं को अपनी रहमत से बापाया ए कुबलियत जगह दी और तेरे सफ़र को जो होशियारपुर और लुधियाना का सफ़र है, तेरे लिए मुबारक कर दिया। सो कुदरत और रहमत और कुरबत का निशान तुझे दिया जाता है। फ़ज़ल और एहसान का निशान तुझे अता होता है और फ़तह और ज़फ़्फ़र की कलीद तुझे मिलती है। ऐ मुज़फ़्फ़र तुझ पर सलाम ख़ुदा ने यह कहा ता वे जो जिन्दगी के खवाहां हैं मौत के पंजा से निजात पावें और जो कबरों में दबे पड़े हैं बाहर आवें और ता दीन-ए-इसलाम का शरफ़ और कलामुल्लाह का मरतबा लोगों पर ज़ाहिर हो और ता हक अपनी समस्त बरकता के साथ आ जाए और बातिल अपनी समस्त नहूँसतों के साथ भाग जाए।

और ता लोग समझे कि मैं कादिर हूँ जो चाहता हूँ करता हूँ और ता वे यकीन लाएँ कि मैं तेरे साथ हूँ और ता उन्हें जो ख़ुदा के वजूद पर इमान नहीं लाते और ख़ुदा और ख़ुदा के दीन और उसकी किताब और उसके पाक रसूल मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को इंकार और तकज़ीब की निगाह से देखते हैं एक खुली निशानी मिले और मुजरिमों की राह ज़ाहिर हो जाएं ।

सो तुझे बशारत हो कि एक वजीह और पाक लड़का तुझे दिया जाऐगा एक ज़क्की गुलाम (लड़का) तुझे मिलेगा। वह लड़का तेरी ही तुखम से तेरी ही ज़ुर्रियत व नसल होगा। खूबसूरत पाक लड़का तुम्हारा मेहमान आता है उसका नाम अन-मवाईल और बशीर भी है उसको मुक़द्दस रूह दी गई है और वह रिजस से पाक है वह नूरुल्लाह है। मुबारक वह जो आसमान से आता है उसके साथ फज़ल है जो उसके आने के साथ आऐगा वह साहिबे शकूह और अज़मत और दोलत होगा।

वह दुनिया में आऐगा और अपने मसीही नफ्स और रूहुल हक की बरकत से बहुतों को बिमारियों से साफ करेगा वह कलामतुल्लाह है क्योंकि ख़ुदा की रहमत व ग़य्यूरी ने उसे अपने कलेमा तमजीद से भेजा है। वह सखत ज़हीनो फ़हीम होगा और दिल का हलीम और उलूमे-ए-ज़ाहिरी वा बातनी से पुर किया जऐगा। और वह तीन को चार करने वाला होगा (इसके मायने समझ में नहीं आए) दो शंम्बा है मुबारक दो शंम्बा फ़रज़न्द दिलबन्द गिरामी अरज़ुमंद

(مَظْهَرُ الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ ۔ مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْعَلَاءِ/كَاَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ)

मज़हरुल अव्वलि वल आखिरि मज़हरुल हक़्क़ वल अलाए का अन्नल्लाहा नज़ा-ला मिनस्समाए। जिसका नज़ूल बहुत मुबारक और जलाले इलाही के ज़हूर का मोजिब होगा। नूर आता है नूर जिसको ख़ुदा ने अपनी रज़ामन्दी के इतर से मम्सूह किया। हम उसमें अपनी रूह डालेंगे और ख़ुदा का साया उसके सिर पर होगा वह जल्द-जल्द बढ़ेगा और असीरों की रुस्तगारी का मोजिब होगा और ज़मीन के किनारों तक शोहरत पाएगा। और क़ौमें उससे बरकत पाएंगी तब अपने नफ्सी-नुक़ता आसमान की तरफ उठाया जाऐगा। "वा काना अमरन मकज़िय्या" (وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا)

(मज्मुआ इश्तेहारात भाग प्रथम पृष्ठ 100 विज्ञापन 20 फ़रवरी 1886)

★ ★ ★

भविष्यवाणी के मूल शब्द हिन्दी लिपि में ऊपर दिए गए हैं इस काअनुवाद पृष्ठ 23 पर देखें

जमील अहमद नासिर प्रिंटर एवं पब्लिशर ने फ़ज़्ल-ए-उमर प्रिंटिंग प्रेस क़ादियान में छपवा कर दफ़्तर अख़बार बदर से प्रकाशित किया। प्रौपराइटर - **निगरान बदर बोर्ड क़ादियान**

इस्लाम और सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुख़ालिफ़ अलेक्जेंडर डोवी के शहर ज़ायन (zion) से शुरू होने वाली हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की ग़ैरमामूली अहमयित और बरकतों की हामिल ऐतिहासिक अमरीका की यात्रा

सितंबर, अक्तूबर 2022 ई.

अमेरिका के दूरदराज़ इलाकों से आए जमाअत अहमदिया के सदस्यों के अपने प्रिय इमाम से मुलाकात के बाद के अनुभव

"हज़ूर अनवर के चेहरे पर नज़र पड़ते ही दिल को सुकून और आनंद मिलता है। मैंने उनके मुबारक चेहरे पर सिर्फ़ नूर ही नूर देखा।"

"मैं नया अहमदी हूँ और पहली बार हज़ूर अनवर से मिला हूँ। इस वक्त मेरा दिल इतने भावनाओं से भरा हुआ है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पहले मैं शिया बन गया था, लेकिन वहाँ मुझे कोई सुकून नहीं मिला और दिल को संतोष नहीं हुआ। फिर मैंने अहमदियों के बीच आना-जाना शुरू किया और वहीं दिल को सुकून मिला। आज जब मैंने हज़ूर अनवर से मुलाकात की, तो पूरे यक़ीन के साथ कह सकता हूँ कि यही सही रास्ता है और यही हक़ है।"

"मैंने मलेशिया में बहुत कठिन हालात में पाँच साल बिताए हैं, जिन्हें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन आज हज़ूर अनवर से मुलाकात के बाद मेरी सारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ दूर हो गई हैं और मुझे सुकून मिला है। आज मैं बेहद खुश हूँ।"

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ

क्रम	विषय सूची	पृष्ठ
1	मुस्लेह मौऊद के विषय में भविष्यवाणी	1
2	हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की ग़ैरमामूली अहमयित और बरकतों की हामिल ऐतिहासिक अमरीका की यात्रा	2
3	सितंबर, अक्तूबर 2022 ई. ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मो'मिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, दिनांक 3 जनवरी 2025 ई. स्थान - मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद सिर्रे (यू.के)	3
4	हज़रत अमीरुल मौमेनीन खलीफ़तुल मसीह सानी (अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़) के दिल्ली में दिए गए उपदेश	9
5	हज़रत अमीरुल मौमेनीन खलीफ़तुल मसीह सानी (अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़) के दिल्ली में दिए गए उपदेश	10
6	हज़रत अमीरुल मौमेनीन खलीफ़तुल मसीह सानी (अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़) के दिल्ली में दिए गए उपदेश	11
7	हज़रत अमीरुल मौमेनीन खलीफ़तुल मसीह सानी अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की मज्लिस -ए-इरफ़ान	12
8	छोटी-छोटी बातों पर खुला और तलाक तक मामला पहुँचा देना बेहद भयावह और नापसंद किया जाने वाला तरीका है।	15
9	हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का महान कारनामा जमाअती संगठन और इसकी अधीन शाखाओं की स्थापना एवं उसकी बरकतें	20

हज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर "मस्जिद बैतुर्रहमान" में तशरीफ़ लाकर नमाज़-ए-फजर पढ़ाई। नमाज़ अदा करने के बाद हज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाह तआला अपने आवास पर तशरीफ़ ले गए।

सुबह, हज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने दुनिया के विभिन्न देशों से फैक्स और ईमेल के माध्यम से आने वाले पत्रों और रिपोर्ट्स का अवलोकन किया और हिदायतें प्रदान कीं। इसके अलावा, हज़ूर-ए-अनवर विभिन्न दफ्तर के कार्यों में व्यस्त रहे।

एक बजकर 30 मिनट पर, हज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने "मस्जिद बैतुर्रहमान" में तशरीफ़ लाकर नमाज़-ए-जुहर और अस्र को मिलाकर पढ़ाया। नमाज़ अदा करने के बाद, हज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ अपने आवास पर लौट गए।

जब भी हज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाह तआला मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने के लिए अपने आवास से तशरीफ़ लाते हैं और फिर वापस जाते हैं, तो रास्ते के दोनों ओर विभिन्न स्थानों पर जमाअत के सदस्य और महिलाएँ बड़ी संख्या में अपने प्यारे आका का इंतजार कर रही होती हैं और अपने आका के प्रति प्रेम, भक्ति और अटूट मोहब्बत का इज़हार जोशीले नारों के साथ कर रही होती हैं। हर ओर से "अस्सलामु अलैकुम हज़ूर" और "इन्नी म'अक़ या मसूर" की आवाज़ें गूंज रही होती हैं और लगातार नारे बुलंद हो रहे होते हैं।

मस्जिद के बाहरी परिसर में विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में टेंट (मार्कीज़) लगाए गए हैं, जहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए नमाज़ अदा करने की व्यवस्था की गई है। पुरुषों और महिलाओं के लिए खाने की व्यवस्था भी अलग-अलग टेंट्स में की गई है। इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन के लिए भी अलग-अलग टेंट्स हैं और कोविड टेस्ट के लिए भी अलग-अलग सेंटर स्थापित किए गए हैं। यहाँ रोज़ाना सुबह से शाम तक आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कोविड टेस्ट किया जाता है। इसी तरह, हर दिन सैकड़ों टेस्ट किए जाते हैं और कुछ दिनों में यह संख्या हजार से भी अधिक हो जाती है। कुल मिलाकर, सभी व्यवस्थाएँ बहुत बड़े स्तर पर की गई हैं। वाहनों की पार्किंग के लिए विभिन्न पार्किंग क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है और वहाँ से जमाअत के सदस्यों के आने-जाने के लिए बसें चलाई गई हैं। संपूर्ण व्यवस्थाएँ बहुत ही सुव्यवस्थित हैं।

अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों और इलाकों से हजारों मील की दूरी तय करके जमाअत के सदस्य और उनके परिवार यहाँ पहुँच रहे हैं और पूरा दिन मस्जिद और इन टेंट्स में बिता रहे हैं। वे अपने आका के दीदार और जियारत के किसी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं देते। ये अल्लाह तआला की रहमतों और बरकतों के दिन हैं। बेहद मुबारक और बर्कतों से भरपूर दिन। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इन बर्कतों से लाभान्वित हो रहा है।

परिवारिक मुलाकातें

कार्यक्रम के अनुसार, शाम 6 बजे हज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ अपने दफ्तर तशरीफ़ लाए और परिवारिक मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। आज शाम के इस सत्र में 49 परिवारों के 206 सदस्यों को अपने आका से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रत्येक परिवार ने हज़ूर-ए-अनवर के साथ तस्वीर खिंचवाने की सआदत प्राप्त की। हज़ूर-ए-अनवर ने कृपा करके शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों और छात्राओं को पेन भेंट किए और छोटे बच्चों को चॉकलेट प्रदान किए।

आज जिन परिवारों और जमाअत के सदस्यों ने मुलाकात की, वे मेरीलैंड की स्थानीय जमाअत के अलावा अमेरिका की विभिन्न 23 जमाअतों से आए थे। इनमें से

ख़ुत्बः जुमअः

"हदीस-ए-कुदसी में अल्लाह तआला फ़रमाते हैं : ऐ आदम के बेटे! तू अपना ख़ज़ाना मेरे पास जमा कर और निश्चिंत हो जा।

न तो आग लगने का ख़तरा होगा, न पानी में डूबने का अंदेशा और न ही किसी चोर से चोरी का डर।

मेरे पास रखा गया ख़ज़ाना मैं तुझे उस दिन पूरा दूँगा जब तुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी।

एक सच्चा मोमिन, जो अल्लाह तआला की रज़ा की तलाश में रहता है, वह नेकी के उन मापदंडों को हासिल करने की कोशिश करता है और करना चाहिए, जो उसे अल्लाह के करीब ले जाएँ।

"बात यह है कि ख़ुदा तआला की रज़ामंदी, जो वास्तविक ख़ुशी का कारण है, तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक अस्थायी तकलीफ़ें बर्दाश्त न की जाएँ।"

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हर सुबह दो फ़रिश्ते उतरते हैं।

उनमें से एक कहता है : "ऐ अल्लाह! खर्च करने वाले बड़े दिल वाले को और अधिक दे और उसके नक्श-ए-कदम पर चलने वालों को और पैदा कर।"

दूसरा कहता है: "ऐ अल्लाह! रोक रखने वाले कंजूस को हलाक कर दे और उसका माल ओ मताअ बर्बाद कर दे।"

आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विभिन्न अवसरों पर वित्तीय क़ुर्बानियों की अत्यधिक प्रेरणा दी है।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह तआला ने यही फ़रमाया था कि "माल तो मैं तुझे दूँगा" और वह माल अल्लाह तआला अता कर रहा है।

अल्लाह तआला हमेशा जमाअत को उसे सही उद्देश्य में खर्च करने की तौफ़ीक़ देता रहे, सही ढंग से खर्च करने की तौफ़ीक़ दे और इसमें कभी कोई अनियमितता न हो।

अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से वक्फ़-ए-जदीद के 67वें साल के दौरान जमाअत-ए-अहमदिया आलमगीर को 1 करोड़ 36 लाख 81 हज़ार पाउंड की वित्तीय क़ुर्बानी पेश करने की तौफ़ीक़ मिली।

यह प्राप्ति पिछले साल की तुलना में 7 लाख 36 हज़ार पाउंड अधिक है।

क़ुर्बानियों के लिहाज़ से पहले नंबर पर ब्रिटेन है।

वक्फ़-ए-जदीद के 67वें साल के दौरान जमाअत के अफराद द्वारा पेश की गई वित्तीय क़ुर्बानियों का ज़िक्र और 68वें साल की शुरुआत की घोषणा।

विभिन्न देशों से संबंधित सच्चे अहमदियों की वित्तीय क़ुर्बानियों के ईमान अफरोज़ वाक़िआत का प्रभावशाली वर्णन

दुनिया भर के अहमदियों के लिए, दुनिया की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए और मज़लूमों को ज़ालिमों के जुल्म से निजात दिलाने के लिए दुआओं की अपील।"

ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मो'मिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, दिनांक 3 जनवरी 2025 ई. स्थान - मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद सिर्रे (यू.के)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ۔ (آل عمران :93)

इस आयत का अनुवाद है कि तुम पूर्ण नेकी को तब तक नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ों में से अल्लाह की राह में खर्च न करो। और जो भी चीज़ तुम खर्च करोगे, अल्लाह उसे निश्चित रूप से जानता है।

"बिर्र" उच्च श्रेणी की नेकी और संपूर्ण नेकी को कहा जाता है।

जैसा कि अल्लाह तआला क़ुरआन शरीफ में फ़रमाता है कि पूर्ण नेकी तुम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी प्रिय चीज़ों को अल्लाह तआला की रज़ा के लिए क़ुर्बान न करो और उन्हें अल्लाह की राह में खर्च न करो।

इसलिए,एक सच्चा मोमिन, जो अल्लाह तआला की रज़ा की तलाश में रहता है, नेकी के उन मापदंडों को हासिल करने की कोशिश करता है, और उसे वे कार्य करने चाहिए जो उसे अल्लाह तआला के करीब ले जाएँ। क़ुरआन करीम में विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग रूपों में अल्लाह तआला का क़ुरब पाने की प्रेरणा दी गई है। विभिन्न नेकियों का उल्लेख किया गया है और अल्लाह की राह में माल खर्च करने को भी एक नेकी क़रार दिया गया है।

इस आयत में भी अल्लाह की राह में खर्च करने को बहुत बड़ी नेकी बताया गया है और कहा गया है कि यदि तुम उस धन या उन चीज़ों को, जिनसे तुम्हें प्रेम है, अल्लाह की राह में खर्च करोगे, तभी यह बड़ी नेकी होगी। निस्संदेह, अल्लाह तआला हर नेकी का बदला देता है जो उसकी रज़ा के लिए की जाती है, लेकिन क्योंकि इंसान को धन से विशेष प्रेम होता है, इसलिए इस ओर भी विशेष ध्यान दिलाया गया है।

इसलिए, ईमान, सच्ची नेकी और उच्च क़ुर्बानी का एक मानक अल्लाह तआला ने यह निर्धारित किया है कि वह चीज़ें जो तुम सबसे अधिक पसंद करते हो, उन्हें अल्लाह की राह में खर्च करो। यही वास्तविक नेकी है कि तुम अपने प्रियतम धन और वस्तुओं को अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुर्बान कर दो।

हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) की व्याख्या : हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) ने इस विषय पर कई स्थानों पर व्याख्या की है। आप फ़रमाते हैं:

"धन से अत्यधिक प्रेम नहीं करना चाहिए।"

आज के युग में यह विशेष रूप से कठिन कार्य है। लेकिन अल्लाह तआला फ़रमाता है:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

(तुम हरगिज़ सच्ची नेकी को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ों को अल्लाह की राह में खर्च न करो।)

अगर हम आज के दौर की परिस्थितियों की तुलना नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के समय से करें, तो अफ़सोस होता है। क्योंकि जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं होती और उस समय अल्लाह की राह में जान भी क़ुर्बान करनी पड़ती थी।

आप (अलैहिस्सलाम) फ़रमाते हैं:

"वे भी तुम्हारी तरह पत्नियों और बच्चों वाले थे। जान सभी को प्रिय होती है, लेकिन वे हमेशा इस बात की लालसा रखते थे कि यदि अवसर मिले, तो वे अल्लाह की राह में अपनी जान क़ुर्बान कर दें।"

फिर आप (अलैहिस्सलाम) फ़रमाते हैं:

"व्यर्थ और तुच्छ चीज़ों को खर्च करके कोई व्यक्ति नेकी करने का दावा नहीं कर सकता। नेकी का द्वार संकीर्ण है। यह समझ लो कि व्यर्थ चीज़ें खर्च करने से कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता।"

क़ुरआन में स्पष्ट रूप से कहा गया है:

لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰی تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ

(जब तक तुम अपनी सबसे प्रिय और मूल्यवान चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे, तब तक सच्चे प्रिय और प्रियतम नहीं बन सकते।)

यदि तकलीफ़ें सहना पसंद नहीं करते और सच्ची नेकी को अपनाना नहीं चाहते, तो सफलता और उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हो?

आप (अलैहिस्सलाम) फ़रमाते हैं:

"क्या सहाबा किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) बिना किसी क़ुर्बानी के उस ऊँचे दर्जे तक पहुँच गए थे? दुनियावी उपाधियाँ प्राप्त करने के लिए कितने संघर्ष और त्याग करने पड़ते हैं। तब जाकर एक साधारण पदवी मिलती है, जिससे दिल को सुकून भी नहीं मिलता। फिर सोचो कि 'रज़ियल्लाहु अन्हुम' का ख़िताब, जो दिल को सुकून और आत्मा को शांति देता है और जो अल्लाह तआला की रज़ा का प्रतीक है, क्या वह इतनी आसानी से मिल सकता था?"

अंत में आप (अलैहिस्सलाम) फ़रमाते हैं:

"बात यह है कि अल्लाह तआला की रज़ामंदी, जो वास्तविक खुशी का कारण है, तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक अस्थायी कठिनाइयों को सहन न किया जाए।"

यहाँ पूरा पाठ उर्दू से हिंदी में अनुवाद किया गया है:

"खुदा को धोखा नहीं दिया जा सकता।

मुबारक हैं वे लोग! जो अल्लाह की रज़ा (संतोष) प्राप्त करने के लिए तकलीफ की परवाह नहीं करते, क्योंकि इस अस्थायी तकलीफ के बाद ही एक मोमिन को शाश्वत खुशी और स्थायी आराम की रोशनी मिलती है।"

(तफ़सीर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, भाग 3, पृष्ठ 178-177)

फिर आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं:

"दुनिया में इंसान माल (धन-संपत्ति) से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यही वजह है कि ताबीर-ए-रूया (सपनों की व्याख्या) के इल्म में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति यह देखे कि उसने अपना जिगर निकालकर किसी को दे दिया है, तो इसका मतलब है कि उसने अपना माल दिया। इसी कारण सच्ची तक़वा और ईमान के लिए अल्लाह ने फ़रमाया:

لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰی تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ

(अर्थ: तुम कभी भी सच्ची नेकी (भलाई) को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक कि अपनी सबसे प्रिय चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च न करो)।

क्योंकि अल्लाह की मखलूक़ (सृष्टि) के साथ हमदर्दी और सुलूक का एक बड़ा हिस्सा धन को खर्च करने से ही पूरा होता है। अपनी जाति (कौम) और अल्लाह की मखलूक़ के साथ हमदर्दी ऐसा अमल है, जो ईमान का दूसरा हिस्सा है, जिसके बिना ईमान मुकम्मल और मज़बूत नहीं होता। जब तक इंसान ईसार (त्याग) नहीं करेगा, वह दूसरों को फायदा कैसे पहुँचा सकता है? फायदा पहुँचाने के लिए क़ुर्बानी करनी पड़ती है। इसलिए दूसरे की भलाई और हमदर्दी के लिए ईसार (त्याग) एक ज़रूरी चीज़ है। इस आयत (لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ...) में इसी त्याग की तालीम और हिदायत दी गई है।

अतः अल्लाह की राह में माल खर्च करना भी इंसान की सआदत (सौभाग्य) और तक़वा (धार्मिकता) का पैमाना और कसौटी है।"

आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया: "हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी में लिल्लाह (अल्लाह के लिए) वक़्फ़ (समर्पण) का सबसे बड़ा पैमाना और कसौटी यह थी कि जब रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने किसी ज़रूरत का ज़िक्र किया, तो वे पूरा घर का सामान लेकर हाज़िर हो गए।"

(मल् फूज़ात, भाग 2, पृष्ठ 96-95, एडिशन 1984)

फिर आपने नसीहत करते हुए फ़रमाया :

"माल से मोहब्बत मत करो। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰی تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ

(अर्थ: तुम सच्ची और पूरी तरह से भलाई (नेकी) तक नहीं पहुँच सकते, जब तक कि वह माल खर्च न करो, जिसे तुम सबसे अधिक प्रिय समझते हो।")

(तफ़सीर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भाग 3, पृष्ठ 180)

जैसा कि मैंने पहले बताया कि 'बिर्र' उस भलाई (नेकी) को कहते हैं, जो सबसे ऊँचे दर्जे की हो और संपूर्ण हो। यही वह रहस्य है, जिसे आज अहमदिया जमाअत के लोगों ने सही तरीके से समझा और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तर्बियत (शिक्षा) का यह असर है कि आज तक हम इन कुर्बानियों (त्याग) के ऊँचे मानक देखते चले आ रहे हैं।

वे मानक जो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हो ने स्थापित किए, फिर जिनको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में उनके क़रीबी साथियों और सहाबा ने कायम रखा। फिर इसके बाद ख़िलाफ़त के दौर में, हर जमाने में हमने ये क़ुर्बानियाँ देखीं और आज तक ये कुर्बानियाँ जारी हैं।

रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने भी आर्थिक कुर्बानी की बहुत अधिक प्रेरणा दी थी। आपके सहाबा ने इसे समझा और इस पर पूरी तरह अमल किया।

एक रिवायत में आता है कि हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हो वर्णन करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया:

"दो व्यक्तियों के अलावा किसी और पर रश्क (ईर्ष्या) नहीं करनी चाहिए। एक वह जिसे अल्लाह ने माल दिया और उसने उसे राह-ए-हक (सत्य मार्ग) में खर्च कर दिया।

दूसरा वह व्यक्ति जिसे अल्लाह ने समझ, दानाई (बुद्धिमत्ता), इल्म और हिकमत (ज्ञान) दी, जिससे वह लोगों के बीच फैसले करता है और उन्हें सिखाता है।"

(सहीह बुखारी, किताबुल् इल्म, हदीस 73)

यही वह मानक था, जिसे रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अपने सहाबा में स्थापित करने के लिए नसीहत दी और यह मानक कायम हुआ।

एक रिवायत में आता है कि हज़रत अबू मसऊद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हो बयान करते हैं:

"जब रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) सदक़ा करने का हुक्म देते, तो हममें से कोई बाजार जाता, वहाँ मेहनत-मज़दूरी करता और बदले में कुछ अनाज या कोई और चीज़ पाता, जिसे सदक़ा कर देता। हमारी यह कोशिश होती कि हम खुद मेहनत करके, कमाकर इसमें हिस्सा लें, किसी से मांगकर नहीं।

रावी बयान करते हैं कि उन मेहनतकश लोगों में से अब कुछ ऐसे थे कि अल्लाह ने उनकी उन कुर्बानियों का इतना बड़ा बदला दिया कि अब उनके पास एक-एक लाख दिरहम मौजूद थे। जो कभी मजदूरी करके सदक़ा देते थे, वे अब लाखों के मालिक थे।"

(सहीह बुखारी, किताब-उज़्-ज़कात, हदीस 1416)

तो यही है कुर्बानी की बरकत। यही वह रहस्य है, जिसे रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने हमें अपनाने की तालीम दी है। यही वह चीज़ है, जिसकी अल्लाह तआला ने हमें क़ुरआन करीम में नसीहत की है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो और उस चीज़ में से खर्च करो जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत है।

रिवायतों में आता है कि कभी-कभी रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जब चंदे की तहरीक (अभियान) फ़रमाते, तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हो अपने घर का सारा सामान ला देते और वहाँ चीज़ों के ढेर लग जाते।

जमाअत की ज़रूरतों के लिए चंदे की ज़रूरत होती है, माल की ज़रूरत होती है, सामान की ज़रूरत होती है। हमेशा से अंबिया (नबियों) की जमाअत ने इसे समझा और अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी दी।

माली कुर्बानी के फायदे इस बारे में एक जगह रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अपनी सौतेली बहन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को नसीहत करते हुए फ़रमाया:

"अल्लाह की राह में हिसाब लगाकर खर्च मत करो, वरना अल्लाह भी तुम्हें हिसाब से ही देगा। अपने रुपयों की थैली का मुँह बंद करके कंजूसी से मत बैठो, वरना फिर अल्लाह भी तुम्हारे लिए बंद कर देगा। जितनी ताकत है, उतना खर्च करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वह देता चला जाएगा।"

(सहीह बुखारी, किताब-उज़्-ज़कात, हदीस 1433)

फिर आपने एक और मौके पर फ़रमाया:

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया:

"हर सुबह दो फ़रिश्ते उतरते हैं। उनमें से एक कहता है : 'हे अल्लाह! खर्च करने

वाले सखी (दरियादिल) को और अधिक दे और उसके नक्श-ए-कदम पर चलने वाले और पैदा कर।' दूसरा फरिश्ता कहता है: 'ऐ अल्लाह! कंजूस को हलाक कर दे और उसका माल तबाह कर दे।'"

(सहीह बुखारी, किताबुल् ज़कात, हदीस 1442)

अहमदियत में कुर्बानी की मिसालें यह रहस्य आज अहमदियों को पता है। अहमदियत की तारीख में कुर्बानी की कई मिसालें हैं और हर दिन इनका इज़ाफा होता जा रहा है।

एक व्यक्ति ने लिखा कि "मेरे पास सिर्फ़ थोड़ी-सी रकम थी, जिससे मुझे कारोबार शुरू करना था और कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी थीं। हालात नाजुक थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कारोबार शुरू भी हो सकेगा या नहीं।"

"मेरे वालिद (पिता) ने मुझसे कहा कि यह सारी रकम चंदे में दे दो, अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दो। मैंने वह रकम चंदे में दे दी और फिर अल्लाह ने ऐसे हालात बना दिए कि मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिल गया, जिससे मेरी रकम कई गुना बढ़ गई। फिर मैंने कारोबार शुरू किया और उसमें अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि बेहिसाब माल आने लगा।"

तो यह तजुर्बात (अनुभव) अल्लाह तआला इस जमाने में भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों को दिखा रहा है, ताकि उनका ईमान मजबूत होता रहे।

रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की माली कुर्बानी की तालीम हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया (यह हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह के वर्णन पर आधारित है)

"अल्लाह तआला फ़रमाता है:

'ऐ आदम के बेटे! तू अपना ख़ज़ाना मेरे पास जमा कर और निश्चिंत हो जा। वहाँ आग लगने का ख़तरा नहीं, वहाँ पानी में डूबने का डर नहीं, वहाँ चोर चोरी नहीं कर सकता।

मैं तेरा ख़ज़ाना उस दिन तुझे पूरा दूँगा, जब तुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी।

यानी मरने के बाद की जिंदगी में, जब इंसान को नहीं पता होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। उस वक्त अल्लाह फरमाएगा: 'तेरी कुर्बानियों का बदला मैं तुझे दूँगा और इनके जरिए तेरी मग़फिरत (बख्शिश) का सामान कर दूँगा।'"

(अल-जामे लिशुअब-उल-ईमान, हदीस 3071)

सच्चे ईमान और बख़ील (कंजूस) होने का फर्क हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

"मैं यकीन से कहता हूँ कि बख़ील (कंजूसी) और ईमान एक ही दिल में जमा नहीं हो सकते।

जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान लाता है, वह अपने माल को सिर्फ वही नहीं समझता जो उसके तिजोरी में बंद है, बल्कि अल्लाह के समस्त ख़ज़ाने भी वह अपने ख़ज़ाने समझता है।

और इमसाक (कंजूसी) उस इंसान से इस तरह दूर हो जाती है, जैसे रोशनी से अंधेरा दूर हो जाता है।"

(मजमूआ इश्तेहारात, भाग 3, पृष्ठ 498)

फिर आपने फ़रमाया : "कौम को चाहिए कि हर तरह से इस सिलसिले की सेवा करे। आर्थिक रूप से भी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखो! दुनिया में कोई भी आंदोलन बिना चंदे के नहीं चलता। रसूल-ए-करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम), हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) और हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) सभी नबियों के ज़माने में चंदा इकट्ठा किया गया।

इसलिए हमारी जमाअत के लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग नियमित रूप से सिर्फ़ एक-एक पैसा भी साल भर में दें, तो बहुत कुछ हो सकता है।"

(मल् फूज़ात, भाग 6, पृष्ठ 39-38, एडिशन 1984)

हज़रत खलीफ़ा अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हो की कुर्बानी का स्तर हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) ने हज़रत खलीफ़ा अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हो के बारे में लिखा:

"अगर मैं इजाज़त देता, तो वे अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते और जिस तरह उन्होंने मेरी रुहानी (आध्यात्मिक) रफ़ाक़त निभाई, वैसे ही जिस्मानी रफ़ाक़त निभाते और हर वक़्त मेरे साथ रहने का हक़ अदा करते।"

फिर आपने उनके कुछ खतों की मिसाल दी, जिनमें हज़रत खलीफ़ा अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हो ने लिखा:

"मैं आपकी राह में कुर्बान हूँ। मेरा जो कुछ भी है, वह मेरा नहीं, बल्कि आपका है।"

"ऐ मेरे पीर और मुर्शिद! मैं पूरी सच्चाई से अर्ज़ करता हूँ कि अगर मेरा सारा माल और दौलत दीन की अशाअत (प्रचार) में खर्च हो जाए, तो मैं अपनी मंज़िल पा लूँगा।"

अगर "ब्राहीन-ए-अहमदिया" की ताबअ (छपाई) में रुकावट आ रही है, तो "मुझे इजाज़त दें कि मैं अपने पैसे से पूरी लागत अदा कर दूँ और जो भी आमदनी हो, वह भी वापस कर दूँ।"

"मेरी ख्वाहिश है कि ब्राहीन-ए-अहमदिया की पूरी ताबअ (छपाई) का खर्च मुझ पर डाल दिया जाए।"

(फतह-ए-इस्लाम, रुहानी खज़ायन, भाग 3, पृष्ठ 36-35)

यह हज़रत खलीफ़ा अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हो की कुर्बानी का उच्चतम स्तर था।

हज़रत खलीफ़ा सानी रज़ियल्लाहु अन्हो की माली कुर्बानी की तहरीक जब हज़रत खलीफ़ा सानी रज़ियल्लाहु अन्हो ने "वक्फ-ए-जदीद" और "तहरीक-ए-जदीद" की शुरुआत की, तो गरीबों ने भी चंदे में हिस्सा लिया।

कोई मुर्गी लेकर आया, कोई मुर्गी के अंडे लेकर आया, और उन्होंने कहा : "हमारे पास जो कुछ भी था, हमने अल्लाह की राह में दे दिया।"

डॉ. ख़लीफ़ा रशीदुद्दीन रज़ियल्लाहु अन्हो की मिसाल हज़रत खलीफ़ा सानी रज़ियल्लाहु अन्हो ने डॉ. ख़लीफ़ा रशीदुद्दीन रज़ियल्लाहु अन्हो की मिसाल दी, जो हज़रत खलीफ़ा सानी रज़ियल्लाहु अन्हो की पहली बीवी हज़रत उम्मे नासिर रज़ियल्लाहु अन्हो के वालिद और हज़रत खलीफ़ा सालिस रहमहुल्लाह के नाना थे।

जब उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) का दावा सुना, तो उन्होंने कहा :

"इतना बड़ा दावा करने वाला झूठा नहीं हो सकता। मुझे किसी और दलील की ज़रूरत नहीं है।"

और उन्होंने तुरंत हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) की बैअत कर ली।

उनकी माली कुर्बानियाँ इतनी ऊँचे स्तर की थीं कि हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) ने उन्हें लिखित में यह सरटीफिकेट दिया कि:

"आपने इस सिलसिले के लिए इतनी कुर्बानी कर दी है कि अब आपको आगे कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं।"

हालाँकि उन्होंने फिर भी कुर्बानियाँ जारी रखीं।

गुरदासपुर मुकदमे में माली कुर्बानी हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) के खिलाफ़ गुरदासपुर में मुकदमा चल रहा था, और उस समय जमाअत को पैसों की ज़रूरत थी।

लंगरख़ाना दो जगह चल रहा था: क़ादियान और गुरदासपुर में।

मुकदमे में भी खर्च हो रहा था। इसलिए हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) ने चंदे की तहरीक की।

डॉ. ख़लीफ़ा रशीदुद्दीन रज़ियल्लाहु अन्हो को उसी दिन 450 रुपए तनख्वाह मिली थी (जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी)।

उन्होंने पूरी की पूरी तनख्वाह चंदे में दे दी।

एक दोस्त ने कहा: "आपको घर के खर्च के लिए कुछ तो रखना चाहिए था!" तो उन्होंने जवाब दिया:

"अल्लाह का मसीह लिखता है कि दीन के लिए ज़रूरत है, तो मैं किसी और के लिए कैसे रख सकता हूँ?"

उनकी माली कुर्बानी इतनी ज़्यादा थी कि हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) को खुद कहना पड़ा:

"अब आपको कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं!"

(तक़रीर जलसा सालाना 1926, अनवारुल उलूम, भाग 9, पृष्ठ 403)

तो ये वे मिसालें (उदाहरण) थीं जो पुराने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हो ने क़ायम कीं और हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) के सहाबा ने भी क़ायम कीं। फिर हर ख़िलाफ़त के दौर में भी ये मिसालें देखने को मिलती हैं।

हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) के ज़माने के कुछ और वाक़यात हज़रत सूफ़ी नबी बख़्श रज़ियल्लाहु अन्हो, मुहाजिर-ए-क़ादियान, बयान करते हैं:

"एक बार मैं सालाना जलसे पर हाज़िर हुआ और मैंने अर्ज़ किया कि मैं अकेले में हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) से कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ।"

हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया: "अंदर आ जाओ।"

संयोग से खिड़की खुली रह गई और दरवाज़ा भी खुला रहा, जिससे कई और लोग भी अंदर आ गए।

मैंने अर्ज़ किया: "मेरे वालिद का कहना है कि मैंने अपने बेटे को अच्छी और ऊँची

तालीम दिलाई, लेकिन जब से उसने नौकरी शुरू की है, वह हमारी कोई सेवा नहीं करता। उसने कोई आर्थिक मदद नहीं की, और यह उसके पिता के लिए एक शिकायत का कारण बना।"

"दूसरी ओर, मेरी पत्नी कहती है: 'कैसा अहमदी बना है! मेरे पास जो भी ज़ेवर था, वह भी बेच दिया।'

"मुझे शायद घर चलाने के लिए या किसी ज़रूरत के कारण ज़ेवर बेचना पड़ा। इससे मेरी पत्नी को शिकायत थी। अब मेरे पिता को भी शिकायत है और मेरी पत्नी को भी।"

"लेकिन जब मैं क़ादियान आया और यहाँ के दृश्य देखे, तो मैंने देखा कि इस सिलसिले की सेवा के लिए आपके मुरीद (शिष्य) हज़ारों रुपये कुर्बान कर देते हैं।"

"अब मैं आपसे दुआ की दरख़्वास्त करता हूँ कि अल्लाह मुझे दुगुनी-तिगुनी तनख्वाह दे, ताकि मैं आपकी और अपने घरवालों की सेवा कर सकूँ।"

फिर अल्लाह तआला ने ऐसा इंतेज़ाम कर दिया कि उन्हें दूसरे मुल्क में नौकरी मिल गई, तनख्वाह बढ़ गई और उन्होंने माली मदद भी की और अपने घरवालों की मदद भी कर सके।

(रजिस्टर रिवायात-ए-सहाबा, ग़ैर मत्बूआ, रजिस्टर नंबर 15, पृष्ठ 105)

ग़रीब लोगों की कुर्बानी के अनोखे नमूने हज़रत क़ाज़ी क़मरुद्दीन रज़ियल्लाहु अन्हो ने साईं दीवान शाह रज़ियल्लाहु अन्हो का एक वाक़या बयान किया।

वे कहते हैं : "मैं कभी-कभी साईं दीवान शाह रज़ियल्लाहु अन्हो से पूछा करता था कि आप बार-बार क़ादियान क्यों जाते हैं? कोई ख़ास वजह है या सिर्फ़ हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) से मिलने की चाहत है?"

"साईं दीवान शाह रज़ियल्लाहु अन्हो का ताल्लुक़ नारोवाल से था। वे क़ादियान तक पैदल सफ़र करते थे, जो क़रीब 100 मील का फ़ासला था।"

उन्होंने जवाब दिया:

"मैं एक ग़रीब आदमी हूँ। एक तो मुझे हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) से मिलने की शिद्दत से तमन्ना है।"

"दूसरा, मैं चंदा उतना नहीं दे सकता जितना अमीर लोग देते हैं। इसलिए मैं क़ादियान जाकर लंगरख़ाने के लिए चारपाइयाँ बनाता हूँ।"

"इससे मुझे तसल्ली हो जाती है कि मैंने अल्लाह की राह में कुछ योगदान दिया। यही मेरी माली कुर्बानी है।"

(रजिस्टर रिवायात-ए-सहाबा, ग़ैर मत्बूआ, रजिस्टर नंबर 2, पृष्ठ 96)

अहमदियत की कुर्बानी की रुह आज भी क़ायम है

यह रुह (भावना) उस दौर के ग़रीबों में भी थी और आज भी हमें यह उदाहरण देखने को मिलते हैं।

अफ़्रीका और दुनिया के दूर-दराज़ इलाकों में भी लोग इस तरह की माली कुर्बानी करते हैं, जिन्होंने चंद साल पहले ही अहमदियत को अपनाया है।

उनकी माली कुर्बानी के क़िस्से सुनकर 14 सौ साल पहले के सहाबा की कुर्बानी याद आती है।

मार्शल आईलैंड का उदाहरण मार्शल आईलैंड के एक मुरब्बी (मिशनरी) लिखते हैं:

"लादरी आइज़ैक (Isacc) साहिबा जमाअत की एक मुखलिस सदस्य हैं। वे लंगरख़ाने के लिए दिन-रात मेहनत करती हैं, जहाँ रोज़ाना दो वक़्त का खाना तैयार किया जाता है।

"लेकिन जब भी उन्हें तनख्वाह मिलती है, तो उनका पहला काम अपने और अपने पाँच पोते-पोतियों की तरफ़ से माली कुर्बानी पेश करना होता है।"

"उनकी 'वक़्फ़-ए-जदीद' की कुर्बानी जमाअत में सबसे ज़्यादा होती है।"

"वे एक ग़रीब घर से हैं, लेकिन उनके जज़्बे को देखकर हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) के वो मुबारक अल्फ़ाज़ याद आते हैं:

'सच्ची खुशहाली एक झोपड़ी में भी मिल सकती है, जो एक दुनिया के लोभी को आलीशान महल में भी नहीं मिल सकती।'"

लोरिन (Loreen) साहिबा का उदाहरण इसी तरह मार्शल आईलैंड की लोरिन (Loreen) साहिबा भी एक ऐसी सदस्य हैं, जो अहमदियत की ख़िदमत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ कर रही हैं।

मार्शल आइलैंड मार्शल आइलैंड में जमाअत के लंगर में एक बहन काम करती हैं।

जब उन्हें याद दिलाया गया कि वक़्फ़-ए-जदीद का साल खत्म हो रहा है और इस साल हमारा चंदा पिछले साल से कम है, तो उन्होंने तुरंत अमल किया।

जुमे की नमाज़ के बाद, लोरिन साहिबा ऑफिस आईं और अपना वक़्फ़-ए-जदीद का चंदा जमा करवाया, ताकि पिछले साल का लक्ष्य हासिल किया जा सके या उससे ज़्यादा दिया जा सके।

कज़ाख़स्तान के मुरब्बी सिलसिला, आयान अबराइफ़ साहिब ने अपनी माली कुर्बानी का वाक़या बयान करते हुए कहा:

"मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा दौर भी देखा है, जब मेरे पास रोटी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। मुझे खाने-पीने की चीज़ें उधार लेनी पड़ती थीं, और मेरी बीवी परेशान रहती थी कि हम आगे कैसे जिएंगे।"

"लेकिन इन मुश्किल हालात के बावजूद, मैंने चंदा देना शुरू किया और आज भी मेरा यही नियम है कि जब भी मेरे पास पैसे आते हैं, तो सबसे पहले मैं चंदा अदा करता हूँ।"

"अल्लाह तआला का यह करम है कि जब भी मैं चंदा देता हूँ, वह मुझे बेहतर माली (आर्थिक) संसाधनों से नवाज़ देता है।"

"कई बार मेरी बीवी मुझसे पूछती है: 'ये पैसे कहाँ से आए?' तो मैं उससे यही कहता हूँ: 'यह सब चंदे की बरकत है।'

"अल्लाह तआला उधार नहीं रखता। वह कहता है कि जब तुम मेरी खातिर खर्च करोगे, तो मैं तुम्हें दूँगा—बढ़ाकर दूँगा। और वह अपना यही वादा पूरा करता है।"

कैमरून के एक शहर मरोवा के पास एक जमाअत में मुहम्मद यूसन साहिब ने अपना अनुभव साझा किया :

"मैं बहुत ग़रीब था और दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। लेकिन अहमदियत अपनाने के बाद, मैंने चंदा देना शुरू किया।"

"चंदे की बरकत से, अल्लाह ने मेरी कुर्बानी को न सिर्फ़ क़ुबूल किया, बल्कि इतना नवाज़ा कि आज मेरा अपना फार्म (खेत) बन गया।"

"पहले मैं दूसरों के लिए मजदूरी करता था, लेकिन आज मैं अपने खेत का मालिक हूँ।"

नाइजर की एक ग़रीब जमाअत में लावली साहिब का वाक़या बयान किया गया:

"मैं 'टाइगर नट' (Tiger Nut) की खेती करता हूँ। मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन दिल में इरादा किया कि अपनी फसल का दसवाँ हिस्सा चंदे में दूँगा।"

"फसल कटने के बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जिससे फसल खराब होने का डर था।"

"मेरे पड़ोसियों की फसलें ख़राब हो गईं, लेकिन मेरी फसल में अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि जहाँ दूसरों को 6-5 बोरियाँ मिलती थीं, वहीं मुझे 11-10 बोरियाँ मिलीं।"

"ऐसे हालात में, जब फसल खराब हो जाए, तो क़ीमतें बढ़ जाती हैं और अच्छा मुनाफ़ा होता है। लेकिन मैंने लालच नहीं किया। मैंने अल्लाह से वादा किया था, और वह किसी से नहीं बताया था।"

"मैंने अपनी 11वीं बोरी चंदे में दे दी, और मेरे दिल में माल की मोहब्बत हावी नहीं हुई।"

गाम्बिया की एक जमाअत यूरो बाउल के सदर साहिब ने बताया:

"मुझे कहीं से कुछ पैसे मिले। मैंने इसे दो हिस्सों में बाँट दिया—एक हिस्सा चंदे के लिए और दूसरा अपनी ज़रूरतों के लिए।"

"लेकिन बदक़िस्मती से, मेरा निजी इस्तेमाल वाला हिस्सा गुम हो गया। अब मेरे पास सिर्फ़ वह रकम थी, जिसे मैंने चंदे के लिए अलग रखा था।"

"ज़रूरत के बावजूद, मैंने उसे निजी इस्तेमाल में नहीं लिया और कोई बहाना नहीं बनाया। मैंने वही रकम चंदे में दे दी।"

"कुछ समय बाद, अल्लाह का करम हुआ और मेरी गुमशुदा रकम वापस मिल गई, जिससे मेरी ज़रूरतें पूरी हो गईं।"

"ऐसे मुश्किल हालात में, इंसान के दिल में माल की मोहब्बत बढ़ सकती है, लेकिन इन लोगों के इख़लास (निष्ठा) को देखिए—जो अल्लाह से वादा किया, उसे पूरा किया।"

नाइजर (मरावी रीजन) मरावी रीजन में अहमद सानी साहिब हर साल बड़ी बक़ायदगी से वक़्फ़-ए-जदीद का चंदा देते हैं।

"इस साल, इलाके में बाढ़ के कारण फसलें तबाह हो गईं। मुझे लगा कि शायद लोग ज़्यादा चंदा नहीं दे पाएँगे।

"लेकिन अहमद सानी साहिब ने कहा: 'हालात चाहे जैसे भी हों, मैं चंदे में कमी नहीं करूँगा।' और उन्होंने पहले से ज़्यादा चंदा दिया।"

नाइजर मेरावी रीजन में एक जमाअत है। वहाँ के एक दोस्त, अहमद सानी साहब, वक़्फ़-ए-जदीद के चंदे में हर साल बड़ी नियमितता से हिस्सा लेते हैं। इस साल, रीजन में बाढ़ के कारण फ़सलें बर्बाद हो गईं। ऐसा लगा कि शायद लोग ज्यादा चंदा नहीं दे पाएंगे। लेकिन सानी साहब ने कहा कि "बेशक, भारी बारिश और बाढ़ की वजह से फ़सलें ख़राब हो गई हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम चंदे में कमी करेंगे।"

उन्होंने पहले से भी अधिक चंदा अदा किया।

फिर एक और घटना सामने आई जिसमें ज़रूरत होने के बावजूद क़ुर्बानी को प्राथमिकता दी गई। नाइजर की डिब्सू (Dibsu) नाम की एक जमाअत में बारिश बहुत कम हुई, जिससे फ़सलों को गंभीर नुकसान पहुँचा। कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो कुछ में बहुत कम। अफ्रीका की हमारी अधिकतर जमाअतें ग्रामीण इलाकों में हैं और वहाँ की राजनीतिक स्थिति भी इन दिनों बहुत खराब है।

महंगाई में भारी इज़ाफ़ा हो चुका है।

मौलिम (शिक्षक) कहते हैं, "मुझे चिंता थी कि इन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वे चंदा कहाँ से देंगे?" लेकिन जब गाँव वालों को बताया गया कि वक़्फ़-ए-जदीद का साल समाप्त होने वाला है, तो वहाँ के एक सदस्य, शाफ़ी एनगो साहब, खड़े हुए और कहा, "हम हर साल नियमित रूप से चंदा देते हैं और ऐसा कोई साल नहीं गया जब अल्लाह तआला ने हमें बढ़ाकर वापस न दिया हो।" उन्होंने आगे कहा कि "हमने हमेशा देखा है कि चंदे की वजह से अल्लाह तआला हमें और अधिक इनाम देता है और हमारे आर्थिक हालात सुधरते रहते हैं। इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे।" उन्होंने और अन्य लोगों ने भी चंदा अदा किया। यहाँ भी यही बात देखने को मिली कि माल की मोहब्बत उन पर हावी नहीं हुई।

तंजानिया

वहाँ के एक दोस्त, इब्राहीम साहब, कहते हैं, "जब मुझे चंदे की बरकत (आशीर्वाद) का एहसास हुआ, तो मैंने हर महीने अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा वित्तीय क़ुर्बानी के लिए तय कर दिया।" इस वजह से उनके काम में तरक्की होती रही और अल्लाह तआला ने उनके रिज़्क़ (आजीविका) में इज़ाफ़ा किया।

एक बार, जब मौलिम ने चंदे के लिए प्रेरित किया, तो इब्राहीम साहब के पास कुछ पैसे थे जो उन्होंने अपने व्यापार के लिए रखे हुए थे। लेकिन, उन्होंने वो पैसे चंदे में दे दिए। अगले दिन, उन्होंने उस व्यक्ति को फोन किया जिससे उन्हें व्यापार के लिए सामान खरीदना था और कहा, "अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं सामान नहीं ले सकता।"

इस पर, उस विक्रेता ने कहा, "कोई बात नहीं, तुम्हारे द्वारा ख़रीदे गए सामान की आधी कीमत पहले ही अदा हो चुकी है, बाकी पैसे बाद में दे देना।"

इब्राहीम साहब कहते हैं, "मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि वह आधी रकम किसने अदा की और कैसे हुई।"

यह अल्लाह तआला की रहमत थी जो कभी-कभी ऐसे भी मदद करता है कि इंसान को ख़ुद पता भी नहीं चलता।

कुछ लोगों को अल्लाह तआला ने वित्तीय क़ुर्बानी की वजह से नौकरियाँ दिलवाईं।

चेक गणराज्य (Czech Republic)

वहाँ के एक स्थानीय दोस्त बताते हैं, "अल्लाह तआला मुझे वित्तीय क़ुर्बानी के दर्शन (फिलॉसफी) को समझा रहा है।"

वे कहते हैं, "मुझे चंदे के कारण एक नई आध्यात्मिक ज़िंदगी मिली है। मैं अपने साथी छात्रों को देखता हूँ कि वे विभिन्न समस्याओं में फँसे रहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सुकून में हूँ।"

जहाँ हर कोई पैसे जमा करने में व्यस्त रहता है, वहीं, अल्लाह के फज़ल से, मेरी यह आदत बन गई है कि जो भी पैसा हाथ में आता है, उसे अल्लाह की राह में दे देता हूँ।

मेरे दोस्त कहते हैं, "इसका कोई फ़ायदा नहीं," लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है कि मेरी ज़िंदगी इससे जुड़ी हुई है।

वे आगे बताते हैं कि "मैं अपने क्षेत्र में नौकरी की तलाश में था, कई मुश्किलें आ रही थीं। लेकिन अल्लाह के फज़ल से, चंदे की बरकत से मेरी यह समस्या हल हो गई।"

पहले मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, लेकिन अल्लाह तआला ने उसकी व्यवस्था भी कर दी।

पहले मेरी जेब हमेशा खाली रहती थी, लेकिन अब अल्लाह के फज़ल से मेरी जेब कभी खाली नहीं होती।

मैं चंदा देता हूँ और अल्लाह तआला किसी न किसी माध्यम से उसे वापस कर देता है।

भारत एक दोस्त की माली कुर्बानी का अनोखा अनुभव एक जमाअत के इंस्पेक्टर साहिब लिखते हैं:

"एक दोस्त का वक़्फ़-ए-जदीद का चंदा 24,000 था। चंदे के साल के ख़त्म होने में कुछ ही दिन बचे थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ रकम है, लेकिन इसे एक ज़रूरी काम के लिए इस्तेमाल करना है।"

"मैंने उनसे कहा कि यह वक़्फ़-ए-जदीद के साल का आख़िरी समय है, आप जैसा सही समझें, वैसा करें—अभी देना चाहते हैं या बाद में।"

"उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और पूरी रकम चंदे में दे दी।"

"अगले ही दिन उनका फोन आया: 'मेरा कारोबार का एक बड़ा अमाउंट अटका हुआ था, जो अचानक मिल गया। पूरी रकम तो नहीं, लेकिन 50,000 मिल गए हैं और बाकी रकम भी जल्द मिलने का वादा किया गया है।'"

"देखिए, अल्लाह तआला ने कैसे मदद की! जब इंसान अल्लाह की खातिर माली मोहब्बत छोड़ता है और अपनी ज़रूरतों से ऊपर उठकर जमाअत की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है, तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है।"

जमाअत अहमदिया में अल्लाह की मदद से माली व्यवस्था हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया:

"कोई भी नबी ऐसा नहीं गुज़रा जिसने जमाअत के संचालन के लिए माली कुर्बानी की तहरीक न की हो।"

जमाअत अहमदिया में भी जमाअती व्यवस्था को चलाने के लिए माली तहरीकें चलाई जाती हैं।

"तहरीक-ए-जदीद" और "वक़्फ़-ए-जदीद" के चंदे सीधे मरकज़ में आते हैं, जबकि बाकी चंदे स्थानीय स्तर पर खर्च होते हैं।

अफ्रीका में ज़्यादातर लोग अमीर नहीं हैं, फिर भी वे चंदा देते हैं। लेकिन जमाअत के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं:

7,953 मस्जिदें बन चुकी हैं। 306 मस्जिदें निर्माणाधीन हैं।

हर साल दर्जनों नई मस्जिदों की योजना बनाई जाती है।

1,860 मिशन हाउस चल रहे हैं (कुछ किराए पर, कुछ अपने हैं)।

400 से ज़्यादा मरकज़ी मुरब्बी (मिशनरी) काम कर रहे हैं।

2,000 से ज़्यादा मु'ल्लिमीन (शिक्षक) भी कार्यरत हैं।

इसके अलावा:

क़ादियान, साउथ अमेरिका, और द्वीपों में मिशन के ख़र्चे मरकज़ से पूरे किए जाते हैं।

मिशन चलाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर ख़र्चे होते हैं।

इस्लामी लिटरेचर की छपाई और मुफ़्त वितरण के लिए भी बड़ी रकम खर्च होती है।

सिर्फ़ "तहरीक-ए-जदीद" और "वक़्फ़-ए-जदीद" के चंदों को मिलाकर लगभग 31-30 मिलियन पाउंड बनते हैं।

अल्लाह के फ़ज़ल से, जमाअत के 106 देशों में मौजूद मिशनों को दी जाने वाली सालाना ग्रांट भी लगभग इसी के बराबर होती है।

इसके अलावा:

जमाअत की यूनिवर्सिटीज़ और "जामियात" में हर साल कई मिलियन खर्च होते हैं।

MTA (मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया) पर भी भारी खर्च किया जाता है।

मरकज़ के अन्य ख़र्चे भी हैं।

अल्लाह तआला ऐसे तरीक़े से इन खर्चों को पूरा करता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता।

अल्लाह का वादा: जो उसकी राह में खर्च करेगा, उसे कई गुना मिलेगा कई बार लगता है कि इतने खर्चे कैसे पूरे होंगे, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से कभी कमी नहीं होती।

हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) से अल्लाह तआला ने फ़रमाया था: "माल तो मैं तुझे दूँगा।

और हम देखते हैं कि अल्लाह तआला यह वादा पूरा कर रहा है।

दुआ है कि अल्लाह तआला हमेशा जमाअत को सही जगह और सही तरीक़े से खर्च करने की तौफ़ीक़ दे और किसी भी तरह की ग़लत खर्ची से बचाए। हज़त मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) का ऐलान "तुम्हारे लिए यह मुमकिन नहीं

कि एक साथ 'माल' से भी मोहब्बत करो और 'ख़ुदा' से भी।"

"तुम सिर्फ़ एक से मोहब्बत कर सकते हो।"

"ख़ुशक़िस्मत है वह इंसान जो 'ख़ुदा' से मोहब्बत करता है।"

"अगर तुम 'ख़ुदा' से मोहब्बत करके उसकी राह में माल खर्च करोगे, तो मैं यक़ीनन कहता हूँ कि तुम्हारे माल में दूसरों के मुक़ाबले में कहीं ज़्यादा बरकत होगी।"

"क्योंकि 'माल' अपने आप नहीं आता, बल्कि 'ख़ुदा' के इरादे से आता है।" "जो इंसान 'ख़ुदा' की राह में अपना कुछ माल छोड़ता है, वह उसे ज़रूर वापस पाएगा।"

"लेकिन जो इंसान 'माल' की मोहब्बत में पड़कर 'ख़ुदा' की राह में खर्च नहीं करता, वह अपना माल ज़रूर खो देगा।"

"यह मत सोचो कि 'माल' तुम्हारी मेहनत से आता है। यह सिर्फ़ और सिर्फ़ 'ख़ुदा' की देन है।"

"यह मत समझो कि 'माल' का कोई हिस्सा देकर या किसी और तरह की सेवा करके तुम 'ख़ुदा' या उसके भेजे हुए नबी पर कोई एहसान कर रहे हो।"

"बल्कि यह 'ख़ुदा' का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हें अपनी ख़िदमत के लिए बुलाया।"

"मैं सच-सच कहता हूँ, अगर तुम सब मुझे छोड़ दो और अपनी मदद से मुँह फेर लो, तो 'ख़ुदा' एक दूसरी क़ौम पैदा कर देगा जो उसकी ख़िदमत करेगी।"

"यक़ीनन समझ लो कि यह काम 'आसमान' से है और तुम्हारी सेवा सिर्फ़ तुम्हारी भलाई के लिए है।"

"ऐसा न हो कि तुम अपने दिल में 'तकब्बुर' (घमंड) करो और यह सोचो कि हम माली ख़िदमत करके 'ख़ुदा' पर कोई एहसान कर रहे हैं।"

"मैं बार-बार कहता हूँ: 'ख़ुदा' तुम्हारी ख़िदमतों का बिल्कुल मोहताज नहीं।"

"हाँ, यह उसका 'फ़ज़ल' (कृपा) है कि उसने तुम्हें ख़िदमत का मौक़ा दिया।"

(मजमूआ इश्तेहारात, जिल्द 3, पृष्ठ 498-497)

यह भावना, यह सोच जो हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) ने जमाअत में पैदा की

यह भावना और सोच जो हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) ने जमाअत अहमदिया में पैदा की, वह आज 135-130 साल बाद भी उसी जोश और ईमानदारी के साथ कायम है।

यह जज़्बा आज भी न सिर्फ़ पुराने अहमदियों में बल्कि नए शामिल होने वालों और युवाओं में भी मौजूद है।

वे अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, यह जानते हुए कि अल्लाह उनके माल में बरकत देता है।

अल्लाह तआला इन सभी कुर्बानी देने वालों के माल और जान में बरकत डाले।

वक़्फ़-ए-जदीद 2024 की रिपोर्ट अल्लाह के फ़ज़ल से, वक़्फ़-ए-जदीद का 67वां साल 31 दिसंबर को समाप्त हुआ।

जमाअत अहमदिया आलमी (वैश्विक) की ओर से :

13.68£ मिलियन (लगभग 14 मिलियन पाउंड) की माली कुर्बानी पेश की गई।

यह पिछले साल से 736,000£ अधिक है।

2025 के नए साल की शुरुआत कुर्बानियों और राशि के हिसाब से पहले स्थान पर "ब्रिटेन" (UK) है।

ब्रिटेन और कनाडा में बहुत करीबी मुकाबला था, लेकिन कनाडा अभी भी पीछे रह गया।

फिर नंबर 3 पर "जर्मनी" है, फिर अमेरिका, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया। फिर मिडिल ईस्ट की एक जमाअत, फिर इंडोनेशिया, फिर एक और मिडिल ईस्ट की जमाअत, और फिर बेल्जियम।

अफ्रीका में वक़्फ़-ए-जदीद की कुर्बानियों के अनुसार टॉप जमाअतें 1घाना

2मॉरीशस, 3बुर्किना फ़ासो (हालात कठिन होने के बावजूद कुर्बानियाँ जारी हैं) 4तंज़ानिया, 5लाइबेरिया, 6गाम्बिया, 7नाइजीरिया, 8सिएरा लियोन, 9बेनिन, कांगो (किन्शासा)

वक़्फ़-ए-जदीद में शामिल होने वालों की संख्या

15 लाख 51 हजार (1,551,000) लोग इस साल वक़्फ़-ए-जदीद में शामिल हुए।

पाकिस्तान में भी, कठिन हालात के बावजूद, चंदा देने वालों की संख्या में वृद्धि हुई।

इसके अलावा, नाइजीरिया, कैमरून, सिएरा लियोन, गाम्बिया और कांगो ब्राज़ाविल में भी कुर्बानियों में इज़ाफ़ा हुआ।

ब्रिटेन (UK) की टॉप 10 जमाअतें

1फ़ार्नहम (Farnham), 2वॉर्सेस्टर पार्क (Worcester Park), 3इस्लामाबाद, 4वाल्साल (Walsall), 5एल्डरशॉट साउथ (Aldershot South), 6ऐश (Ash), 7चेम साउथ (Cheam South), 8जिलिंगहैम (Gillingham), 9एल्डरशॉट नॉर्थ (Aldershot North), यूल (Ewell)

कनाडा की टॉप 10 जमाअतें

1वॉन (Vaughan), 2कैलगरी (Calgary), 3पीस विलेज (Peace Village), 4वैंकूवर (Vancouver), 5टोरंटो वेस्ट (Toronto West) 6ब्रैम्पटन ईस्ट (Brampton East) 7टोरंटो 8हैमिल्टन, 9एडमोंटन वेस्ट मिल्टन वेस्ट (Milton West) जर्मनी की टॉप 5 अमारातें 1हैम्बर्ग (Hamburg), 2फ्रैंकफर्ट (Frankfurt) 3वीज़बाडेन (Wiesbaden) 4ग्रॉस गेराउ (Gross-Gerau) 5रीडश्टेड (Riedstadt) अमेरिका की टॉप 10 जमाअतें, 1मैरीलैंड (Maryland) 2लॉस एंजेलेस (Los Angeles)

3नॉर्थ वर्जीनिया, 4सिलिकॉन वैली (Silicon Valley), 5सिएटल (Seattle)6डेट्रॉइट (Detroit), 7शिकागो (Chicago), 8डलास (Dallas)

9साउथ वर्जीनिय, ह्यूस्टन (Houston)

पाकिस्तान की टॉप 10 जमाअतें

1लाहौर, 2रबवा, 3 कराची 4इस्लामाबाद 5सियालकोट 6फैसलाबाद

7गुजरात 8गुंजरावाला 9सरगोधा मीरपुर खास

दुआओं की अपील 2025 का साल जमाअत अहमदिया के लिए बर्कतों से भरा हो।

अल्लाह तआला जमाअत को हर शर (बुराई) से बचाए।

पाकिस्तान में मज़हबी इंतिहापसंदों (कट्टरपंथियों) से हिफ़ाज़त करे।

रबवा की भी हिफ़ाज़त करे, जहां हर समय खतरा बना रहता है।

बांग्लादेश के अहमदियों को मज़हबी शिद्दतपसंदों के शर से बचाए।

शाम (सीरिया) में नई सरकार आई है, वहाँ के अहमदियों की हिफ़ाज़त करे।

अफ़्रीका और दुनिया के हर अहमदी की हिफ़ाज़त करे

दुनिया के हालात और जंगों के बुरे असरात से हर मज़लूम और मासूम को बचाए।

नए साल की मौजूदा दुनिया पर एक नज़र।

जब दुनिया नए साल का जश्न मना रही होती है। फायरवर्क्स कर रही होती है तब किसी को यह ख़्याल नहीं आता कि दुनिया के ग़रीबों और मज़लूमों पर क्या बीत रही है।

ताक़तवर क़ौमें ग़रीब मुल्कों पर ज़ुल्म कर रही हैं, और यह सिलसिला जारी है।

अल्लाह तआला इस साल इन ज़ालिम ताक़तों के नापाक मंसूबों को नाकाम करे।

अल्लाह तआला दुनिया में अपनी तौहीद (एकता) को स्थापित करे और हमें इसमें हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ दे।

आमीन!

★ ★ ★

हज़रत अमीरुल मौमेनीन खलीफ़तुल मसीह सानी (अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़) के दिल्ली में दिए गए उपदेश

28 सितंबर 1946 - मग़रिब और ईशा की नमाज़ के बाद

शुरुआत में कुछ मौजूदा राजनीतिक हालात पर बातचीत होती रही। इसके अलावा, हज़ूर ने कुछ ग़ैर-अहमदी साथियों को मुलाकात का सम्मान भी प्रदान किया।

"मा मलकत एयमानहुम " का अर्थ

एक दोस्त ने सवाल किया कि

"والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم"

(जो अपनी शराफ़त की हिफ़ाज़त करते हैं, सिवाय अपनी पत्नियों और जिन पर उनके हाथ का अधिकार हो) का क्या अर्थ है? क्या इनकी संख्या उतनी ही होती है

जितनी पत्नियों की?

हज़ूर ने फ़रमाया:

"मा मलकत एयमानहुम" (जिन पर हाथ का अधिकार हो) की संख्या निर्धारित नहीं है। इस्लाम ने ग़ुलामों को "किताबत" (अपनी आज़ादी का सौदा करने) का अधिकार दिया है। जो औरत यह समझे कि उसके बेटे, माता-पिता या अन्य रिश्तेदार हैं, वह ऐसी हालत में क्यों रहेगी? वह उसी समय तक इस स्थिति में रहेगी जब तक उसका कोई वारिस नहीं होगा।

हज़ूर ने फ़रमाया :

जंग में पकड़े गए क़ैदियों के बारे में अल्लाह तआला फ़रमाता है :

"إِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً" (या तो एहसान करके छोड़ दो, या फिर फिरौती लेकर रिहा करो)।

क़ैदियों के लिए दो विकल्प हैं:

या तो एहसान करके उन्हें आज़ाद कर दो।

अगर एहसान करके नहीं छोड़ सकते तो फिर उनसे फिरौती लेकर रिहा कर दो।

तीसरा तरीका यह है कि क़ैदी खुद को छुड़ाने की पेशकश करे, जिसे "किताबत" कहते हैं। यानी क़ैदी कहे कि वह आज़ाद होना चाहता है और बदले में एक तयशुदा रकम अदा करेगा। ऐसी स्थिति में उसे रिहा करना होगा, जब तक यह साबित न हो जाए कि वह व्यक्ति पागल है या कमाने के काबिल नहीं है। वह निर्धारित रकम किस्तों में अदा करेगा, और यह रकम उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार तय होगी। किताबत का अनुबंध होते ही उसे व्यावहारिक आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन क़ानूनी आज़ादी तब मिलेगी जब वह पूरी रकम अदा कर देगा। इस समय उसके मालिकाना हक खत्म हो जाएंगे। ऐसे हालात में वही औरत रहेगी जो खुद अपनी इच्छा से रहना चाहेगी।

ख़ुद्दामुल-अहमदिया दिल्ली से ख़िताब

29 सितंबर - नमाज़-ए-ज़ुहर के बाद, तीन बजे हज़रत अमीरुल मौमेनीन (अल्लाह उनकी मदद करे) ने दिल्ली में ख़ुद्दामुल-अहमदिया (युवा संगठन) को संबोधित किया और फ़रमाया:

"ख़ुद्दाम ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं उन्हें नसीहत करूं और कुछ बातें बताऊं।

मेरी समझ से, बातें करने का दौर अब लंबा हो चुका है। बातें या तो सोने के लिए होती हैं, या फिर उनके बाद काम किया जाता है। अब सोने का वक्त हमारे लिए नहीं है। इस्लाम पर हर तरह की मुसीबतें और कठिनाइयाँ आ रही हैं। इस्लाम को अपमानित और अपदस्थ करने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं।"

"अगर हम अब भी सोते रहे, तो यह सिर्फ़ नींद नहीं होगी बल्कि हमारी मौत होगी। दूसरी बात यह है कि अगर बातों के बाद कोई काम न किया जाए, तो फिर बातें बेकार हैं। बहुत बातें हो चुकी हैं। 1890 में हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) ने अपनी मसीहियत का दावा किया, जिसे आज 56 साल हो चुके हैं। अगर इतनी लंबी बातचीत के बाद भी फ़ायदा नहीं उठाया गया, तो फिर कब उठाओगे?"

"क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला फ़रमाता है: 'अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लि-ज़िकरिल्लाह' (क्या ईमान वालों के लिए अब भी वह समय नहीं आया कि वे अल्लाह की याद से डरने लगें?)"

"यही बात मैं नौजवानों से कहता हूँ कि 'अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम' – क्या अभी भी उन्हें और अधिक बातों की ज़रूरत है? क्या अब उनके लिए काम करने का समय नहीं आ गया?"

हर मुसलमान को यह महसूस होना चाहिए कि अगर उसके दिमाग में जज़्बात और भावनाएँ हैं, अगर उसके दिल में एहसास और इच्छाएँ हैं, अगर उसकी आँखें खुली हैं, तो वह देखे कि वह कहाँ से गिरकर कहाँ पहुँच गया है। मैं हैरान होता हूँ कि मुसलमान भूगोल पढ़ते हैं और नक्शा देखते हैं, मगर नक्शा देखते ही उनका दिल बैठ क्यों नहीं जाता कि कभी यह सारा नक्शा मुसलमानों के कब्जे में था, लेकिन आज हर जगह मुसलमान ज़लील हैं। एक वह ज़माना था जब इस्लामी रंग नक्शे पर चीन से लेकर आख़िर तक फैला हुआ था। मुसलमानों ने चीन पर हुकूमत की। जापान की औरतें आज तक जब अपने बच्चों को डराती हैं, तो कहती हैं, "चुप! ग्रेट मुग़ल आ गया!" फिर यूरोप के किनारों तक इस्लामी हुकूमतें थीं। अमेरिका में भी पुरानी मस्जिदें मिली हैं। वहाँ हुकूमत मुसलमानों को मिली या नहीं, मगर मुसलमान वहाँ पहुँचे ज़रूर थे।

तो आज मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि कौन-सी चीज़ बाकी है जो मैं तुम्हें सिखाऊँ? क्या आसमान ने तुम्हें नहीं सिखाया? ज़मीन ने तुम्हें नहीं सिखाया? तुम्हारे आस-पास के पड़ोसियों ने तुम्हें नहीं सिखाया? फिर कौन-सी चीज़ बाकी है जो तुम्हें अमल (कर्म) से रोक रही है? तुम और किस दिन का इंतेज़ार कर रहे हो? जब तुम्हारे प्राणों की कुर्बानियाँ पेश होंगी? यह ज़िंदगी किस काम आएगी? आज दुनिया में गुमराही फैल रही है, अंधकार बढ़ रहा है, झूठ और धोखे की अधिकता है। ऐसी हालत में अगर तुम अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के प्रचार के लिए पेश नहीं करते, तो फिर कब करोगे?

अपनी तक़रीर को जारी रखते हुए हज़ूर ने फ़रमाया—हर अहमदी वादा करता है कि वह दीन को दुनिया पर प्राथमिकता देगा, और प्राथमिकता देने का मतलब यह है कि वह अपने समय का अधिकतर भाग दीन के लिए खर्च करे और थोड़ा हिस्सा अन्य कार्यों के लिए रखे। अगर तुम ऐसा करते हो, तो वास्तव में तुम "ख़ुद्दाम-उल-अहमदिया" हो और वास्तव में तुम्हारे ज़रिए इस्लाम फैलेगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते, तो काम फिर भी होना ही है, मगर तुम अल्लाह के सामने अच्छे और सच्चे सेवक और बहादुर सिपाही के रूप में प्रस्तुत नहीं हो सकोगे, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे वादों को झूठा साबित कर देंगे।

इसलिए अपने अंदर नेक बदलाव लाओ और अमल करो, क्योंकि सिर्फ़ बातें करने का अब समय नहीं है। अपनी संगठन को मजबूत बनाओ। दीन के लिए कुर्बानी दो। इंसानियत की सेवा करो।

आख़िर में हज़ूर ने फ़रमाया—आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तक, जो तरीका अल्लाह ने रूहानी जमाअतों के लिए रखा है, वही हमारे लिए भी है। अल्लाह तआला न तो हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की जमाअत का दुश्मन था, न हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) की जमाअत का, न हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) की जमाअत का, न मोहम्मद रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की जमाअत का, और न ही हमारा कोई रिश्तेदार है। जब तक तुम उन्हीं कठिनाइयों से नहीं गुज़रोगे जिनसे वे गुज़रे, जब तक वे मुसीबतें नहीं उठाओगे जो उन्होंने उठाईं, जब तक उन्हीं आरी से चीरने वाली तकलीफों से नहीं गुज़रोगे जिनसे वे गुज़रे, तब तक तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते। मौत और सिर्फ़ अल्लाह के लिए मौत ही असली ज़िंदगी है।

हज़ूर का यह भाषण लगभग एक घंटे तक जारी रहा। इसका अपने शब्दों में यह सार प्रस्तुत किया गया है।

(ख़ाकसार: बशीर अहमद, मुबल्लिग़, दिल्ली)

(रोज़नामा अल्-फज़ल, क़ादियान दारुल-अमान, 4 अक्टूबर 1946)

★ ★ ★

हज़रत अमीरुल मौमेनीन खलीफ़तुल मसीह सानी (अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़) के दिल्ली में दिए गए उपदेश

हज़रत अमीर-उल-मौमेनीन खलीफ़तुल मसीह सानी (अय्यदहुल्लाहु बिनस्रिहिल-अज़ीज़) 22 सितंबर को दिल्ली तशरीफ लाए। रोज़ाना, हज़ूर मगरीब और इशा की नमाज़ के बाद मज्लिस में रौनक अफ़रोज़ होते और मारिफ़ (ज्ञान) बयान फ़रमाते।

27 सितंबर को हज़ूर ने जुमे की नमाज़ मस्जिद अहमदिया दरियागंज में पढ़ाई। ख़ुत्बे में जमाअत को मौजूदा दौर में अंबिया (नबियों) की जमाअतों की तरह कुर्बानियाँ करने की तरफ़ तवज्जोह दिलाते हुए जो कुछ फ़रमाया, उसका सारांश अपने अल्फ़ाज़ में पेश किया जाता है। फ़रमाया:

ख़ुत्बा-ए-जुम्मा का मफ़हूम

हमारी मिसाल दूसरे मुसलमानों से नहीं मिलती। हम उन जमाअतों में से नहीं हैं जो अपने असल ज़रिये (मंबा) से दूर हो चुकी हैं। हमारा तो दावा है कि अल्लाह तआला ने हमारे अंदर एक रसूल भेजा, जिस तरह हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) को भेजा, हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) को भेजा, हज़रत रामचंद्र (अलैहिस्सलाम), हज़रत बुद्ध (अलैहिस्सलाम) और हज़रत जरथुश्त (अलैहिस्सलाम) को भेजा। इस वजह से हमारा दूसरों से मुक़ाबला ही क्या हो सकता है? एक ऐसे गिरोह से ताल्लुक़ रखने वालों और उनसे दूर रहने वालों की तुलना नहीं की जा सकती। हमारी मिसाल मोहम्मद रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की जमाअत की है, हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की जमाअत की है, हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) की जमाअत की है। जब तक हम उनकी तरह कुर्बानियाँ नहीं करते, तब तक हमारी बड़ी से बड़ी कुर्बानी की कोई हैसियत नहीं है। दूसरी क़ौमों से हमारी तुलना करना हमारी तौहीन है, बानी-ए-सिलसिला अहमदिया (अहमदिया आंदोलन के संस्थापक) की तौहीन है और मोहम्मद रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की तौहीन है।

इसी सिलसिले में फ़रमाया सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने किस तरह अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दीं। उन्होंने कभी यह ख्याल भी नहीं किया कि उनके निजी काम पहले हैं। हम तो कहते हैं कि हमें अपने बीवी-बच्चों का भी ख्याल रखना है, लेकिन क्या सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के बीवी-बच्चे नहीं थे? क्या उनके पेट नहीं थे? जब उनके लिए यह चीज़ें रुकावट नहीं बनीं, तो हमारे लिए कैसे बन सकती हैं? अगर हम बीवी-बच्चों की वजह से कुर्बानी में कमी करें, तो हम अल्लाह से यह कह भी नहीं सकते, क्योंकि वह हमारे सामने हजारों-हजार ऐसे लोगों को पेश करेगा और कहेगा कि क्या इनके बीवी-बच्चे नहीं थे? जब उनके लिए यह रुकावट नहीं बनीं, तो तुम्हारे लिए कैसे बनीं? वह कौन-सी तकलीफ़ है जो आज नौकरों को पहुँचती है, लेकिन उस दौर में सहाबा को नहीं पहुँची?

कुछ सहाबा तो ग़ुलाम थे, जो 24 घंटे अपने मालिकों के अधीन रहते थे। उनके मालिक उन्हें नमाज़ से रोकते, तबलीग (प्रचार) से रोकते और न सिर्फ़ रोकते बल्कि इन कामों की वजह से उन्हें सज़ा भी देते थे। आख़िर, वह कौन-सी चीज़ है जो हमारे लिए नई है और पहले के लोगों के लिए नहीं थी?

नबियों की जमाअत में दाख़िल होने का मतलब यह होता है कि कुर्बानियाँ दी जाएँ।

हमारे किसी भी सदस्य का समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमारे अधिकांश समय को दीन (धर्म) की शिक्षा और प्रचार में लगाना चाहिए। हमारी मज्लिसों में ज़्यादातर धार्मिक बातें होनी चाहिए। हमारी नमाज़ और दूसरों की नमाज़ में फर्क़ होना चाहिए। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि वे जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं। क्या हमारी नमाज़ ऐसी होनी चाहिए?

इसी तरह हमारी मालीय (आर्थिक) कुर्बानी है। क्या हमारी आर्थिक कुर्बानी सही मायने में कुर्बानी है? अभी चंदों में सुस्ती है। कुछ लोग देते ही नहीं, कुछ कम देते हैं और कुछ अपनी आमदनी कम बताकर योगदान से बचते हैं।

हज़ूर ने दिल्ली की जमाअत को ख़ास तौर पर मुख़ातिब करते हुए फ़रमाया: यहाँ के लोगों पर इसलिए ज़िम्मेदारी है क्योंकि यह पूरे हिंदुस्तान की राजधानी है।

दिल्ली के राजधानी होने की वजह से यहाँ मद्रास, बंबई, यूपी, पंजाब और सरहद से लोग आते हैं। वे लोग जहाँ दुनिया के प्रभाव लेकर जाएँगे, वहीं उन्हें जमाअत के धार्मिक प्रभाव भी लेकर जाने चाहिए। इसलिए यहाँ के लोग जुनून के साथ तबलीग़ (धर्म प्रचार) शुरू कर दें।

मैं दिल्ली की जमाअत को नसीहत करता हूँ कि वे अपने स्थान को समझें। यह वह जगह है जहाँ बड़े-बड़े औलिया अल्लाह (पवित्र संत) दफ़न हैं। फिर यह हिंदुस्तान की राजधानी भी है। यह अल्लाह तआला का फ़ज़ल (कृपा) है कि उसने हमें ऐसे समय में काम करने का मौक़ा दिया, जब दूसरे लोग ग़ाफ़िल (बेपरवाह) हैं। हमें जल्दी-जल्दी अल्लाह तआला का सवाब (पुण्य) समेट लेना चाहिए ताकि दूसरों के आने पर सवाब की क़ीमत कम न हो जाए। इसलिए अपने अंदर बदलाव लाओ, अल्लाह से सुलह करो और पूरी कोशिश करो ताकि अल्लाह के जाँबाज़ सिपाहियों में तुम्हारा नाम लिखा जाए।

मग़रिब और इशा की नमाज़ हज़ूर ने कोठी 8, यार्क रोड में पढ़ाई। नमाज़ों के बाद हज़ूर ने आए हुए कुछ ग़ैर-अहमदी मेहमानों को मुलाक़ात का मौक़ा दिया। इसके बाद हज़ूर ने एक निकाह का ऐलान फ़रमाया।

ख़ुत्बा-ए-निकाह का मफ़हूम निकाह के ख़ुत्बे में हज़ूर ने फ़रमाया :

दुनिया का सारा अमन और सुकून शादी-ब्याह पर निर्भर करता है। ज़ाहिर तौर पर यह ऐलान मामूली मालूम होता है, लेकिन हक़ीक़त में पूरी दुनिया की राजनीति, सरकारें और आर्थिक स्थिति निकाह से जुड़ी हुई हैं।

निकाह की रस्म सभी क़ौमों में मौजूद है और इस अवसर पर खुशियाँ मनाई जाती हैं। कहीं बाजे बजाए जाते हैं, हिंदुओं में मिठाइयों के ढेर लगाए जाते हैं, फेरे दिए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह ख़ुशी का मौक़ा होता है, लेकिन इस्लाम ने इसे सिर्फ़ ख़ुशी का मौक़ा नहीं माना, बल्कि मर्द और औरत को गंभीरता से सोचने के लिए कहा है। यह बताया गया है कि इसी निकाह से हज़ारों तरह की ख़ूबियाँ या बुराइयाँ पैदा हो सकती हैं।

हज़ूर अनवर ने फ़रमाया : नबी (पैग़ंबर) औरतों से पैदा होते हैं और नबियों के दुश्मन भी औरतों से ही पैदा होते हैं। जब फ़िरऔन के माँ-बाप का निकाह हुआ होगा, तो कितनी धूमधाम से हुआ होगा। लाखों रुपये का दहेज दिया गया होगा, पूरे देश में रोशनी की गई होगी कि एक शहज़ादे की शादी हो रही है। मगर किसी के दिमाग़ में यह ख़्याल नहीं आया होगा कि इसी धूमधाम वाली शादी से वह इंसान पैदा होगा, जिस पर हमेशा लानतें बरसेंगी।

इसके मुक़ाबले में जब हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के माता-पिता का निकाह हुआ, तो उनकी ख़ुशी शायद इतनी रही होगी कि उन्होंने पाँच-सात लोगों को खाना खिला दिया होगा। न तो पूरे देश में रोशनी हुई होगी, न ही किसी शहर में। शायद किसी क़स्बे में भी नहीं। बल्कि संभव है कि उन्होंने अपने घर में भी रोशनी न की हो। मगर कौन कह सकता था कि इसी सादगी भरी शादी के नतीजे में वह इंसान पैदा होने वाला है, जिस पर दुनिया के हर कोने से रहमतें (दया) भेजी जाएँगी।

इसीलिए इस्लाम ने निकाह के मौक़े पर नसीहत फ़रमाई है कि यह एक ऐसा कार्य है, जो आगे चलकर बड़े नतीजे पैदा करता है। इसलिए इसे दुआओं के साथ अंजाम दो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौक़ा होता है, इसलिए अल्लाह से दुआ करते हुए इसमें क़दम रखना चाहिए, ताकि अल्लाह तआला ख़ुद इसका हाफ़िज़ और नासिर (संक्षक और सहायक) बन जाए।

आख़िर में हज़ूर ने दुआ करवाई। फिर फ़रमाया, "मेरे सर में दर्द है, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता।"

(ख़ाकसार बशीर अहमद, मुबल्लिग़ सिलसिला आलीया अहमदिया, दिल्ली)

(रोज़नामा अल्-फ़ज़ल, क़ादियान दार-उल-अमान, 2 अक्टूबर 1946)

★ ★ ★

हज़रत अमीरुल मौमेनीन खलीफ़तुल मसीह सानी (अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़) के दिल्ली में दिए गए उपदेश

दिल्ली, 28 सितंबर:

हज़रत अमीर-उल-मौमेनीन अय्यदाहुल्लाह तआला बिनस्रहिल अज़ीज़ ने आज ज़ुहर और अस्र की नमाज़ कोठी नंबर 8, यॉर्क रोड में पढ़ाई। नमाज़ों के बाद हज़ूर मज्लिस में तशरीफ़ लाए। कई हिंदू और ग़ैर-अहमदी हज़रात ने सवाल किए, जिनके हज़ूर ने जवाब दिए। इनका सारांश नीचे दर्ज किया जाता है।

दुआ का असर एक हिंदू मित्र ने सवाल किया:

"अगर दुआ में असर है तो ऐसी दुआ क्यों नहीं करते जिससे हिंदू-मुसलमानों में सुलह हो जाए? आप इतनी दूर नेताओं से मिलने आए हैं। अगर आपका अल्लाह से संबंध है, तो आप दुआ करें कि हिंदू-मुस्लिम एक हो जाएँ। फिर आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी।"

हज़ूर ने फ़रमाया : "सबसे पहली बात तो यह है कि अगर ईश्वर (भगवान) है, जैसा कि आप समझते हैं, तो आपको मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी? ईश्वर मुझे क़ादियान में ही रोक लेता और ख़ुद ही यह काम कर देता। इससे पता चलता है कि आपका सवाल सही नहीं है, बल्कि अल्लाह तआला का निज़ाम (व्यवस्था) किसी और तरीक़े से चलता है। अगर मामला वैसा होता, जैसा आप कहते हैं, तो फिर न कोशिश की ज़रूरत होती, न ही दुआ की, क्योंकि ईश्वर स्वयं ही सब कुछ कर देता।

लेकिन अल्लाह तआला का निज़ाम ऐसा नहीं है। अगर वह ख़ुद ही सब काम कर देता, तो फिर इंसान की कोशिशों और उसकी रुचि का कोई सवाल ही नहीं होता, और न ही वह किसी सवाब (पुण्य) का हक़दार बन सकता। उदाहरण के तौर पर, राम या कृष्ण जी ने जो कार्य किए, अगर ईश्वर ने स्वयं ही वह सब कर दिया होता, तो फिर कृष्ण जी की हिम्मत का पता ही नहीं चलता। कृष्ण जी के प्रयास से जहाँ ईश्वर की शक्ति प्रकट हुई, वहीं उनकी हिम्मत भी ज़ाहिर हुई।

इसी तरह, अल्लाह तआला इंसानों से कार्य कराता है ताकि उसकी महानता भी प्रकट हो और इंसान की मेहनत व हिम्मत का भी पता चले।"*

सवालों के जवाब एक मित्र ने कुछ सवाल लिखकर हज़ूर की सेवा में पेश किए। इनमें से कुछ के उत्तर संक्षेप में नीचे प्रस्तुत हैं।

मौत के बाद रूह (आत्मा) का क्या होता है?

हज़ूर ने फ़रमाया : "इस विषय पर मेरी किताब 'अहमदियत' में पूरी चर्चा की गई है। हमारा यह अक़ीदा (विश्वास) है कि रूह एक निचोड़ (सार) है, जो इंसानी जिस्म से उत्पन्न होती है और फिर एक समानांतर अस्तित्व बन जाती है। इसलिए रूह कभी शरीर से पूरी तरह अलग नहीं होती, बल्कि हमेशा किसी न किसी शरीर में रहती है। जब रूह इस दुनिया के शरीर से अलग होती है, तो उसे एक नए प्रकार का शरीर मिल जाता है।

इस्लाम बताता है कि मरने के बाद भी इंसान की तरक़्क़ी (आध्यात्मिक उन्नति) जारी रहती है, यहाँ तक कि 'क़ियामत का दिन' (Day of Judgment) आ जाता है।"

इस समय बुराइयों में पड़े रहने वाले सज़ा भुगतते हैं और नेकी करने वाले इनाम पाते हैं।

अल्लाह तआला की तरफ़ से कोई ख़ास सज़ा नहीं होती, बल्कि इंसान अपने कर्मों के अनुसार जो कुछ प्राप्त करता है, वही उसे तकलीफ़ या सुकून देता है।

अल्लाह ने कोई भी चीज़ बुरी नहीं बनाई। उदाहरण के तौर पर, संखिया एक ज़हर है और ख़तरनाक भी है, लेकिन कई बीमारियों के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। गंधक (सल्फ़र) भी कितनी ख़तरनाक होती है, मगर इससे कितनी ही बीमारियाँ दूर की जाती हैं, जैसे कोढ़ और आग से जलने के इलाज में इसका उपयोग होता है।

इसी तरह, परलोक की सभी चीज़ें भी अच्छी हैं, लेकिन इंसान की अंदरूनी बीमारी ही किसी चीज़ को बुरा या अच्छा बना देती है। इंसान अपनी शक्तियों का ग़लत इस्तेमाल करता है और उसी से उसे तकलीफ़ होती है।

हम दुनिया में भी देखते हैं कि किसी भी चीज़ का ग़लत समय पर या अनुचित मात्रा में उपयोग करने से तकलीफ़ और नुकसान होता है। जहन्नुम (नरक) स्थायी नहीं है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे इलाज के लिए कोई अस्पताल में जाता है। जब तक वह बीमार रहता है, अस्पताल में रहता है, और जब ठीक हो जाता है तो बाहर आ जाता है।

इसी तरह, जब इंसान अल्लाह की ओर रुख़ करेगा और अपने दिल को साफ़ करेगा, तो वह जन्नत (स्वर्ग) का हक़दार हो जाएगा। जो चीज़ें पहले उसे बुरी लगती थीं, वे अच्छी लगने लगेंगी, क्योंकि अंदरूनी बदलाव के साथ बाहरी बदलाव भी आ जाता है।

जन्नत सुकून की अवस्था और अल्लाह तआला के क़रीब होने की स्थिति है। यह स्थिति स्थायी होती है, क्योंकि अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ है कि वह अपने पास पहुँच चुके बंदे को कभी ठुकरा दे।

इस्लामी इबादतें और चाँद

एक व्यक्ति ने सवाल किया कि इस्लाम के त्योहार और इबादतें चाँद से क्यों संबंधित हैं?

हज़ूर अनवर ने फ़रमाया : "चाँद से जुड़ी होने की वजह से इबादतें हर समय बदलती रहती हैं, जबकि सूरज से जुड़ी इबादतें स्थिर हो जातीं।"

उदाहरण के लिए, रमज़ान के रोज़े चाँद के हिसाब से चलते हैं, इसलिए ये कभी जनवरी में आते हैं, कभी फ़रवरी में। यानी हर महीने, हर हफ़्ते और हर दिन में रोज़ा आ सकता है। कोई ऐसा समय नहीं होगा जिसमें रोज़ा न आए।

इसी तरह, हज (तीर्थ यात्रा) भी चाँद के हिसाब से चलता है। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई महीना या दिन नहीं होगा जब हज न हो।

तो इस्लामी इबादतों को चाँद के साथ जोड़ने का उद्देश्य यह है कि अल्लाह की इबादत पूरे साल चलती रहे और सभी समय में बनी रहे।

(ख़ाकसार: बशीर अहमद, मुबल्लीग़ सिसिला-ए-आलिया अहमदिया, दिल्ली)

(रोज़नामा अल्-फ़ज़ल, क़ादियान, 3 अक्टूबर 1946)

★ ★ ★

अख़बार बदर के अंकों की रक्षा करें

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की यादगार अख़बार "अख़बार बदर" 1952 ई.से लगातार क़ादियान दारुल अमान से मुद्रित हो रहा है, और जमआत की दीनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। इस में क़ुरआन-ए-करीम की आयात, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीसे, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मलफ़ूज़ात और लेखनी के इलावा सय्यदना हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के ताज़ा ख़ुतबात जुमा और खिताबात, अध्याम्त्पूर्ण संदेश, ख़ुतबा जुमा प्रश्न उत्तर के रूप में और हुज़ूर के दौराजात की निहायत ईमान अफ़रोज़ और दीनी और दुनियावी इलम के ख़ज़ानों से भरपूर रिपोर्टस प्रकाशित होती हैं। इनका अध्यन करना, उनको दूसरों तक पहुंचाना, इन पर अमल करना और उनके माध्यम से अपनी और अपने बच्चों की तालीम-और-तर्बीयत करना हम सब का फ़र्ज़ है। इन समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अख़बार बदर के शुमारों को हिफ़ाज़त के साथ अपने पास सुरक्षित रखना हम सब की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है।

दीनी तालीम-ओ-तर्बीयत पर आधारित यह मुक़द्दस अख़बार तक़ाज़ा करता है कि इस का सम्मान किया जाए। इस लिए उसको रद्दी में बेचना यह सम्मान का उल्लंघन करने के समान है। यदि इस को सँभालना मुम्किन न हो तो सावधानी के साथ इस को नष्ट करें ताकि इन पवित्र लेखनियों का अपमान न हो। उम्मीद है कि जमआत इस तरफ़ विशेष ध्यान फ़रमाएँ गी और इस से भरपूर लाभ प्राप्त करते हुए इन विषयों को समक्ष रखेंगे।

संस्थान

★ ★ ★

हज़रत अमीरुल मौमेनीन खलीफ़तुल मसीह सानी अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की मज्लिस -ए- इरफ़ान

क़ादियान - 17 तबूक (सितंबर) आज सैय्यदना हज़रत अमीरुल मौमेनीन, मुस्लेह मौऊद, खलीफ़तुल मसीह सानी अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने नमाज़-ए-मग़रिब के बाद एक सभा में जो महत्वपूर्ण बातें बयान फ़रमाईं, उनका संक्षिप्त सार निम्नलिखित है :

नमाज़ को संजीदगी और सुकून से पढ़ो।

कुछ समय पहले मैंने नसीहत की थी कि नमाज़ बहुत संजीदगी और सुकून के साथ अदा की जाए और उसके बाद सुन्नत के अनुसार अल्लाह की तस्बीह (महिमा) और तहमीद (प्रशंसा) की जाए। कुछ समय तक इस पर अमल किया गया, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि धीरे-धीरे इसे भुलाया जा रहा है।

अभी मैंने एक रकअत ही पढ़ी होती है कि नीचे से आने वालों के क़दमों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि वे नमाज़ में पीछे शामिल होते हैं, लेकिन फिर मुझसे पहले ऊपर आ जाते हैं। उनके पहले आ जाने का मतलब यह हुआ कि उन्होंने मेरी एक रकअत के दौरान पूरी नमाज़ अदा कर ली, फिर दो सुन्नतें पढ़ लीं, तस्बीह भी कर ली और दौड़कर ऊपर भी आ गए।

जल्दी में पढ़ी गई नमाज़, नमाज़ नहीं होती। इस तरह वे एक और आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने नमाज़ में दौड़कर शामिल होने से मना किया है। ऐसी जल्दबाज़ी में पढ़ी गई नमाज़ को उन्होंने "नमाज़" ही नहीं माना।

इसलिए, एक बार एक व्यक्ति जल्दी-जल्दी नमाज़ अदा कर रहा था और उसके रुक्न (अवयव) अधूरे थे। इस पर नबी-ए-करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया:

"صَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"

"फिर से नमाज़ पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी यह नमाज़ नहीं हुई।"

आख़िरकार, उसे सिखाया गया कि हर हरकत को संजीदगी और इत्मीनान के साथ पूरा किए बिना नमाज़ पूरी नहीं होती। अगर नमाज़ को संवारकर न पढ़ा जाए, तो वह नमाज़ ही नहीं कहलाती।

क्या यह उचित है कि मेरी सभा के लिए अल्लाह की सभा को छोड़ा जाए?

यह भी अत्यंत अफ़सोस की बात है कि कुछ लोग हमारी सभा में आने के लिए अपनी नमाज़ को ख़राब कर देते हैं। जबकि हमारी सभा तो सिर्फ़ हमारी संगति (सोहबत) है, लेकिन नमाज़ अल्लाह तआला की संगति है। कितना ही बदनसीब है वह व्यक्ति जो एक छोटी चीज़ के लिए बड़ी चीज़ को छोड़ दे।

क्या यह बदतमीज़ी (बेबहरमी) नहीं है कि कोई अल्लाह की सभा से भागकर हमारी सभा में आ जाए?

महत्वपूर्ण बातों को नज़रअंदाज़ करना बहुत दुखद है।

यह भी बहुत दुखद है कि किसी चीज़ की महत्ता स्पष्ट कर दी जाए और ताक़ीद (ज़ोर देकर कहा) भी जाए, फिर भी उसे भुला दिया जाए।

इस तरह की नमाज़ महज़ दिखावे की नमाज़ होती है, जो अपमान (ज़िल्लत) और बदनामी (रसवाई) का कारण बनती है और अल्लाह तआला की नाराज़गी का सबब बनती है।

अल्लाह की प्रसन्नता (रज़ा) उसी इबादत से मिलती है, जो सच्चे दिल से की जाए

अल्लाह तआला की रहमत और प्रसन्नता केवल उसी इबादत से प्राप्त हो सकती है, जो पूरी तल्लीनता (ख़ुशू व ख़ुज़ू) और इत्मीनान (सुकून) से अदा की जाए।

निःसंदेह यह हुक्म (आदेश) है कि जमाअत (सामूहिक) नमाज़ में बहुत लंबी नमाज़ न पढ़ाई जाए। लेकिन यह आदेश व्यक्तिगत (इंफ़रादी) नमाज़ पर लागू नहीं होता।

बल्कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सुन्नत यह थी कि वह रात को इतनी देर तक खड़े रहते कि उनके पाँव सूज जाते और वे करीब तीन घंटे में तहज्जुद की नमाज़ अदा करते थे।

नमाज़ के लिए दौड़कर आना इबादत के शौक़ को नहीं दर्शाता, बल्कि यह नमाज़ की बेअदबी को दर्शाता है।

ज़रूरी है कि नमाज़ के बाद, पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सुन्नत के अनुसार, तस्बीह (अल्लाह की पवित्रता का बयान) और तहमीद (अल्लाह की प्रशंसा) की जाए।

क्या आप इतनी स्पष्ट बात को नहीं समझ सकते कि:

जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को तस्बीह और तहमीद की ज़रूरत थी, तो आपको इसकी ज़रूरत क्यों नहीं?

जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को धीरे-धीरे नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत थी, तो आपको क्यों नहीं?

जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को संजीदगी और सम्मान के साथ मस्जिद में आने की ज़रूरत थी, तो आपको इसकी परवाह क्यों नहीं?

हालाँकि, हम अल्लाह के फ़ज़ल (कृपा) को पाने के लिए हज़ारों गुना ज़्यादा मेहनत के मुहताज हैं, जबकि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पहले ही इसका भरपूर हिस्सा पा चुके थे।

तस्बीह, तहमीद और दरूद की अहमियत इसके बाद, हज़ूर ने उन लोगों से खड़े होने को कहा जो उनकी पहले की हिदायत के अनुसार 33 बार "सुब्हान अल्लाह", 33 बार "अल-हम्दु लिल्लाह" और 34 बार "अल्लाहु अकबर" पढ़ते थे। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे।

फिर, हज़ूर ने उन लोगों से खड़े होने को कहा जो रोज़ाना 12 बार दरूद शरीफ़ और तस्बीह पढ़ने का नियम बनाते थे। लेकिन उनकी संख्या भी कम थी।

इस पर हज़ूर ने अफ़सोस जताते हुए फ़रमाया:

"हम उस ज़ात के फ़ज़लों (कृपाओं) के नीचे दबे हुए हैं, जिसके एहसानों की वजह से हमारी गर्दनें झुकी हुई हैं। फिर भी, अगर हम उसके एहसानों और फ़ज़लों का मामूली बदला भी दरूद और तहमीद के रूप में अदा न कर सकें, तो यह कितना बड़ा अफ़सोस और शर्मिंदगी का मक़ाम है!"

रूहानी क़ुव्वत और ज़िक्र की ज़रूरत हज़ूर ने फ़रमाया:

"जिस तरह हमारी जिस्मानी ज़िंदगी को बरक़रार रखने के लिए माद्दी (भौतिक) ग़िज़ा (आहार) ज़रूरी है, उसी तरह हमारी रूह (आत्मा) को क़ायम रखने के लिए रूहानी ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है।"

हक़ीक़त यह है कि तस्बीह, तहमीद और अल्लाह के ज़िक्र के बिना खाने का सही असर नहीं होता, और न ही जिस्म (शरीर) की तरक्क़ी होती है।

हज़रत मसीह मौद (अलैहिस्सलाम) ने इस हक़ीक़त को "सुरह अल-मोमिनून" की तफ़्सीर में, "बराहीने अहमदिया" (भाग 5) में बयान किया है।

उन्होंने फ़रमाया कि "हमारी रूह हमारे जिस्म से ही बनती है।" यही वह मौज़ू है जो पूरे तसव्वुफ़ (सूफ़ीवाद) की जड़ और बुनियाद है। अगर इस मसले की पूरी तशरीह (व्याख्या) की जाए, तो हज़ारों सूफ़ी किताबें इस पर क़ुर्बान हो सकती हैं।

जिस खाने के साथ तस्बीह और तहमीद को मिलाया जाए, वह सिर्फ़ जिस्मानी ग़िज़ा नहीं रहती, बल्कि रूहानी ग़िज़ा बन जाती है।

जिस तरह एक शरबत के अलग-अलग तत्व जिस्म के अलग-अलग हिस्सों की तरक्क़ी में मदद करते हैं

पानी पेट की सफ़ाई करता है, मिठास ताक़त का सबब बनती है,

उसी तरह, वह ग़िज़ा (भोजन) जिसमें तस्बीह और तहमीद मिलाई जाती है, वह एक रूहानी असर पैदा करती है। खाने से जिस्म को ग़िज़ा मिलती है, और तस्बीह व तहमीद से वह खाना रूहानियत में इज़ाफ़ा करता है।

अल्लाह की नेमतों पर शुक्र और तस्बीह की अहमियत एक इंसान अल्लाह की अनगिनत नेमतों को देखकर मजबूर हो जाता है कि वह उसकी हम्द (प्रशंसा) और शुक्र (आभार) अदा करे।

हमें ताज्जुब होता है कि अल्लाह तआला ने पूरी दुनिया को हमारे लिए मुसख़्ख़र (अधीन) कर दिया है, और हर तरह की नेमतें हमें बख़्शी हैं।

इनका बदला हम सिर्फ़ शुक्र अदा करके ही चुका सकते हैं।

लेकिन अगर हम यह भी न करें, तो यह बेहद अफ़सोस की बात होगी।

रूह की पाकीज़गी और हलाल रिज़्क़अज़ान के बाद हज़ूर ने फ़रमाया:

"मैं यह बयान कर रहा था कि हज़रत मसीह मौद (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि ग़िज़ा (भोजन) ही असल चीज़ है जिससे रूह बनती है।"

रूह की इस्लाह (शुद्धि) का सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि मूल स्रोत को पाक किया जाए।

हलाल रिज़्क़ खाया जाए और हलाल माल पर ज़िंदगी गुज़ारी जाए।

जिस तरह दुनिया में हलाल रोज़ी कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह अल्लाह तआला (जो असल रज़्ज़ाक़ है) के रूहानी रिज़्क़ की भी क़ीमत अदा करनी पड़ती है।

और उसकी क़ीमत यह है कि उसकी तस्बीह व तहमीद की जाए।

खाने से पहले "बिस्मिल्लाह अर-रहमान अर-रहीम" (अल्लाह के नाम से) कहा जाए।

बीच-बीच में "सुब्हान अल्लाह" कहा जाए।

खाने के बाद "अल-हम्दु लिल्लाह" (सभी तारीफ़ें अल्लाह के लिए) कहकर समाप्त किया जाए।

(रोज़नामा अल्-फ़ज़्ल, क़ादियान, 20 सितंबर 1946)

★ ★ ★

हज़रत अमीरुल मौमेनीन खलीफ़तुल मसीह सानी अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की मज्लिस -ए- इरफ़ान

क़ादियान, 19 तबूक (सितंबर) आज सैयदना हज़रत अमीरुल मौमेनीन, मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, खलीफ़तुल मसीह अल्-सानी (अय्यदहुल्लाहु बिनस्रहिल अज़ीज़) ने नमाज़-ए-मग़रिब के बाद मज्लिस में तशरीफ़ लाकर जो महत्वपूर्ण बातें इरशाद फ़रमाईं, उनका संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में नीचे दिया जा रहा है :

हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका-ए-सबा का वाक़या

हज़रत सुलेमान (अलैहिस्सलाम) जब शाम के दक्षिणी हिस्से में एक बग़ावत को ख़त्म करने गए, तो उन्होंने मलिका-ए-सबा (जो एक मुश्रिक थी और सूरज की पूजा करती थी) को अपनी आज्ञा का पालन करने का पैग़ाम भेजा। यह मामला सीमाओं से जुड़े कुछ विवादों की वजह से उठा था। अगर वह आदेश न मानती, तो युद्ध की नौबत आ सकती थी। लेकिन मलिका ने शांति को प्राथमिकता दी।

इस बुद्धिमान रानी ने अपने राज्य के मंत्रियों से मशविरा किया। उन्होंने अपनी ताक़त और युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कही, लेकिन आख़िरी फ़ैसला मलिका पर छोड़ दिया। इस पर मलिका ने कहा:

"जब बादशाह किसी देश में ज़ालिमाना तरीक़े से दाख़िल होते हैं, तो उसके पूरे निज़ाम को तहस-नहस कर देते हैं और वहां के इज़्ज़तदार लोगों को ज़लील कर देते हैं।"

मलिका का यह नज़रिया बिल्कुल सही था।

क्योंकि नए शासक आमतौर पर राजनीतिक कारणों से पुरानी सत्ताधारी पार्टी या व्यक्तियों को फिर से ताक़तवर बनने से रोकने के लिए उन्हें मिटाने की कोशिश करते हैं।

वे पुराने ताक़तवर लोगों को गिराकर, निर्बल और अधीनस्थ लोगों को ऊँचे पदों पर बिठा देते हैं, ताकि उनकी वफ़ादारी मिल सके।

यह ज़रूरी नहीं कि सभी कमज़ोर लोग उच्च पदों पर पहुँचें, लेकिन यह लगभग तय है कि पुराने उच्च पदस्थ लोग नीचे गिरा दिए जाते हैं।

यही नियम धार्मिक मामलों में भी लागू होता है

जब अल्लाह के नबी (अलैहिस्सलाम) भेजे जाते हैं, तो उस दौर के समाज के बड़े लोग – अमीर और उलमा (धार्मिक विद्वान) – तकब्बुर (घमंड) और घमंड की वजह से उन्हें स्वीकार नहीं करते। वे सोचते हैं:

"क्या ऐसा मामूली आदमी नबी बन सकता है? अगर नबी बनना ही था, तो हम में से कोई बनता!"

यही ताने हर दौर में दिए गए:

फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यही ताना दिया कि "क्या तुम वही नहीं हो, जो हमारे टुकड़ों पर पले थे?"

हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) को भी यह ताने दिए गए कि "क्या यह मसीह बनने के लायक़ था?"

हक़ीक़त यह है कि

अल्लाह के नबी शुरू में बहुत साधारण और कमज़ोर हालात में आते हैं। उस समय उनकी कोई क़ीमत नहीं होती।

अगर अल्लाह किसी राजा को नबूवत दे और वह सफल हो जाए, तो लोग कह सकते हैं कि "वह पहले से ताक़तवर था, इसलिए जीत गया।"

लेकिन एक साधारण और कमज़ोर आदमी जब सारी दुनिया की मुख़ालिफ़त (विरोध) के बावजूद जीतता है, तो यह अल्लाह की ताक़त और मदद का चमत्कार साबित होता है।

अल्लाह के पैग़म्बरों को नीचा दिखाने वाले खुद ज़लील होते हैं नबी (अलैहिस्सलाम) भले ही शुरुआत में कमज़ोर और बेबस दिखते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद से वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं।

जो लोग उन्हें हीन और तुच्छ समझते हैं, वे खुद ही ज़लील हो जाते हैं।

लेकिन जो लोग उन्हें मान लेते हैं और कठिनाइयों में उनके साथ रहते हैं, अल्लाह उन्हें अपने अनगिनत फ़ज़्लों (कृपाओं) से नवाज़ता है।

वे निचले स्तर से उठकर ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं।

वे चमकते सितारे बन जाते हैं, और उनकी शोहरत अमर और अविनाशी हो जाती है।

दुनियावी इज़्ज़त बनाम अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त दुनिया की इज़्ज़त कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त के आगे कुछ भी नहीं।

गवर्नर (राज्यपाल) का ओहदा बहुत बड़ा होता है, लेकिन शायद ही %10 लोग पिछले गवर्नर का नाम जानते हों।

इसके विपरीत, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो, जो केवल एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा हदीसें बयान कीं।

आज शायद ही कोई ऐसा मुसलमान होगा जो उनका नाम न जानता हो या उनकी इज़्ज़त न करता हो।

अल्लाह के दीन की सेवा करने वाले कभी बर्बाद नहीं होते।

हज़रत मसीह (अलैहिस्सलाम) के शिष्य याक़ूब और पतरस मामूली मछुआरे थे।

लोग उनके साथ बैठकर खाना भी पसंद नहीं करते थे।

लेकिन आज बड़े से बड़ा ईसाई राजा भी उन्हें अपने से श्रेष्ठ समझता है। दुनियावी इज़्ज़त अस्थायी होती है, लेकिन अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त स्थायी है

आज लोग जिसे तख़्त पर बिठाते हैं, कल उसे उतार देते हैं।

आज जिसे हुकूमत का ताज पहनाया जाता है, कल उसे काँटों का ताज पहनाया जाता है।

लेकिन जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे, उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता।

अफ़सोस कि मुसलमान इस हक़ीक़त को नहीं समझ सके।

100 साल तक 10 करोड़ मुसलमान अंग्रेज़ों की सेवा करते रहे।

उन्होंने अपना ख़ून बहाया, लेकिन अल्लाह के लिए क़ुर्बानी न दी।

अगर उन्होंने एक दिन भी अल्लाह के लिए क़ुर्बानी दी होती, तो अंग्रेज़ उनकी इतनी बेइज़्ज़ती न करते, जितनी उन्होंने हिंदुओं की ख़ुशामद के लिए की।

अहमदियों के लिए ख़ास हिदायत

अहमदिया जमाअत, जो एक फ़रिस्तादा (अल्लाह के भेजे हुए) को मानने वाली है, उसे इस हक़ीक़त पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि असली और स्थायी इज़्ज़त केवल अल्लाह की तरफ़ से और उसके दीन की सेवा से मिलती है।

अगर अहमदियों ने इसे न समझा और इस ओर ध्यान न दिया, तो यह बहुत अफ़सोस और ताज्जुब की बात होगी।

अल्लाह हमें इस समझ को हासिल करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन।

(रोज़नामा अल्-फ़ज़्ल, क़ादियान, 23 सितंबर 46)

★ ★ ★

हज़रत अमीरुल मौमेनीन खलीफ़तुल मसीह सानी अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की मज्लिस -ए- इरफ़ान

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर

सैयदना हज़रत अमीरुल मौमेनीन मुस्लेह मौऊद अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, ज़ोहर-असर और मग़रिब-इशा की नमाज़ के बाद देर तक ख़ुद्दाम के बीच मौजूद रहे और विभिन्न साथियों के सवालों के जवाब में हक़ीक़तों और मआरिफ़ को बयान करते रहे। हज़ूर के निर्देशों का संक्षेप नीचे प्रस्तुत किया जाता है:

हाथ उठाकर दुआ माँगने की हिकमत पूछा गया: हाथ उठाकर दुआ माँगने की क्या हिकमत है?

हज़ूर ने फ़रमाया: दुआ के लिए दिल में रक़्त (भावुकता) की स्थिति पैदा होना ज़रूरी है, जो इंसान की एक असामान्य स्थिति होती है। इंसान की फितरत होती है कि वह अपनी असामान्य स्थिति को छुपाना चाहता है। अगर वह इसे ना छुपाए तो इस भावना का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस भावनात्मक स्थिति को छुपाने के लिए इस्लाम ने दुआ के वक्त हाथ उठाने का आदेश दिया, ताकि लोगों और दुआ माँगने वाले के बीच एक परदा आ जाए।

नमाज़ के बाद दुआ पूछा गया: नमाज़ के बाद दुआ क्यों नहीं की जाती?

हज़ूर ने फ़रमाया: क्योंकि यह रसूले-ए-करीम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से साबित नहीं है। हम हर हाल में रसूले-ए-करीम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुन्नत का पालन करेंगे। हाँ, यदि किसी विशेष भावना के तहत कभी नमाज़ के बाद भी दुआ कर ली जाए तो हम उसे मना नहीं करेंगे। लेकिन इस कार्य को अनिवार्य बनाना एक बिदअत (नवाचार) होगा। इस प्रकार, नए-नए रीति-रिवाज रोज़ सामने आते रहेंगे और लोग इन रीति-रिवाजों के बंधन में पड़ जाएंगे। इसलिए इस्लाम ने केवल उन्हीं चीज़ों को अनिवार्य किया है जो रसूले-ए-करीम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के अमल से प्रमाणित हैं।

औरतें और जुमे की नमाज़ पूछा गया: क्या औरतें अलग से इकठ्ठा होकर जुमे की नमाज़ पढ़ सकती हैं?

हज़ूर ने फ़रमाया: यदि कोई विशेष मज़बूरी हो, तो उसकी बुनियाद पर औरतों को अलग इकठ्ठा होकर जुमे की नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी जा सकती है ताकि उनके अंदर धार्मिक चेतना बनी रहे। लेकिन अगर सामान्य परिस्थितियों में भी ऐसा करने की अनुमति दी जाए, तो पुरुषों और महिलाओं के बीच मतभेद उत्पन्न होने की संभावना होगी। पुरुषों के विचार एक दिशा में होंगे और महिलाओं के दूसरी दिशा में। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में यही आदेश है कि पुरुष और महिलाएँ एक ही स्थान पर जुमे की नमाज़ अदा करें।

दिल्ली के अहमदी बच्चे मग़रिब और इशा की नमाज़ के बाद दिल्ली के अहमदी बच्चे हज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर हुए। हज़ूर ने उनसे विभिन्न प्रश्न पूछे, जैसे:

अल्लाह किसे कहते हैं?

रसूल किसे कहते हैं?

नबी किसे कहते हैं?

मसीह मौऊद से क्या अभिप्राय है?

अहमदियत का क्या मतलब है?

नमाज़ क्यों पढ़ी जाती है?

नमाज़ें कितनी हैं और उनकी रकअतें, फ़र्ज़ और सुन्नतें कितनी हैं?

शरीअत किसे कहते हैं?

बच्चों से ये प्रश्न पूछने के बाद हज़ूर ने उनके सही उत्तर बहुत सरल और आमफहम शब्दों में दिए। उदाहरण के लिए, हज़ूर ने फ़रमाया:

दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है, उसे पैदा करने वाले को अल्लाह कहते हैं।

नबी का अर्थ होता है "समाचार देने वाला"।

रसूल का अर्थ होता है "भेजा हुआ व्यक्ति"।

जब अल्लाह किसी बंदे को छुपे हुए मामलों की सुधार के लिए भेजता है, तो उसे नबी और रसूल कहा जाता है।

नबी और रसूल, अल्लाह की इबादत और अन्य मामलों से संबंधित जो तरीका अल्लाह के आदेश से बताते हैं, उसे शरीअत कहते हैं।

हज़रत मसीह (अलैहिस्सलाम) के पुनः आगमन की भविष्यवाणी की गई थी। यह भविष्यवाणी हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) के आने से पूरी हो चुकी है। इसलिए हम उन्हें मसीह मौऊद कहते हैं, यानी वह मसीह जिसका वादा किया गया था। अहमदियत वह इस्लाम की असली और वास्तविक रूप है, जिसे हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) ने प्रस्तुत किया।

नमाज़ इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि हमारे धर्म में इसका आदेश है।

ज़ोहर की नमाज़ की सुन्नतों के बारे में हज़ूर ने फ़रमाया: ज़ोहर की सुन्नतों की तीन स्थितियाँ जायज़ हैं:

चार सुन्नतें फ़र्ज़ से पहले और चार फ़र्ज़ों के बाद।

दो सुन्नतें फ़र्ज़ से पहले और दो फ़र्ज़ के बाद।

चार सुन्नतें फ़र्ज़ से पहले और दो फ़र्ज़ों के बाद।

(शेष...)

(स्रोत: रोज़नामा अल्-फ़ज़ल, क़ादियान, 11 अक्टूबर 1946)

★ ★ ★

सदर अंजुमन अहमदिया, अंजुमन तहरीक-ए-जदीद, अंजुमन वक़्फ़-ए-जदीद क़ादियान के विभाग में बतौर ग्रेड दर्जा चहारुम बराए माली/केयरटेकर/चौकीदार/बावर्ची/नानबाई के लिए शर्ते

(1) अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से ज़ायद और 18 वर्ष से कम न हो। (2) अभ्यर्थी की तालीम की कोई शर्त नहीं है जबकि पढ़े लिखे अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

(3) जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ज़रूरी होगा।

(4) इस ऐलान के बाद 2 माह के अंदर जो निवेदन प्राप्त होंगी उन्हीं पर ग़ौर होगा।

(5) वही अभ्यर्थी ख़िदमत के लिए जाऐंगे जो मर्कज़ी कमेटी बराए भर्ती कारकुनान के इंटरव्यू में सफल होंगे।

(6) इंटरव्यू में सफलता की सूरत में अभ्यर्थी को नूर हस्पताल क़ादियान से चिकित्सा परीक्षण करवाना होगा और केवल वही अभ्यर्थी ख़िदमत के योग्य होंगे जो नूर हस्पताल के तिब्बी बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक़ सेहतमंद और तंदरुस्त होंगे।

(7) स्लैक्शन की सूरत में अभ्यर्थी को क़ादियान में अपनी रिहायश का इंतेज़ाम स्वयं करना होगा।

(8) क़ादियान आने जाने का सफ़र ख़र्च अभ्यर्थी के अपने ज़िम्मा होंगा।

(नोट : लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की तिथि से अभ्यर्थी को बाद में अवगत किया जाएगा।)

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।

नज़ारत दीवान सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान पिन कोड 143516

मोबाइल : 09682627592, 09682587713,

दफ़्तर01872-501130

E-mail: diwan@qadian.in

★ ★ ★

छोटी-छोटी बातों पर खुला और तलाक तक मामला पहुँचा देना बेहद भयावह और नापसंद किया जाने वाला तरीका है।

(फरमूदा: 21 जून 1946)

तहज्जुद, ताअव्वुज और सूरः फातेहा की तिलावत के बाद फ़रमाया:

"इंसानी ज़िंदगी के अहम अर्कान में से मियां बीवी का रिश्ता है।

दुनियावी ज़िंदगी के लिए इंसान के लिए जो चीजें लाज़मी हैं और जिनके ज़रिये इंसान आराम और सुकून हासिल कर सकता है, वह मियां बीवी के ताल्लुकात हैं। मियां बीवी के ताल्लुकात से जो सुकून और आराम इंसान को मिलता है, वह उसे किसी और ज़रिये से हासिल नहीं हो सकता।

क़ुरआन-ए-करीम में अल्लाह तआला ने इन वजूदों को एक-दूसरे के लिए सुकून और तस्कीन का ज़रिया क़रार दिया है। इसी तरह बाइबिल में आता है कि अल्लाह तआला ने आदम 'अ के लिए हौवा को पैदा किया ताकि वह आदम के आराम और सुकून का बाइस बने। अर्थात हव्वा के बिना आदम अलैहिस्सलाम के लिए तस्कीन और आराम का कोई और ज़रिया नहीं था। लेकिन यही दो वजूद जो एक-दूसरे के लिए तस्कीन, आराम और राहत का बायस हैं, कभी-कभी इन्हीं दो वजूदों को लड़ाई और झगड़े का बाइस बना लिया जाता है और राहत और सुकून की बजाय इंसान के लिए यह उसके मद्दे-मुक़ाबिल यानी शौहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने का बाइस बन जाता है। हज़ारों शौहर ऐसे हैं जो अपनी बीवियों के लिए बदतर अज़ाब साबित होते हैं और हज़ारों बीवियां ऐसी हैं जो अपने शौहरों के लिए बदतर अज़ाब साबित होती हैं। इस्लाम ने ऐसे हालात में हमारे लिए ऐसी आला रहनुमाई की है कि दरहक़ीक़त इन अहकाम की मौजूदगी में हमारे लिए घबराहट और तशवीश की कोई वजह बाक़ी नहीं रहती।

लेकिन सवाल यह है कि इस्लाम की तालीम पर अमल करने के लिए कितने लोग तैयार होते हैं? गैर-मुस्लिम तो पहले ही इस्लामी तालीम पर ऐतराज करते रहते हैं। वह मुसलमान भी जो इस्लामी तालीम को मानने वाले हैं, इस्लामी तालीम से बहुत दूर जा चुके हैं और कुरआनी तालीम की तरफ आना पसंद ही नहीं करते बल्कि दूसरी अदालतों के ज़रिये अपना फ़ैसला कराना चाहते हैं। अगर किसी मर्द और औरत में झगड़ा पैदा हो जाए और उनको कहा जाए कि कुरआन की तालीम के मुताबिक इस झगड़े को दूर करने की कोशिश करो तो रिश्तेदार दरमियान में कूद पड़ते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि इन बातों पर अमल करने से कहीं गुज़ारा होता है। हम इनके मुताबिक कैसे फैसला करें। गोया उनके नज़दीक क़ुरआन-ए-करीम एक अफसानों की किताब है जिसे लाइब्रेरी की ज़ीनत के लिए रखना चाहिए लेकिन इस पर अमल नहीं करना चाहिए। जो शख्स यह समझता है कि क़ुरआन-ए-करीम की तालीम नाकाबिले-अमल है, ऐसा शख्स इस्लाम के दायरे में रहता ही क्यों है? ऐसे शख्स को इस्लाम की तालीम को छोड़ देना चाहिए और कोई ऐसा मज़हब तलाश करना चाहिए जिसकी तालीम उसे काबिले-अमल नज़र आए ताकि कम अज़ कम उसकी ज़मीर तो आज़ाद रहे। वह जब इस्लाम की तालीम को ग़लत और नापसंदीदा ख़्याल करता है तो फिर ज़मीर को मारते हुए इसे क्यों पकड़े हुए है और क्यों इसे छोड़ता नहीं?

मैं अपनी जमाअत को तवज्जो दिलाता हूं कि हमारी जमाअत में मियां बीवी के झगड़े पहले की निस्बत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। जहां तक झगड़ों का सवाल है, झगड़ों का पैदा होना बुरा नहीं क्योंकि यह इंसानी ख़ासियत है कि मियां बीवी में कभी-कभार रंजिश भी पैदा हो जाती है। लेकिन झगड़ा पैदा होने के बाद इस्लामी तालीम को नज़रअंदाज़ कर देना यह बहुत बुरी चीज़ है। मैंने देखा है कि लोग ऐसे हालात में बाल-ओ-आम इस्लामी तालीम को पस-ए-पुश्त डालते हुए ज़ुल्म की हद तक पहुंच जाते हैं और इस्लामी तालीम को बलाए ताक रख देते हैं। मेरे लिए यह सूरत बहुत ही तकलीफदेह होती है। हमारे लिए रसूल-ए- करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम कामिल उसवा हैं। हम आपको देखते हैं कि आप न सिर्फ़ शौहर थे बल्कि आप नबी भी थे, आप पीर भी थे और आप आका भी थे। लेकिन बावजूद इन समस्त बातों के आपकी हालत यह थी कि एक दफ़ा आपने अपनी एक बीवी को एक राज़ की बात बताई और हुक्म दिया कि किसी और को न बताना, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ सहेलियों से जो कि रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की बीवियों में से ही थीं, उस बात का ज़िक्र कर दिया। अल्लाह तआला ने आपको इल्हामन बता दिया कि आपकी उस बीवी ने वह राज़ आपकी कुछ दूसरी बीवियों को भी बता दिया है। इस पर रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उनकी तंबीह के लिए यह फ़ैसला फ़रमाया कि मैं मस्जिद में ही रहूंगा और घर में बीवियों के पास नहीं जाऊंगा। आपने मस्जिद में ख़ैमा नसब करने का हुक्म दिया। आपके हुक्म पर मस्जिद में आपके लिए ख़ैमा लगा दिया गया और आप उसी में रहने लगे।

मक्का वाले अपनी बीवियों से नरमी का सलूक नहीं किया करते थे बल्कि जिस तरह पंजाबी औरतों की दरस्ती का एक ही इलाज जानते हैं कि डंडा लिया और मार-मार कर सीधा कर दिया, इसी तरह मक्का वाले बीवियों से सख्ती से पेश आते थे और उनकी औरतों को यह जुर्रत नहीं होती थी कि किसी बात में मशविरा दे सकें या मर्द के सामने बोल सकें। मदीना में मक्का की निस्बत किसी हद तक औरतों को ज़्यादा आज़ादी थी। गो अल्लाह तआला ने रसूले-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ज़रिये जो आज़ादी औरतों को दिलाई वह इस पहली आज़ादी से बहुत बढ़कर है। बहरहाल, मदीने की औरतें कभी-कभार अपने मर्दों के सामने बोल लेती थीं, लेकिन मक्का वालों में अभी वही सख्ती बाक़ी थी। जब रसूले-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में डेरा लगा लिया तो सहाबा में चह-मे-गोइयां होनी शुरू हो गईं कि आपने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है। चुनांचे एक सहाबी घबराए हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो के पास पहुंचे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो मदीना से दो-तीन मील बाहर एक गांव में रहते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो फ़रमाते हैं उन दिनों हमें गुज़ारे की तंगी थी, इसलिए हम लोग रोज़ाना रसूले-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की मज्लिस में हाज़िर न हो सकते थे बल्कि हमने बारियां मुक़र्रर की हुई थीं। एक साथी जाता और वह सारा दिन रसूले-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहता और शाम को वापस आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की मज्लिस की सारी बातें अपने साथी को सुनाता। दूसरे दिन वह काम करता और उसका वह साथी जो पहले दिन नहीं गया था, रसूले-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की मज्लिस में जाता, आपकी बातें सुनता और शाम को वापस आकर समस्त बातें अपने साथी को सुनाता। जिस दिन यह वाक़ेआ हुआ, उस दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो के साथी की बारी थी। जब वह मदीना से वापस गए तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो से कहा, "उमर! तुझे पता है कि मदीना में क्या हो गया है?" हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने पूछा, "क्या हो गया है?" उन्होंने कहा, "रसूले-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी समस्त बीवियों को तलाक़ दे दी है।" उनकी यह बात सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो बहुत घबराए, क्योंकि रसूले-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के निकाह में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो की बेटी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो मदीना गए और जाते ही हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में दाख़िल हुए। जब पहुंचे तो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा बैठी रो रही थीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने जाते ही हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, "बेवकूफ़! क्या मैं तुम्हें मना नहीं करता था कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का अदब किया करो और तुम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की नक़लें न किया करो। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का मक़ाम और है और तुम्हारा मक़ाम और है। लेकिन तुमने मेरी बात न मानी और अब नतीजा निकल आया।" फिर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि क्या यह बात सच है कि रसूले-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सब बीवियों को तलाक़ दे दी है? हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, "नहीं, तलाक़ तो नहीं दी, बल्कि नाराज़ होकर चले गए हैं।" हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो वहां से निकले और रसूले-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अंदर आने की इजाज़त मांगी। रसूले-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने आपको अंदर आने की इजाज़त दी तो आप अंदर दाख़िल हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो फ़रमाते हैं, "जब मैं अंदर गया तो आप एक चटाई पर लेटे हुए थे और चटाई खुरदरी थी। मेरे जाने पर आप उठकर बैठ गए, मगर हालत यह थी कि समस्त जिस्म पर चटाई के निशान पड़े हुए थे।" मैंने कहा, "या रसूलुल्लाह! आराम और आसाइश के समस्त सामान कैसर और किसरा के पास हैं और वह अपनी ज़िंदगी के दिन निहायत तअय्युश और आराम के साथ बसर कर रहे हैं और आपके लिए आराम का कोई सामान नहीं। आपके लिए यह चटाई है जिसके निशान आपके समस्त जिस्म पर पड़ गए हैं।" हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो फ़रमाते हैं, "मैंने यह बात जान-बूझकर कही ताकि अगर आपकी तबीयत में कोई गुस्सा हो तो वह दूर हो जाए।" मेरी बात पर आप

हंस पड़े। मैंने मौका ग़नीमत समझते हुए अर्ज़ किया, "हे रसूलुल्लाह! क्या यह सही है कि आपने अपनी समस्त बीवियों को तलाक़ दे दी है?" आपने फ़रमाया, "नहीं, तलाक़ तो नहीं दी।" फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने अर्ज़ किया, "हे रसूलुल्लाह! मैं तो हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को समझाता रहता हूं कि तुम आयशा की नक़लें न किया करो और आपका बहुत अदब-ओ-एहतराम किया करो।" फिर कहा, "हे रसूलुल्लाह! आपसे यह बात पोशीदा नहीं कि हम मक्का वालों के सामने हमारी बीवियां बोलती न थीं। एक दिन किसी बात पर मेरी बीवी मुझे मशविरा देने लगी तो मैंने उसे कहा, 'तू अपनी हैसियत तो देख। तेरा क्या काम है कि तू मुझे मशविरा दे।' लेकिन हमारी औरतों को भी आहिस्ता-आहिस्ता मदीने की औरतों ने ख़राब कर दिया। एक दिन मैं बात कर रहा था कि मेरी बीवी ने मुझे किसी मामला के मुताल्लिक मशविरा देने की कोशिश की। जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे जवाब दिया कि रसूलुल्लाह के घर में उनकी बीवियां आपको मशविरा देती हैं तो तुम कौन हो हमें रोकने वाले?" इस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने निहायत लतीफ़ पैराय में इस तरफ इशारा किया कि आपने ही औरतों को आज़ादी दी है। अगर उनसे कोई ग़लती हो गई है तो वह माफ़ी की हक़दार हैं। मगर बावजूद इन समस्त बातों के रसूले-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुक़ूक़ की निहायत आला तौर पर हिफ़ाज़त की। यहां तक कि आपने अपनी आख़िरी तक़रीर में भी यही वसीयत की कि औरतों से हसन-ए-सुलूक से पेश आना। और अपने ग़ुलामों को अपने भाइयों की तरह रखना और उनसे ऐसा काम न लेना जो उनकी ताक़त से बाहर हो।

बहरहाल, इस्लाम ने औरतों के हक़ों की जितनी हिफ़ाज़त की है, किसी और मज़हब ने नहीं की। लेकिन इंसान एक ऐसा मुरक्कब वजूद है जिसमें मुख़्तलिफ़ क़िस्म की आदतें और ख्वाहिशात मौजूद होती हैं, इसलिए मियाँ-बीवी के बीच कभी न कभी इख़तिलाफ़ हो ही जाता है और उनके ताल्लुक़ात हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते। अगर यह इख़तिलाफ़ बहुत शिद्दत अख़्तियार कर ले तो ऐसे मौकों के लिए इस्लाम का हुक्म है कि मर्द औरत को तलाक़ दे दे या औरत मर्द से खुला कर ले। लेकिन तलाक़ और खुला से पहले कुछ अहकाम बताए गए हैं जिन पर अमल करना मर्द, औरत और क़ाज़ियों का फ़र्ज़ करार दिया गया है ताकि तलाक़ या खुला आम न हो जाए।

रसूले-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "इन्न अबग़ज़ अल-हलाल इंदल्लाहि अल-तलाक़", यानी हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ अल्लाह तआला के नज़दीक तलाक़ है। जब तलाक़ हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है तो एक मोमिन जिसके दिल में अल्लाह तआला की मोहब्बत हो, वह इस चीज़ के करीब कैसे जा सकता है, जिसके बारे में वह समझता है कि यह अल्लाह तआला को सख्त नापसंद है। हर काम जो जायज़ है, ज़रूरी नहीं कि उसे किया भी जाए।

तुम में से हर शख्स जानता है कि बनारस, कलकत्ता, मद्रास या मुंबई जाना हलाल है, लेकिन कितने लोग हैं जो इन जगहों पर गए हैं? अगर हलाल के यही माने हैं कि इसे ज़रूर किया जाए, तो फिर यह होना चाहिए था कि जिन लोगों के पास इन शहरों में जाने के लिए पैसा नहीं था, वे अपनी जायदादें बेच डालते और इस हलाल काम को ज़रूर अंजाम देते। लेकिन लोगों का इस पर अमल न करना बताता है कि वे यह समझते हैं कि जो बात हलाल है, ज़रूरी नहीं कि उस पर अमल किया जाए। जगह, मुनासिब मौका और महल का भी ख़्याल रखना ज़रूरी है। अगर एक हलाल काम करने से नापसंदीगी के सामान पैदा होते हैं तो इस काम से बहरहाल इज्तिनाफ़ किया जाएगा।

मिसाल के तौर पर, प्याज खाना हलाल है लेकिन मस्जिद में प्याज खाकर जाना मना है क्योंकि वहां लोगों को उसकी बू से तकलीफ होती है। इसी तरह इंसान के लिए यह हलाल है कि वह सब्ज रंग का कपड़ा पहने या ओधे रंग का कपड़ा पहने या ज़र्द रंग का कपड़ा पहने। अगर किसी का दोस्त कहे कि यह ज़र्द रंग का कपड़ा खरीद लो, तो वह कहता है, "मुझे ज़र्द रंग अच्छा नहीं लगता।" अब उसके नज़दीक हलाल वह चीज़ है जो उसकी पसंद के मुताबिक और उसकी तबीयत को अच्छी लगती है।

खाने के बारे में अल्लाह तआला का हुक्म है कि हलाल और तय्यब चीज़ें खाओ। लेकिन कुछ लोग बैंगन नहीं खाते। कुछ लोग कद्दू को पसंद नहीं करते। अगर उनसे पूछा जाए कि आप बैंगन क्यों नहीं खाते? तो वे कहते हैं कि हमें पसंद नहीं। या दूसरे शख्स से पूछा जाए कि आप कद्दू क्यों नहीं खाते? तो वह कहता है, "मेरी बीवी इसे नापसंद करती है।"

इसी तरह, जब लोग मकान तैयार करते हैं तो अपने मिज़ाज और अपनी तबीयत के मुताबिक बनाते हैं। कोई एक मंज़िला मकान बनाता है, कोई दो मंज़िला और कोई तीन मंज़िला। कोई मकान में बाग़ीचा लगाना पसंद करता है और कोई बिना बाग़ीचा के। अब यह सारी चीज़ें हलाल होती हैं लेकिन हर कोई उन पर अमल नहीं करता। इसका मतलब यह है कि वह समझता है कि हर हलाल बात पर अमल करना ज़रूरी नहीं। लेकिन जब बीवी को तलाक़ देने का मामला पेश आए तो यह कहते हुए कि बीवी को तलाक़ देना जायज़ है, फ़ौरन बिना सोचे-समझे तलाक़ दे दी जाती है।

हालांकि, कुछ हलाल चीज़ें इंसान अपने नफ़्स की खातिर, कुछ अपने दोस्तों की खातिर और कुछ सोसाइटी की खातिर हमेशा छोड़ता रहता है। दरअसल, ऐसे मौके पर एक मोमिन की हालत यह होती है कि वह इस हलाल को ख़ुदा की खातिर छोड़ देता है और समझता है कि चूंकि यह काम मेरे ख़ुदा को पसंद नहीं, इसलिए मैं यह काम नहीं करता, ताकि मेरा ख़ुदा मुझ पर नाराज़ न हो।

इसलिए सही राह और हिदायत यह नहीं कि तलाक़ को आम किया जाए, बल्कि यह है कि तलाक़ से बचने की कोशिश की जाए। हलाल के माने यह हैं कि चाहो तो कर सकते हो। क़ानून के लिहाज़ से मना नहीं। लेकिन तुम्हें दूसरों के ख़्यालात, दूसरों के जज़्बात, दूसरों की हमदर्दी और दूसरों के प्यार को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। जिस हलाल पर अमल करने से दूसरों के ख़्यालात, जज़्बात, हमदर्दी और प्यार को ठेस पहुँचती हो, वह हलाल नहीं, बल्कि ऐसा हलाल एक तरफ से हलाल है और दूसरी तरफ से हराम।

जब लोग अपने दोस्तों की नाराज़गी, सोसाइटी की नाराज़गी और कौम की नाराज़गी का ख़्याल रखते हैं, तो क्या ख़ुदा तआला की नाराज़गी ही ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को बेपरवाह होना चाहिए? क्या ख़ुदा तआला का वजूद ही इतना कमज़ोर है कि जिसकी नाराज़गी इंसान के लिए क़ाबिल-ए-एहतिराम नहीं? जब दुनियावी और सफ़ली इश्क़ रखने वाले लोग अपने महबूब की छोटी से छोटी ख़फ़गी से डरते हैं और उसे नाराज़ होने का मौका नहीं देते, तो यह कैसे हो सकता है कि एक मोमिन जिसने ईमान की मिठास पाई हो, वह अल्लाह तआला की नाराज़गी से बेहद ख़ौफ़ज़दा न हो।

हदीसों में आता है कि एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो की किसी बात पर तकरार हो गई। यह तकरार बढ़ गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो की तबीयत तेज थी, इसलिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने मुनासिब समझा कि वह उस जगह से चले जाएं ताकि झगड़ा बेवजह ज़्यादा न हो जाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने जाने की कोशिश की तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने आगे बढ़कर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो का कुर्ता पकड़ लिया और कहा कि मेरी बात का जवाब देकर जाओ। जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो इसको छुड़ाकर जाने लगे, तो आपका कुर्ता फट गया। आप वहाँ से अपने घर को चले आए। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो को यह संदेह हुआ कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरी शिकायत करने गए हैं। इसलिए वे भी उनके पीछे-पीछे चल पड़े ताकि मैं भी अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में अपना पक्ष रख सकूँ। लेकिन रास्ते में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो की नज़रों से ओझल हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो को यही लगा कि वे अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सेवा में शिकायत करने गए हैं। इसलिए वे भी सीधे अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सेवा में जा पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद नहीं थे। लेकिन चूँकि उनके दिल में ग्लानि उत्पन्न हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अर्ज़ किया, "या रसूलुल्लाह! मुझसे गलती हुई कि मैंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से सख्ती से बात की। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कोई गलती नहीं, गलती मेरी ही है।"

जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सेवा में हाज़िर हुए, तो किसी ने जाकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के पास आपकी शिकायत करने गए हैं। यह सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में यह विचार आया कि मुझे भी अपनी सफ़ाई के लिए जाना चाहिए ताकि बात एकतरफा न हो जाए और मैं भी अपना पक्ष रख सकूँ।

जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सभा में पहुँचे, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो यह अर्ज़ कर रहे थे, "या रसूलुल्लाह! मुझसे गलती हुई कि मैंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से बहस की और उनका कुर्ता मेरी वजह से फट गया।"

जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने यह सुना, तो आपके चेहरे पर गुस्से के आसार प्रकट हुए। आपने फ़रमाया, "ऐ लोगों! तुम्हें क्या हो गया है?

जब सारी दुनिया मेरा इन्कार कर रही थी और तुम लोग भी मेरे विरोधी थे, तब केवल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे जो मुझ पर ईमान लाए और हर हाल में मेरी मदद की।" फिर दुख के साथ फ़रमाया, "क्या अब भी तुम मुझे और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं छोड़ोगे?"

आप यह फ़रमा ही रहे थे कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सभा में दाख़िल हुए। यही होता है सच्चे प्रेम का उदाहरण! कि बजाय यह कहने के कि "या रसूलुल्लाह! मेरी गलती नहीं थी, उमर रज़ियल्लाहु अन्हो की गलती थी," उन्होंने जब देखा कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के दिल में नाराज़गी उत्पन्न हो रही है, तो वे एक सच्चे आशिक़ की तरह यह सहन न कर सके कि मेरी वजह से अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को तकलीफ़ हो।

वे आते ही अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के सामने घुटनों के बल बैठ गए और अर्ज़ किया, "या रसूलुल्लाह! उमर रज़ियल्लाहु अन्हो की कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी।"

देखो, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कितने सच्चे आशिक़ थे कि वे यह सहन न कर सके कि उनके महबूब के दिल को तकलीफ़ पहुँचे। वे यह देखकर कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो पर नाराज़ हो गए हैं, खुश नहीं हुए। आमतौर पर लोगों की आदत होती है कि जब वे अपने विरोधी को डाँट खाते देखते हैं, तो प्रसन्न होते हैं कि "अच्छा हुआ, उसे डाँट पड़ी!" लेकिन इस सच्चे प्रेमी ने यह पसंद न किया कि किसी भी कारण से अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के दिल को तकलीफ़ हो।

उन्होंने कहा, "मैं अपराधी बन जाता हूँ, लेकिन मैं अपने महबूब के दिल को दुःखी नहीं होने दूँगा।" और अत्यंत विनम्रता से अर्ज़ किया, "या रसूलुल्लाह! उमर रज़ियल्लाहु अन्हो की कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी।"

अगर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के दिल के दुःख को दूर करने के लिए, स्वयं निर्दोष होते हुए भी, अपराध स्वीकार कर लेते हैं ताकि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को तकलीफ़ न पहुँचे, तो यह कैसे हो सकता है कि एक सच्चा मोमिन अपने रब की रज़ा के लिए वह कार्य न करे जो उसे अल्लाह की खुशी के करीब ले जाए?

निःसंदेह, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हमें अत्यंत प्रिय हैं और हम अल्लाह के बाद किसी से इतनी मोहब्बत करने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी, अल्लाह, अल्लाह है और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम), अल्लाह के रसूल हैं।

हम यह जानते हैं कि आपका दर्जा बहुत ऊँचा है, जो किसी और इंसान को प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद आप एक अब्द (बंदे) हैं और अल्लाह तआला ही माबूद (पूज्य) है। आप एक मख़लूक़ (रचना) हैं और अल्लाह तआला ख़ालिक़ (सृष्टिकर्ता) है। आप अल्लाह तआला की रहमत के मोहताज हैं और अल्लाह तआला आपका पालनहार है। आप नश्वर थे और अल्लाह तआला अनश्वर और सनातन है। आप अल्लाह के मोहताज थे और अल्लाह तआला आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। आप कमजोर थे और अल्लाह तआला अपार शक्ति का स्वामी है।

इसलिए जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की तकलीफ़ देखकर बेचैन हो जाता है, तो एक सच्चा मोमिन अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की यह हदीस पढ़कर या सुनकर कैसे आसानी से उसकी अवहेलना कर सकता है:

"इन्न अअबग़ाद अल-हलालि इंदल्लाहि अत-तलाक़" (निःसंदेह, अल्लाह के नज़दीक सबसे अप्रिय वैध चीज़ तलाक़ है।)

जब शरीयत यह कहती है कि तुम इस "असबग़ादुल हलाल" (अप्रिय वैधता) को अपनाने से बचो, तो हर मोमिन का कर्तव्य है कि वह ऐसे मामलों को कम करने की कोशिश करे और इसे पति-पत्नी के संबंधों में तनाव के समय न भूले।

यह बात याद रखनी चाहिए कि तलाक और खुला दरअसल एक ही अर्थ रखते हैं। यदि पुरुष स्त्री को छोड़ता है तो उसे तलाक कहा जाएगा, और यदि स्त्री स्वयं यह मांग करे कि उसे मुक्त किया जाए तो उसे खुला कहा जाएगा। और खुला भी "अबग़ाज़ुल हलाल" (सबसे अप्रिय वैध कार्य) की श्रेणी में आएगा।

जहाँ तक मानवाधिकारों का सवाल है, तलाक और खुला दोनों ही मुस्लिम समाज से लगभग समाप्त हो चुके थे और मुसलमान किसी भी स्थिति में इन पर अमल करने को तैयार नहीं होते थे। जिसकी वजह से स्त्रियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अहमदियत ने इन दोनों अधिकारों को पुनः स्थापित किया और स्त्रियों को उन तकलीफों से मुक्ति दिलाई, जो इन अधिकारों के अभाव में उन्हें झेलनी पड़ती थीं। साथ ही, इस हदीस के संदेश को भी स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखा और बताया कि इन दोनों रास्तों को अपनाना अल्लाह तआला के निकट "अबग़ाज़ुल हलाल" है।

लेकिन क्योंकि यह अधिकार नया-नया प्राप्त हुआ है और हमारे देश में यह प्रवृत्ति है कि लोग हर नए अधिकार का अधिकतम प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, इसी कारण हमारी जमाअत ने तलाक और खुला के मामले में जल्दबाजी से काम लिया है और जमाअत का एक वर्ग तलाक और खुला की ओर झुका हुआ है। जबकि क़ुरआन करीम का यह आदेश है कि जब पति-पत्नी में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए हकम (मध्यस्थ) नियुक्त किए जाएँ, जो यह प्रयास करें कि उनका झगड़ा समाप्त हो जाए और वे पहले की तरह प्रेम और स्नेहपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगें। लेकिन यदि स्थिति ऐसी हो जाए कि सुलह संभव न हो, तो खुला के मामले में क़ाज़ी (न्यायाधीश) के सुपुर्द यह मामला किया जाए और वही इसका निर्णय करे।

सिर्फ छोटी-छोटी बातों पर तलाक और खुला तक पहुँच जाना अत्यंत दुखद है। यह एक ऐसा भयानक और निंदनीय कार्य है कि हर शरीफ़ व्यक्ति को इससे घृणा होनी चाहिए। पति-पत्नी का संबंध कोई साधारण संबंध नहीं है और न ही उनका आपसी रिश्ता कोई सामान्य रिश्ता है। पति-पत्नी के आपसी रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि पिता-पुत्र के रिश्ते भी उनसे तुलना नहीं कर सकते।

पुरुष अपने शरीर के वे हिस्से, जिन्हें वह अपने पिता और माँ के सामने भी प्रकट नहीं कर सकता, अपनी पत्नी के सामने प्रकट करता है। इसी तरह, स्त्री अपने वे अंग, जिनका देखना उसके माता-पिता और भाई-बहनों के लिए भी जायज़ नहीं है, अपने पति के सामने प्रकट करती है। इस प्रकार के गहरे संबंधों के बाद यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है या कोई स्त्री खुला लेना चाहती है, तो इसका अर्थ यह होगा कि उन्होंने पति-पत्नी के संबंध की वास्तविकता को समझा ही नहीं। उनके लिए यह केवल एक खेल था, जिसे खेला गया और समाप्त कर दिया गया।

वह स्त्री जो खुला लेना चाहती है, आखिर क्यों लेना चाहती है? यही कि वह किसी और पुरुष से विवाह कर सके। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह होगा कि वह स्वयं को बाजार में बेचने जा रही है, जबकि इस्लाम ने उसे बहुत बड़ा सम्मान प्रदान किया है। और वह पुरुष, जो तलाक देकर स्त्री की प्रतिष्ठा को नष्ट करना चाहता है, वह नैतिकता में गैर-मुस्लिमों से भी पीछे है। क्योंकि हर समाज, हर धर्म और हर वर्ग, चाहे वह सभ्य हो या असभ्य, उन्नत हो या पिछड़ा हुआ, स्त्री की गरिमा को स्वीकार करता है और उसे एक पवित्र अस्तित्व मानता है।

अतः यदि कोई पुरुष बिना किसी उचित कारण के अपनी पत्नी को तलाक देता है, तो वह नैतिकता में गैर-मुस्लिमों से भी पीछे समझा जाएगा। और यदि कोई स्त्री बिना किसी ठोस कारण के खुला लेना चाहती है, तो उसने अपनी इज़्ज़त कराने के बजाय स्वयं को बाजार में बेचने का इरादा कर लिया और अपने पवित्र स्थान को भूल गई।

इसलिए वे सभी लोग जो इन चीज़ों के महत्व को नहीं समझते, वे समाज की नैतिकता को नष्ट करने वाले हैं। जमाअत का यह कर्तव्य है कि वह तलाक और खुला के दुष्परिणामों पर बल दे और इसे आम होने से रोके।

मेरे पास कुछ मामले आते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि कितनी तुच्छ बातों को लोग अलगाव का कारण बना लेते हैं। पुरुष कहता है कि मेरी पत्नी जाते हुए अपना ट्रंक साथ ले गई है, और पत्नी कहती है कि उन्होंने मेरी चूड़ियाँ ले ली हैं और वापस नहीं कर रहे। इतनी छोटी-छोटी बातों पर रिश्तों को तोड़ना बुद्धिमानी का कार्य नहीं है।

मेरे दृष्टिकोण से यदि पत्नी में कोई गलती है, तो उसकी नैतिक सुधार करनी चाहिए, न कि उसे छोड़ने पर उतारू होना चाहिए। हेडमास्टर छात्रों को शिक्षा देता है, लेकिन क्या जो छात्र पाठ याद नहीं करते, उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है?

इसी तरह, इंसानों में गलतियाँ भी होती हैं, कमज़ोरियाँ भी होती हैं, लेकिन एक सच्चे ईमान वाले का कर्तव्य है कि वह उन्हें सुधारने का प्रयास करे। और उस चीज़ को, जिसे अल्लाह तआला ने पवित्र बनाया है, उसे बाजार में बिकने वाली वस्तु न बना दे।

इसलिए मैं जमाअत को नसीहत करता हूँ कि उन्हें ऐसे झगड़ों को बहुत गंभीरता से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और मैं क़ाज़ियों (न्यायाधीशों) को भी नसीहत करता हूँ कि उन्हें ऐसे मामलों में अत्यंत सतर्कता से काम लेना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि क़ाज़ियों ने भी इन मामलों को मात्र एक मज़ाक समझ लिया है। वे मुकदमों को बेवजह लंबा खींचते चले जाते हैं और सुधार की कोई संभावना पैदा करने के बजाय, समय बीतने के साथ-साथ दिलों में संदेह और गलतफहमियाँ बढ़ती जाती हैं।

मैं क़ाज़ियों को यह हिदायत देता हूँ कि ऐसे मामलों में वे किसी भी पक्ष के

वकील को पास भी न आने दें, बल्कि वे न्यायाधीश के बजाय एक पिता की भूमिका निभाने की कोशिश करें। वे पति को अपना बेटा और पत्नी को अपनी बेटी समझें। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को समझाता है, उसी प्रकार उन्हें समझाएँ। शरियत के आदेशों से उन्हें अवगत कराएँ और उन्हें तलाक़ व खुला के दुष्परिणाम समझाएँ कि यदि ये प्रथाएँ आम हो जाएँ, तो समाज की नैतिकता गिर जाती है।

जिनके बच्चे हैं, जब वे बड़े होंगे, तो उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि उनके माता-पिता ने मामूली बातों पर अलगाव कर लिया था? वे अपने माता-पिता से कौन-सा अच्छा उदाहरण प्राप्त करेंगे? ऐसी संतान आगे कैसे तरक्क़ी कर सकेगी? ये चीजें समाज में नैतिकता सुधारने वाली नहीं, बल्कि उसे बिगाड़ने वाली हैं।

जमाअत को इनकी गंभीरता को समझना चाहिए, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में यह उन महत्वपूर्ण विषयों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब भी किसी क़ाज़ी के सामने ऐसा मामला आए, तो उसका दिल काँप जाना चाहिए कि कहीं वह कोई ऐसा निर्णय न कर दे, जो अल्लाह तआला की नाराज़गी का कारण बन जाए। उसे मामले के हर पहलू पर विचार करके ही फैसला लेना चाहिए।

इसके अलावा, यह भी प्रयास करना चाहिए कि जब कोई ऐसा विवाद हो, तो न तो पति के माता-पिता और न ही पत्नी के माता-पिता इसमें हस्तक्षेप करें। उन्हें क़ाज़ी पर पूरा भरोसा होना चाहिए। यदि उन्हें निर्णय में कोई कमी नज़र आती है, तो वे हमें लिख सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि वास्तव में निर्णय में कोई दोष है या नहीं। इस प्रक्रिया से धीरे-धीरे क़ाज़ियों की निर्णय क्षमता भी बेहतर हो जाएगी।

शादी के बाद भी माता-पिता के अधिकार बने रहते हैं शादी के बाद माता-पिता के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते, बल्कि शादी के बाद भी उनकी संतान पर उनके अधिकार बने रहते हैं। यदि कोई ऐसी महिला है, जिसके पास एकमात्र संतान एक लड़की है और उसके अलावा कोई और संतान उसकी सेवा करने के लिए नहीं है, तो जब वह अपनी बेटी का विवाह कर देती है, तो अब उसके दामाद का यह कर्तव्य है कि या तो वह अपनी पत्नी को उसकी माँ की सेवा करने का अवसर दे और उसे अपनी माँ के पास रहने दे, या यदि वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है, तो उसे अपनी सास (पत्नी की माँ) का भी बोझ उठाना चाहिए।

क्योंकि वास्तव में यह जिम्मेदारी उसकी पत्नी की थी, लेकिन जब वह चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे, तो उसे अपनी सास की देखभाल भी करनी चाहिए।

इसी प्रकार, यदि पति के माता-पिता वृद्ध हैं और उन्हें देखभाल की आवश्यकता है, तो पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह उनकी सेवा करे और उनके साथ नरमी व सम्मान से पेश आए। ये जिम्मेदारियाँ पति-पत्नी दोनों पर लागू होती हैं।

कुछ लोग इस स्थिति में अपने खर्चे की तंगी का बहाना बनाते हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से यह बहाना कोई तर्कसंगत आधार नहीं रखता। मेरा अनुभव यह है कि गरीबों के घरों में अक्सर अधिक संतान होती है, फिर भी वे किसी तरह अपना गुज़ारा करते हैं।

मेरे पास जो ग़ल्ले (अन्न) के लिए गरीबों की अर्जी आईं, उनमें से अधिकतर ऐसे लोग थे जिनके छह-सात से लेकर आठ-नौ तक बच्चे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि हर आवेदन करने वाले के आठ-नौ बच्चे होते हैं। पहले मुझे लगा कि यह लोग बढ़ा-चढ़ाकर बोल रहे हैं, लेकिन जब मैंने जांच करवाई तो यह तथ्य सही निकला।

अब ये लोग आठ-नौ बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने में कोई झिझक महसूस नहीं करते, तो फिर माता-पिता की सेवा करने से क्यों घबराते हैं? मेरे अनुसार, एक-दो व्यक्तियों का बोझ उठाना कोई कठिन कार्य नहीं है, बशर्ते कि व्यक्ति इसकी नीयत रखता हो।

यदि आप अपनी पत्नी के माता-पिता की सेवा करेंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो आपकी पत्नी दिल से आपकी वफादार होगी। वह आपसे और अधिक प्रेम करेगी और पहले से अधिक आपकी आज्ञाकारी होगी।

लेकिन इस बात को हमेशा याद रखो कि यदि आप उनके माता-पिता को अपने पास रखते हैं, तो उन्हें नौकर समझकर मत रखो, बल्कि उन्हें अपने परिवार का मुखिया मानकर रखो। उनके साथ ऐसा व्यवहार न करो जैसा नौकरों के साथ किया जाता है।

मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने या अपनी पत्नी के माता-पिता को अपने घर में तो ले आते हैं, लेकिन उनसे यह उम्मीद रखते हैं कि वे उनके घर के काम भी करें। यह तरीका अनुचित और निंदनीय है। अक्सर देखा गया है कि लड़की के माता-पिता अपनी बेटी को यह समझाते हैं कि लड़के के माता-पिता को उसके पास न आने देना, और लड़के के माता-पिता अपने बेटे को यह सिखाते हैं कि लड़की के माता-पिता को पास न आने देना। जब लड़का और लड़की दोनों अपने-अपने माता-पिता की इन हिदायतों पर अमल करना शुरू करते हैं, तो इसका नतीजा यह होता है कि उनमें आपसी झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़का सोचता है कि उसकी पत्नी उसके माता-पिता का सम्मान नहीं करती, और लड़की को लगता है कि उसका पति उसके माता-पिता की इज्जत नहीं करता।

जो माता-पिता अपनी संतान को ऐसी नसीहतें देते हैं, वे उनकी भलाई नहीं चाहते, बल्कि वे अपने ही बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मेरे नज़दीक ऐसे लोग शैतान के समान हैं, क्योंकि शैतान ही फूट और विभाजन को पसंद करता है। ऐसे माता-पिता को याद रखना चाहिए कि वे खुद भी दूसरों के बेटों या बेटियों से सम्मान नहीं पा सकते। जब माता-पिता ही ऐसी अनुचित हिदायतें देंगे, तो रिश्ते कैसे मजबूत रह सकते हैं? वास्तव में, लड़के और लड़की के जीवन को बर्बाद करने में सबसे अधिक योगदान उनके माता-पिता का होता है।

क्योंकि माता-पिता ने बच्चों को यही सिखाया होता है कि वे अपने ससुराल वालों को पास न आने दें, इसलिए शादी के बाद अक्सर पति-पत्नी के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। कई बार यह तनाव इतना बढ़ जाता है कि मामला तलाक़ या खुला तक पहुँच जाता है। यदि इनमें से कोई एक दूसरे पर हावी हो जाए, तो जो व्यक्ति ताकतवर होता है, वह दूसरे के माता-पिता से रिश्ता तोड़ देता है। यह बहुत ही अपमानजनक स्थिति है, और यह तरीका मेरे नज़रिए से अत्यंत अन्यायपूर्ण है।

मान लीजिए कि पत्नी अपने पति पर हावी हो जाती है और उसे अपने माता-पिता से अलग कर देती है, तो ऐसे बेटे पर अल्लाह की लानत होगी। लेकिन साथ ही उस पत्नी पर भी अल्लाह की लानत होगी, क्योंकि उसने अपने पति को माता-पिता से संबंध तोड़ने पर मजबूर किया। और यदि लड़की अपने माता-पिता को छोड़ देती है, तो उस पर भी अल्लाह की लानत होगी, और उसका पति भी अल्लाह की लानत का हकदार होगा, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को जबरन माता-पिता से अलग किया।

इसलिए यदि पति के कारण पत्नी ने अपने माता-पिता से संबंध तोड़ा, तो दोनों ही लानत के पात्र होंगे। और यदि पत्नी के कारण पति ने अपने माता-पिता को छोड़ दिया, तो दोनों ही अल्लाह की नाराज़गी के घेरे में आएंगे। यह मामला चारों ओर से अल्लाह की नाखुशी से घिरा हुआ है। एक सच्चे मोमिन (विश्वासी) का फर्ज़ है कि वह ऐसी स्थिति से बचने की पूरी कोशिश करे।

इस्लामी शिक्षाओं को प्रसार करने की आवश्यकता हमारे उलेमाओं (धर्मगुरुओं) को चाहिए कि वे दिन-रात इन समस्याओं पर लोगों को शिक्षित करें और इस्लामी शिक्षा को बार-बार दोहराएँ ताकि लोगों के दिमाग़ में यह बैठ जाए कि तलाक़ और खुला बहुत ही नापसंद किया जाने वाला कार्य है। इनका सहारा तभी लेना चाहिए जब सुलह की कोई गुंजाइश बाकी न रहे।

क़ाज़ियों (न्यायाधीशों) को भी चाहिए कि वे न्यायाधीश के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में सुलह कराने की कोशिश करें। किसी भी पक्ष के वकील को दखल देने की अनुमति न दें, बल्कि सहानुभूति, प्रेम और नरमी से झगड़े को खत्म करने का प्रयास करें।

सच्ची नीयत से समाधान संभव है कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कोई समाधान नज़र नहीं आता। लेकिन यदि सच्चे दिल से झगड़े को सुलझाने की नीयत हो, तो अल्लाह तआला अपने रहमत से उन हालात को ठीक कर सकता है।

एक बार मेरे पास इसी तरह का एक विवाद आया। पति और पत्नी दोनों के दिलों में एक-दूसरे के प्रति गहरी नफरत थी। मैंने दोनों को बुलाया और प्यार से समझाने की कोशिश की। लेकिन लड़के ने कहा, "मैं इसे कभी अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसने मेरे भाई की बेइज्जती की है।" और लड़की ने कहा, "मैं इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, क्योंकि इसने मेरे पिता को गाली दी है।"

मैंने बहुत कोशिश की कि उनकी सुलह हो जाए, लेकिन वे राज़ी नहीं हुए। मैंने उन्हें जाने दिया और क्योंकि नमाज़ का समय हो चुका था, मैं नमाज़ पढ़ने चला गया। नमाज़ के दौरान जब मैंने उनकी जिद को देखा, तो मुझे गहरी तकलीफ हुई। मैंने अल्लाह तआला से दुआ की, "ऐ अल्लाह! हमारी जमाअत के लोगों को क्या हो गया है कि वे छोटी-छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं?"

दूसरे दिन वही लड़की मेरे पास आई और हंस रही थी। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे सलाम किया। मैंने पूछा, "क्या बात है?" उसने जवाबदिया, "वे मुझे लेने आए हैं और मैं उनके साथ जा रही हूँ।"

इसके बाद, पति-पत्नी में गहरी मोहब्बत हो गई और अब उनके कई बच्चे भी हैं। क़ाज़ियों का दायित्व इसलिए क़ाज़ियों का फर्ज़ है कि वे पिता की तरह मामले को हल करने की कोशिश करें। उन्हें यह समझना चाहिए कि पति उनका बेटा है और पत्नी उनकी बेटी है। यदि उनकी अपनी बेटी ऐसी गलती करती, तो वे क्या करते?

जिस प्रकार उन्हें अपनी संतान के लिए चिंता होती है, उसी प्रकार उन्हें दूसरों के लिए भी संवेदना होनी चाहिए। यदि क़ाज़ियों के दिल में सच्ची सहानुभूति होगी, तो दूसरों के दिलों में भी प्रेम पैदा होगा।

पति-पत्नी के झगड़े व्यापारिक विवादों की तरह नहीं होते कि क़ाज़ी एक मजिस्ट्रेट की तरह फ़ैसला करे। यह तो समाज की नैतिकता का प्रश्न है। इसलिए क़ाज़ी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार से समाज की नैतिकता को नष्ट करने वाला न बने।

जब क़ाज़ी कोई फ़ैसला करे, तो उसे यह सोचना चाहिए कि यह किसी की बेटी या बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। कभी-कभी तलाक़ या खुला की अनुमति देना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन यदि यह अंतिम उपाय हो, तो नैतिक पतन की संभावना कम होती है। ऐसी स्थिति में यह उम्मीद की जाती है कि अल्लाह तआला की नाराज़गी का कोई कारण नहीं होगा।

(स्रोत: अल्-फ़ज़ल, 25 जुलाई 1946)

★ ★ ★

सदर अंजुमन अहमदिया, अंजुमन तहरीक-ए--जदीद, अंजुमन वक़्फ़-ए-जदीद क़ादियान के विभाग में बतौर ग्रेड दर्जा चहारुम बराए माली/केय-रटेकर/चौकीदार/बावर्ची/नानबाई के लिए शर्ते

(1) अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से ज़ायद और 18 वर्ष से कम न हो।

(2) अभ्यर्थी की तालीम की कोई शर्त नहीं है जबकि पढ़े लिखे अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

(3) जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ज़रूरी होगा।

(4) इस ऐलान के बाद 2 माह के अंदर जो निवेदन प्राप्त होंगी उन्हीं पर ग़ौर होगा।

(5) वही अभ्यर्थी ख़िदमत के लिए जाऐंगे जो मर्कज़ी कमेटी बराए भर्ती कारकुनान के इंटरव्यू में सफल होंगे।

(6) इंटरव्यू में सफलता की सूरत में अभ्यर्थी को नूर हस्पताल क़ादियान से चिकित्सा परीक्षण करवाना होगा और केवल वही अभ्यर्थी ख़िदमत के योग्य होंगे जो नूर हस्पताल के तिब्बी बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक़ सेहतमंद और तंदरुस्त होंगे।

(7) स्लैक्शन की सूरत में अभ्यर्थी को क़ादियान में अपनी रिहायश का इंतेज़ाम स्वयं करना होगा।

(8) क़ादियान आने जाने का सफ़र ख़र्च अभ्यर्थी के अपने ज़िम्मा होंगा।

(नोट : लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की तिथि से अभ्यर्थी को बाद में अवगत किया जाएगा।)

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।

नज़ारत दीवान सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान पिन कोड 143516

मोबाइल : 09682627592, 09682587713, दफ़्तर01872-501130

E-mail: diwan@qadian.in

★ ★ ★

दारुस्सनाअत कादियान (Ahmadiyya Vocational Training Centre) में वर्ष 2025-2026 के प्रवेश लिए दाख़िला शुरू है

दारुस्सनाअत कादियान का आरंभ हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अल् ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की मंज़ूरी और विशेष राहनुमाई से 2010 ई. में हुआ। विभाग का विशेष उद्देश्य अहमदी विद्यार्थियों को हुनर-मंद बनाना और टेकनीकल कोर्स विशेषता रोज़गार के अवसर पैदा करना है। दारुस्सनाअत कादियान सरकारी विभाग NSIC दिल्ली और ISO रजिस्टर्ड है। जिसमें एक वर्ष के निम्नलिखित कोर्स करवाए जाते हैं।

Plumbing
Electrician
Welding
Motor Vehicle
AC & Refrigerator
Diesel Mechanic
Computer Applications

कादियान के बाहर से आने वाले अहमदी विद्यार्थियों के लिए hostel और mess का इंतेज़ाम उपलब्ध है । रहने और food की कोई फ़ीस नहीं है। केवल कोर्स की बोर्ड फ़ीस आसान किस्तों में ली जाती है। ऐसे अहमदी नौजवान जो अपने स्कूल की शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके या 8th और 10th के बाद टेक्नीकल कोर्स करने के ख़ाहिशमंद हों प्रवेश के लिए जल्द संपर्क करें। अहमदी बच्चों की दीनी शिक्षा का भी इंतेज़ाम मौजूद है। इसके अतिरिक्त रोज़ाना English Speaking और Personality Developmentकी क्लास भी ली जाती है। नए सैशन 2024-2025 के लिए दाख़िला शुरू हो गया है। जिसकी क्लासिज़ 16 जुलाई से शुरू होंगी।

अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित नम्बरज़ Email Id पर संपर्क कर सकते हैं।

darulsanaat.qadian@gmail.com

9872725895, 8077546198

(प्रिंसिपल दारुस्सनाअत कादियान)

★ ★ ★

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का महान कारनामा
जमाअती संगठन और इसकी अधीन शाखाओं की स्थापना एवं उसकी बरकतें

हज़रत मसीह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का महान कारनामा जमाअती संगठन और इसकी अधीन शाखाओं की स्थापना एवं उसकी बरकतें। यह तक़रीर किताब "सवानेह फ़ज़ल उमर" से ली गई है, जिसकी पाँच जिल्दें हमारी वेबसाइट अलइसलाम पर मौजूद हैं। पहली दो जिल्दों के लेखक हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमतुल्लाह अलैहि हैं, जो बाद में मस्नद-ए-खिलाफ़त पर विराजमान हुए। इसलिए इस तक़रीर में व्यक्त विचार, सोच और शब्द उस महान हस्ती के हैं, जिन्होंने हज़रत मुसीह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु को क़रीब से देखा और आपकी शख्सियत तथा आपके कार्यों का ऐसा सुंदर और मोहक चित्रण किया कि उससे बेहतर संभव नहीं।

सैयदना हज़रत मुसीह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु 52 वर्षों तक खिलाफ़त के पद पर आसीन रहे। इस अवधि में आपने इस्लाम अहमदियत की शानदार सेवा की और ऐसे ऐतिहासिक कार्य संपन्न किए, जो केवल एक नबी का विशेष गुण होता है। हालांकि, अल्लाह जल्ल शानहु ने आपको नबी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन आपसे नबियों जैसे कार्य ही लिए।

हज़रत मसीह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का कथन

"मैं केवल एक ख़लीफा नहीं, बल्कि मौऊद ख़लीफा हूँ। मैं ममूर नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ अल्लाह की आवाज़ है, क्योंकि अल्लाह तआला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए इसकी ख़बर दी थी। यह खिलाफ़त का ऐसा दर्जा है, जो ममूरियत और खिलाफ़त के बीच है।"

(सवानिह फ़ज़ल उमर, भाग 4, पृष्ठ 508, प्रकाशक: फ़ज़ल उमर फ़ाउंडेशन)

अल्लाह जल्ल शानहु ने आपकी आवृत्ति (आने) को अपनी ओर से एक दिव्य घटना बताते हुए फ़रमाया:

"كَأَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ"

(मानो स्वयं अल्लाह आसमान से उतर आया हो।)

खिलाफ़त की स्थापना और चुनौतियाँ खिलाफ़त की गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले आपको इंकार-ए-खिलाफ़त (खिलाफ़त से इन्कार करने वालों) की साज़िशों का सामना करना पड़ा। अहम जिम्मेदारियों पर अब तक खिलाफ़त के विरोधी क़ाबिज़ थे। प्रेस का अधिकतर भाग उनके नियंत्रण में था, आर्थिक संसाधन उनके पास थे, और कई प्रसिद्ध हस्तियाँ उनके पक्ष में थीं। उन्होंने पूरी कोशिश की कि खिलाफ़त के खिलाफ़ एक ज़हरीला प्रचार अभियान पूरे हिंदुस्तान में चलाया जाए।

लेकिन अल्लाह तआला ने अपने विशेष रहमत और फ़ज़ल से आपकी हर कठिनाई में सहायता की। आप कठिन से कठिन हालात में भी अपनी जमाअत को सफलता और विजय के नए पड़ावों की ओर बढ़ाते रहे।

सबसे बड़ा संगठनात्मक योगदान

हज़रत मुसीह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का सबसे बड़ा संगठनात्मक कार्य यह था कि आपने बिखरती हुई जमाअत को एक मज़बूत संगठन में बदल दिया। अल्लाह का वादा "وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا" (हम उनके डर को सुरक्षा में बदल देंगे) फिर से पूरा हुआ।

आपके नेतृत्व में अहमदियों के दिलों में खिलाफ़त की महानता और उसकी अपरिहार्यता (ज़रूरत) को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया गया। आपने बार-बार इस्लामी इतिहास और विभाजन के कारकों को स्पष्ट किया, ताकि अगर कभी भी खिलाफ़त को कमजोर करने की कोई साज़िश की जाए, तो जमाअत तुरंत उसे पहचान कर खारिज कर दे।

स्थायी इस्लामी संगठन की स्थापना आपने जमाअत के संगठन को इस तरह मज़बूत किया कि अगर भविष्य में खिलाफ़त पर कोई संकट आए, तो जमाअत उसका सफलतापूर्वक सामना कर सके। आपने कौमों के उत्थान और पतन के कारणों का गहराई से अध्ययन किया और ऐसे सभी उपाय अपनाए, जो जमाअत की स्थायी सफलता और विकास को सुनिश्चित कर सकें। आपका ज्ञान, अनुभव, दूरदर्शिता और व्यावहारिक नेतृत्व इस संगठन की सफलता का आधार बना। आज जमाअत अहमदिया का संगठन दुनिया के सामने एक आदर्श संगठन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि समस्त प्रणाली का सर्वोच्च अधिकार खलीफा-ए-वक्त की शख्सियत के पास होता है। और आलमी जमाअत की शाखाएँ गाँवों, शहरों से निकलकर ज़िलों, प्रांतों और देशों में फैली हुई हैं, जो सभी तस्बीह के दानों की तरह एक मजबूत और जुड़ी हुई धागे में जुड़ी हुई हैं। जहां भी तीन या उससे अधिक अहमदी होते हैं, वहां एक नियमित जमाअत स्थापित कर दी जाती है, और स्थिति के अनुसार या तो नामनिर्देशन या चुनाव द्वारा वहां एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। बड़ी जमाअतों में अमारत का सिस्टम होता है। इस दृष्टिकोण से हर स्थानीय जमाअत का अध्यक्ष या अमीर ऊँचा अधिकारी होता है। फिर हर जिला या प्रदेश की जमाअतों का एक अमीर नियुक्त होता है। फिर इससे ऊपर पूरे देश का एक राष्ट्रीय अमीर होता है। इसके अलावा जमाअती प्रणाली के विभिन्न क्षेत्र होते हैं और उनके निगरानीकर्ता "सचिव" कहलाते हैं, जैसे कि सचिव माली, सचिव शिक्षा, सचिव जायदाद, सचिव मेज़बानी आदि। ये सभी अधिकारी चुनाव द्वारा या कुछ स्थितियों में नामनिर्देशन द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और केवल स्वयंसेवी रूप से ईमानदारी और बलिदान के साथ जमाअत की सेवा में खुशी महसूस करते हैं। इन स्थानीय, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय अधिकारियों के अलावा खलीफा-ए-वक्त की निगरानी में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्थाएँ का करती हैं।

सदर अंजुमन अहमदीया:

यह जमाअत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संस्थान है जिसे बानी जमाअत अहमदीया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िन्दगी में स्थापित किया था। शुरू में इसका रूप ऐसा नहीं था बल्कि विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद हज़रत खलीफा-ए-मसीह द्वितीय रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में इसने धीरे-धीरे वर्तमान रूप अपनाया। जमाअत के अनिवार्य चंदे का प्रबंध और सभी प्रशिक्षण, शैक्षिक, प्रचारक और कल्याणकारी कामों की निगरानी इस संस्था के पास है। सभी स्थानीय, जिला और प्रदेश की अमारत का सिस्टम इस संस्था की निगरानी में चलता है। इस संस्था के तहत कई दफ्तर और निगरानियाँ हैं, जिनमें से हर निगरानी का उच्च अधिकारी "नाज़िर" कहलाता है, जैसे नाज़िर शिक्षा, नाज़िर सलाह व इर्शाद, नाज़िर प्रचार व प्रसार, नाज़िर बैत अल माल आय और खर्च, नाज़िर आम मामलों आदि। और पूरी संस्था के निगरानीकर्ता "नाज़िर-ए-आला" कहलाते हैं।

हज़रत खलीफा-ए-मसीह द्वितीय रज़ियल्लाहु अन्हु का तरीका यह था कि वे रोज़मर्रा के प्रशासनिक मामलों में नाज़िरों को बुलाकर सीधे निर्देश देते थे और उनके काम की खुद निगरानी करते थे। इसके अलावा, जमाअती प्रशिक्षण के लिए कभी-कभी पब्लिक भाषणों में भी नाज़िरों को इस प्रकार मार्गदर्शन करते थे कि जमाअत भी सिस्ला के प्रशासनिक तरीके से परिचित हो जाए और आने वाले समय में सिस्ला को प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की सहायता मिल सके।

टीम की निगरानी और कार्यकुशलता प्रशासन के प्रमुख के रूप में आप जहां सिद्धांतात्मक और बारीकी से मार्गदर्शन करते थे, वहीं समय-समय पर काम की निगरानी भी करते रहते थे। कभी सख्ती और कभी नरमी के साथ, कभी कठोर निगरानी और कभी दिल छू लेने वाले क्षमा के साथ प्रबंधकों और कार्यकर्ताओं की सुधार करते रहते थे। उनके द्वारा किया गया दया और माफी का तरीका बहुत प्यारा होता था और कई गलतियों को नजरअंदाज कर

दिया जाता था। लेकिन जब सख्ती की आवश्यकता होती, तो वे बारीकी से प्रशासनिक कमजोरियों को ढूंढते और बाहर निकालते।

तहरीक-ए-जदीद अंजुमन अहमदीया

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 1934 में विदेशों में इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए एक नई माली तहरीक "तहरीक जदीद" की शुरुआत की थी। इस तहरीक के चंदे से एकत्रित धन और वाकिफीन-ए-जिंदगी आदि के प्रबंध और विदेशों में प्रचार कार्य की निगरानी के लिए अंजुमन तहरीक जदीद स्थापित की गई। इस संस्था के तहत भी विभिन्न क्षेत्र होते हैं और हर क्षेत्र का प्रमुख "वकील" कहलाता है, जैसे वकील तालीम, वकील तबशीर, वकील माल आदि। और इस संस्था के निगरानीकर्ता "वकील-ए-आला" कहलाते हैं।

सामिन! तहरीक जदीद का उल्लेख करते हुए, मज्लिस-अहरार का संक्षिप्त उल्लेख भी उचित प्रतीत होता है।

अहरार ने 1934 में जमाअत का विरोध किया और पूरे भारत में मुसलमानों को भड़काया, और जमाअत के खिलाफ़ ऐसी अशांति फैलाई कि अलामान-उल-हफीज़। मज्लिस अहरार ने ऐलान किया कि:

★ "हमने एक साल के लिए यह वादा किया है कि न तो हम चमारों को, न हिंदुओं को, न सिखों को, न ईसाइयों को प्रचार करेंगे और न उनके पास जाएंगे, केवल मुरजाईयत का समाप्ति करेंगे।"

अहरारियों ने जमाअत पर ऐसे-ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए जिनसे मुसलमानों को धोखा दिया जा सके कि जमाअत अहमदिया इस्लाम और देश की शुभचिंतक नहीं है।

सैयदना हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हो ने बहुत ही धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ संकल्प के साथ उनके सभी बेतुके आरोपों का जवाब दिया और उन्हें मुबाहिला (ईश्वरीय निर्णय के लिए प्रार्थना की चुनौती) के लिए बुलाया ताकि सत्य और असत्य में अंतर स्पष्ट हो जाए, लेकिन उन्होंने इससे बचने का रास्ता अपनाया।

अहरारियों का मुबाहिला से बचना इतना स्पष्ट और प्रमुख था कि यह उनकी कमजोर नस बन गई, जिसे छेड़ते हुए एक प्रसिद्ध पत्रकार ने लिखा: "मैं मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद नहीं हूँ, जिसके मुबाहिला की बात सुनते ही अहरार के नेताओं के शरीर में कंपन होने लगता है।"

सैयदना हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हो ने जमाअत को तसल्ली देते हुए फ़रमाया:

"तुम अहरार के फितने से मत घबराओ। मैं उनकी हार को उनके करीब आते देख रहा हूँ।"

एक तरफ मज्लिस-ए-अहरार जमाअत को समाप्त करने के दावे कर रही थी, दूसरी तरफ इस्लाम का यह सच्चा योद्धा इस्लाम को दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचाने में अपना तन, मन, धन सब कुछ न्योछावर कर चुका था। तहरीक-ए-जदीद की सफलता का उल्लेख करते हुए हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हो फ़रमाते हैं:

"इस दौरान तहरीक-ए-जदीद के तहत हमारे प्रचारक जापान में गए। तहरीक-ए-जदीद के तहत चीन में प्रचारक गए, तहरीक-ए-जदीद के तहत सुमात्रा और जावा में प्रचारक गए और इस तहरीक के तहत, अल्लाह के फज़ल से, स्पेन, इटली, हंगरी, पोलैंड, अल्बानिया, यूगोस्लाविया और अमेरिका में प्रचारक गए और अफ्रीका के कुछ तटों पर भी इस तहरीक के तहत प्रचारक गए, और इन प्रचारकों के माध्यम से अल्लाह के फज़ल से हजारों लोग अहमदिया जमाअत में शामिल हुए।"

(अल्-फज़ल, 28 नवंबर 1944)

और आज, अल्लाह के फज़ल से, अहमदियत का पौधा दो सौ से अधिक देशों में लग चुका है। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हो की भविष्यवाणी के अनुसार, बाद में अहरारियों को भारी अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ा। सभी ने उन्हें इस्लाम का गद्दार करार दिया। उनके अपने ही लोगों ने उनके बारे में निम्नलिखित शेर लिखे:

"अल्लाह के कानून की पहचान से बेखबर

इस्लाम, ईमान और अहसान से बेखबर नबी की प्रतिष्ठा के रक्षकों से बेखबर काफिरों से मेलजोल, मुसलमानों से बेखबर और इस पर यह दावा कि वे इस्लाम के अहरार हैं अहरार कहाँ हैं? ये इस्लाम के गद्दार हैं। पंजाब के अहरार इस्लाम के गद्दार हैं।"

अंजुमन अहमदिया वक्फ़-ए-जदीद

सैयदना हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हो की एक महान उपलब्धि वक्फ़-ए-जदीद का शुभारंभ है। प्रारंभ में यह तहरीक केवल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए थी, लेकिन बाद में हज़रत खलीफ़तुल मसीह IV रहमहुल्लाह ने इसे पूरे विश्व के लिए विस्तारित कर दिया। वक्फ़-ए-जदीद की स्थापना का मूल उद्देश्य ग्रामीण जमाअतों का प्रशिक्षण और सुधार था ताकि उन्हें पतन से निकालकर पुनः प्रगति की ओर मोड़ा जा सके।

इसके अत्यंत मधुर परिणाम प्रकट हुए। संक्षेप में, प्रशिक्षकों और प्रचारकों के माध्यम से धार्मिक शिक्षा, प्रशिक्षण, और क़ुरआन को सीखने और सिखाने का ऐसा कार्य प्रारंभ हुआ कि संपूर्ण जमाअत अत्यंत मजबूत, संगठित, और एकजुट हो गई। इस तहरीक से एकत्रित किए गए चंदे के प्रबंधन और शिक्षा-प्रशिक्षण के लिए नियुक्त प्रशिक्षकों की देखरेख हेतु एक अलग संगठन "वक्फ़-ए-जदीद अंजुमन अहमदिया" की स्थापना की गई। इस अंजुमन के अंतर्गत विभिन्न विभाग स्थापित किए गए, और प्रत्येक विभाग के प्रमुख को "नाज़िम" कहा जाता है।

निज़ाम-ए-अमारत

सदर अंजुमन अहमदिया की व्यवस्था को पूर्ण करने के साथ-साथ, हज़रत खलीफ़तुल मसीह II रज़ियल्लाहु अन्हो ने हर स्थान पर औपचारिक अमारत प्रणाली लागू की और अमीर की आज्ञापालन की भावना को जमाअत के संगठन में बहुत प्रयास और मेहनत से प्रचलित किया। इस्लाम ने अमारत का जो सिद्धांत स्थापित किया है, उससे आप पूरी तरह परिचित थे और इसके प्रत्येक पहलू पर आपकी गहरी दृष्टि थी। आपने इस विषय पर जमाअत को बहुमूल्य निर्देश दिए और अमारत के पद को जमाअत के सदस्यों के मन में अच्छी तरह स्थापित करने का प्रयास किया।

मज्लिस-ए-शूरा (मज्लिस-ए-मशावरत)

1922 में, हज़रत खलीफ़तुल मसीह II रज़ियल्लाहु अन्हो ने पहली बार वार्षिक मज्लिस-ए-मशावरत की औपचारिक प्रणाली स्थापित की। 1922 की मज्लिस-ए-मशावरत अहमदिया जमाअत के इतिहास में विशेष महत्व रखती है, विशेष रूप से हज़रत खलीफ़तुल मसीह II रज़ियल्लाहु अन्हो का उद्घाटन भाषण, जिसमें आपने मज्लिस-ए-शूरा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए इस्लामी परामर्श प्रणाली, शूरा के शिष्टाचार, मतदाता के कर्तव्य, एजेंडे पर विचार की विधि, और शूरा के निर्णयों और उनकी स्थिति को स्पष्ट किया।

आपका यह उद्घाटन भाषण अहमदिया जमाअत की शूरा प्रणाली के लिए निस्संदेह एक चार्टर की तरह है। 1922 से 1965 तक, यह संस्था सीधे हज़रत खलीफ़तुल मसीह II रज़ियल्लाहु अन्हो की निगरानी और प्रशिक्षण में विकसित होती रही। आज हम जो व्यवस्था देखते हैं, उसके प्रत्येक पहलू में हज़रत खलीफ़तुल मसीह II रज़ियल्लाहु अन्हो की महान सोच, नेतृत्व, और वर्षों की कड़ी मेहनत, निगरानी, और ईमानदारी से की गई प्रार्थनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

सामइन्! ज़ेदी तन्ज़ीमों का क़याम हुज़ूर की ज़बरदस्त तन्ज़ीमी सलाहियत का सुबूत है। सैयदना हज़रत ख़लीफ़तुल-मसीह-उस्सानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरी जमाअत को एक धागे में पिरोने, एक-दूसरे से बाँधे रखने और उन्हें अमल के साँचे में ढालने के लिए ज़ेदी तन्ज़ीमों का क़याम अमल में लाया। 1923 में

लज्ना इमाए अल्लाह, 1935 में ख़ुद्दामुल-अहमदिय्या और 1940 में मज्लिस अंसारुल्लाह की तन्ज़ीम आपने क़ायम फरमाई।

सबसे पहले मैं लज्ना इमाए अल्लाह का मुख़्तसर तज़किरा करता हूँ। अहमदी औरतों ने आपकी क़यादत में तरक़्क़ी की जो मनाज़िल तय कीं, उसकी तफ़्सील बड़ी दिलचस्प और अहले-इस्लाम के लिए बहुत ही होसला-अफ़ज़ा है। औरतों के ख़ुसूसी तालीमी इदारों का क़याम, जामिया नुसरत के ज़रिए कॉलेज की आला तालीम का इंतिज़ाम, जिसमें दीनी तरबियत का पहलू बहुत नुमायाँ था। फिर लज्ना इमाए अल्लाह की तन्ज़ीम के ज़रिए मुख़्तलिफ़ दस्तकारी की तरबियत, औरतों की अलैहदा खेलों का इंतिज़ाम, उनमें मुबाहिसों और तक़ारीर का ज़ौक़-ओ-शौक़ पैदा करना, मज़मून निगारी की तरफ़ उन्हें तवज्जो दिलाना, उनके लिए अलैहदा अख़बारों और रिसालों का इजरा और जलसा सालाना में औरतों के अलैहदा इजलास जिनमें ख़वातीन मुक़र्ररीन का ख़वातीन को ख़ुद ख़िताब करना। हर क़िस्म की तालीमी सहूलतें इस रंग में मुहैया करना कि ग़रीब से ग़रीब अहमदी बच्ची भी कम-अज़-कम बुनियादी तालीम से महरूम न रहे।

ख़ुलासा-ए-क़लाम यह कि अपने बावन साला दौर-ए-ख़िलाफ़त में आपने हिंदुस्तान की पसमान्दा औरत को अदना मक़ाम से उठा कर एक ऐसे बुलंद मक़ाम पर फाइज़ कर दिया जिसे दुनिया के सामने इस्लाम की अज़मत के नमूने के तौर पर पेश किया जा सकता है और बाज़ उमूर में वह दुनिया के इंतिहाई तरक़्क़ी-याफ़्ता और आज़ाद ममालिक की औरतों के लिए भी एक मिसाल बन गई। अहमदी मस्तूरात की आलमी तन्ज़ीम लज्ना इमाए अल्लाह ने आपकी अज़ीम-उश-शान क़यादत में कारहाए-नुमायाँ सरअंजाम दिए। ग़ैर भी इस तन्ज़ीम की हुस्न-ए-कारकरदगी से मुतास्सिर हुए बिना न रह सके।

अख़बार "तन्ज़ीम" 28 दिसंबर 1926 लिखता है:

"लज्ना इमाए अल्लाह क़ादियान अहमदिया ख़वातीन की अंजुमन का नाम है। इस अंजुमन के मातहत हर जगह औरतों की इस्लाही मज्लिसें क़ायम की गई हैं। और इस तरह हर वह तहरीक जो मर्दों की तरफ़ से उठती है, ख़वातीन की ताईद से कामयाब बनाई जाती है। इस अंजुमन ने समस्त ख़वातीन को सिलसिला के मक़ासिद के साथ अमली तौर पर वाबस्ता कर दिया है। औरतों का ईमान मर्दों की निस्बत ज़्यादा मुख़लिस और मरबूत होता है। औरतें मज़हबी जोश को मर्दों की निस्बत ज़्यादा महफूज़ रख सकती हैं। लज्ना इमाए अल्लाह की जिस क़दर कारगुज़ारियाँ अख़बार में छप रही हैं, उनसे मालूम होता है कि अहमदियों की आइन्दा नसलें मौजूदा की निस्बत ज़्यादा मज़बूत और पुरजोश होंगी। और अहमदी औरतें इस चमन को ताज़ा-दम रखेंगी।"

इसी तरह लज्ना के माहनामा "मिसबाह" को पढ़कर एक आर्य समाजी अख़बार "तेज" के एडिटर ने लिखा:

"मेरे ख़याल में यह अख़बार इस क़ाबिल है कि हर एक आर्य समाजी इसे देखे। इसके मुताला से उन्हें अहमदी औरतों के मुतालिक जो ग़लतफ़हमी है कि वह पर्दे के अंदर बंद रहती हैं, इस लिए कुछ काम नहीं करतीं, फ़ौरन दूर हो जाएगी और उन्हें मालूम हो जाएगा कि उनमें मज़हबी इख़लास और तबलीग़ी जोश किस क़दर है।"

मज्लिस ख़ुद्दामुल-अहमदिय्या:

1938 में इस मज्लिस का क़याम अमल में आया। मज्लिस के काम को अहसन तरीक़े पर चलाने के लिए इस तन्ज़ीम को मुख़्तलिफ़ शोबों में तक़सीम किया गया। मसलन: एतमाद, तजनीद, माल, तालीम, तरबियत, इस्लाह-ओ-इर्शाद, तहरीक-ए-जदीद, ख़िदमत-ए-खल्क़, सेहत जिस्मानी, वक़ार-ए-अमल, सनअत-ओ-तिजारत, इशाअत, अत्फ़ाल। शोबा-ए-एतमाद के इंचार्ज को मुअतमद और बाकी शोबों में से हर शोबा के इंचार्ज को महतिम्म कहा जाता है। हज़रत ख़लीफ़तुल-मसीह-उस्सानी रज़ियल्लाहु अन्हु इन शोबों के मुतालिक़ ख़ुद्दाम को वक़्तन फ़वक़्तन नहायत मुफ़ीद हिदायात से नवाजते रहते। हुज़ूर के वह अरशादात-ए-आलिया "मिशअल-ए-राह" के नाम से एक ज़ख़ीम किताब की शक्ल में तिब्ब हो चुकी है।

मज्लिस अत्फ़ालुल-अहमदिय्या:

जुलाई 1940 में सैयदना हज़रत ख़लीफ़तुल-मसीह-उस्सानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मज्लिस ख़ुद्दामुल-अहमदिय्या को हुक्म दिया कि एक हफ़्ते के अंदर-अंदर आठ साल से पंद्रह साल की उम्र के बच्चों को मुनज़्ज़म करें और अत्फ़ालुल-अहमदिय्या के नाम से इनकी जमाअत क़ायम करें क्योंकि यह बच्चे दरअस्ल मज्लिस ख़ुद्दामुल-अहमदिय्या की नरसरी हैं। आगे चलकर इन्हीं बच्चों ने मज्लिस के काम संभालने हैं। इस लिए शुरू से ही इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए।

मज्लिस आँसारुल्लाह अल्लाह:

1940 में, हुज़ूर रज़ियल्लाहु अन्हो ने मज्लिस आँसारुल्लाह अल्लाह (मज्लिसे-अंसरुल्लाह) की स्थापना की और फ़रमाया कि इस संगठन का मकसद यह है कि उम्र के उस हिस्से में, जब इंसान आमतौर पर कर्मों में सुस्ती करने लगता है, वह दीन के कामों में सुस्त न हो और खुद को बेकार या निष्क्रिय न समझे।

इन संगठनों ने जहां प्रशासनिक और प्रशिक्षण के मामलों में अहम योगदान दिया, वहीं बौद्धिक क्षेत्र में भी इनका रिकॉर्ड काबिले-रश्क (ईर्ष्या करने योग्य) है। इन संगठनों की सफलता और शानदार परिणाम इतने स्पष्ट थे कि विरोधी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके।

इसी संदर्भ में, जमाअत अहमदिया की मुखालिफत (विरोध) में मशहूर और बदनाम संगठन मज्लिस अहरार (मज्लिस-ए-अहरार) के अखबार ज़मज़म (ज़मज़म) ने जमाअत की इस अनुशासित व्यवस्था के बारे में अफसोस और निराशा के साथ लिखा:

"एक हम हैं कि हमारी कोई भी संगठन नहीं, और एक वे हैं जिनकी संगठन-दर-संगठन की व्यवस्था है। एक हम हैं कि बिखरे हुए और परेशान हैं, और एक वे हैं जो सख्त अनुशासित और संगठित हैं। एक अहमदियत का दायरा है, जिसमें छोटा-बड़ा, स्त्री-पुरुष, बच्चा-बूढ़ा, हर अहमदी नबूवत (पैगंबर के मिशन) के केंद्र पर जमा और संगठित है। लेकिन संगठित रहने की आवश्यकता और इसका महत्व देखिए कि इतनी व्यवस्थित संगठन के बावजूद, इस व्यापक व्यवस्था के भीतर और भी छोटे-छोटे दायरे बनाकर हर सदस्य को इस तरह जोड़ा गया है कि वह हिल भी नहीं सकता। महिलाओं के लिए एक अलग संगठनलज्ना ईमाल्लाह (लजनातु इमा-अल्लाह) है, जिसका एक स्वतंत्र प्रशासनिक ढांचा है और इसका वार्षिक सम्मेलन भी अलग से होता है। खुद्दामुल अहमदिया युवाओं का एक अलग संगठन है, जिसमें 15 से 40 साल तक के हर सदस्य का शामिल होना अनिवार्य है।

40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए एक अलग संगठन आँसारुल्लाह है, जिसमें सर चौधरी मुहम्मद जफरुल्लाह खान तक शामिल हैं। मैं इन हालात में मुसलमानों से सिर्फ इतना पूछता हूँ कि क्या अभी भी जागने, उठने और संगठित होने का समय नहीं आया? क्या तुमने इन कई मोर्चों के मुकाबले में कोई एक भी मोर्चा बनाया? विरोधियों ने तो महिलाओं तक को संघर्ष के मैदान में उतार दिया है... मेरे नजरिए में हमारी जिल्लत (अपमान) और पराजय का सबसे बड़ा कारण यही गलत समझी जाने वाली प्रतिष्ठा है।"

(ज़मज़म, लाहौर, 23 जनवरी 1945, संदर्भ: अल्-फज़ल, 18 अप्रैल 1945)

सैयदना हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के गुणों पर एक बाहरी राय:

अब अंत में, सैयदना हज़रत मुस्लेह मौऊदज़ियल्लाहु अन्हो के श्रेष्ठ गुणों पर बाहरी लोगों की राय में से एक प्रस्तुत करके मैं अपनी तकरीर समाप्त करूँगा।

मौलाना गुलाम रसूल मेहर, जो एक पत्रकार और इतिहासकार थे और कई अवसरों पर हुजूर रज़ियल्लाहु अन्हो की मार्गदर्शन में सेवा करने का

सौभाग्य प्राप्त कर चुके थे, वे लिखते हैं:

"आप लोगों की किसी भी किताब में इस महान शख्सियत के कार्यों की संपूर्ण झलक नहीं मिलती। हमने उन्हें करीब से देखा है, कई बार मुलाकात की है और निजी चर्चाएँ भी की हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए तो उनका संपूर्ण अस्तित्व त्याग और बलिदान का प्रतीक था।

एक बार मुझे रातों-रात कादियान जाकर हज़रत साहब से परामर्श करना पड़ा। वह दृश्य आज भी मेरी आँखों के सामने है। उनके दिल में मानवता के लिए बहुत दर्द था, और जब भी मुस्लिम समुदाय के सुधार और भलाई का कोई मसला सामने आता, उनकी उपयोगी सलाहें हमें हौसला देती थीं।

ऐसे मौकों पर उनकी हर बात राष्ट्रीय दर्द से भरी होती थी। मैंने उनमें किसी भी प्रकार का संप्रदायिक भेदभाव नहीं देखा।

मिर्ज़ा साहब अद्भुत बुद्धिमान थे। मैंने भारत और पाकिस्तान में कोई ऐसा धार्मिक या राजनीतिक नेता नहीं देखा जिसका दिमाग राजनीतिक रणनीतियों में इतना तेज़ काम करता हो जितना कि मिर्ज़ा साहब का। स्पष्ट योजनाएँ, व्यावहारिक समाधान और फिर सही दिशा में कार्यान्वयन—यही उनकी विशेषताएँ थीं।

अफसोस, मुसलमानों ने मिर्ज़ा साहब की कद्र नहीं की। विरोध की आँधियों के बावजूद, मैंने मिर्ज़ा साहब को कभी निराश या हताश नहीं देखा। उनके दिल की शमा (दीपक) हमेशा रौशन रहती थी। हम जब हताश और निराश होकर उनसे मिलने जाते, और जब उनके कमरे से बाहर निकलते तो ऐसा महसूस होता कि निराशा के बादल छँट चुके हैं और सफलता हमारे सामने है।

वे मजबूत तर्क देते, व्यावहारिक समाधान सुझाते और फिर केवल सुझाव देने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि खुद सहयोग और हर प्रकार के बलिदान की पेशकश करते, जिससे हमारे भीतर साहस और हिम्मत पैदा हो जाती।"

(इक़बाल और अहमदियत, पृष्ठ 502)

दुआ: अल्लाह तआला हमें सैयदना हज़रत मुस्लेह मौऊदज़ियल्लाहु अन्हो की शिक्षाओं और निर्देशों के अनुसार अपनी ज़िन्दगी को ढालने की तौफीक़ दे। आमीन।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

★ ★ ★

पृष्ठ 01 में प्रकाशित भविष्यवाणी के मूल शब्दों का अनुवाद

सय्यदना हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब मसीहे मौऊद व महदी मौऊद अलैहिस्सलाम "मुस्लेह मौऊद" (अर्थात् दूसरे ख़लीफ़ा एवं सपुत्र हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब) के बारे में अज़ीमुश्शान भविष्यवाणी (महत्त्वपूर्ण भविष्यवाणी) का वर्णन करते हुए फ़रमाते हैं ख़ुदाए रहीम व करीम ने जो प्रत्येक चीज़ पर क़ादिर है जल्ला शानोहू व अ़ज्ज़ इस्मुहू - जिसकी शान प्रतापी है और उसका नाम इज्ज़त वाला है। मुझको अपने इल्हाम (वाणी) से संबोधित करके फ़र्माया कि मैं तुझे एक रहमत (कृपा) का निशान देता हूँ उसी के अनुसार जो तूने मुझसे मांगा। अत: मैंने तेरी वेदनाओं को सुना और तेरी दुआओं को अपनी रहमत से क़बूलियत (मंज़ूरी) की जगह दी और तेरे सफ़र (होशियारपुर और लुधियाना) को तेरे लिए मुबारक कर दिया। अत: क़ुदरत (शक्ति) और रहमत (कृपा) और क़ुर्बत (निकटता) का निशान तुझे दिया जाता है। फ़ज़ल और एहसान (कृपा व उपकार) का निशान दिया जाता है और फ़तह और ज़फ़र (सफलता और विजय) की चाबी तुझे मिलती है। हे मुज़फ्फ़र (विजेता)! तुझ पर सलाम। ख़ुदा ने यह कहा ताकि वह जो क़बरों में दबे पड़े हैं बाहर आएं और इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा और कलामुल्लाह (क़ुर्आन) की श्रेष्ठता लोगों पर प्रकट हो और ताकि सत्य अपनी पूरी बर्कतों के साथ आ जाए और बातिल (झूठ) अपनी पूरी बुराईयों के साथ भाग जाए। अत: लोग समझें कि मैं क़ादिर (सामर्थ्यवान) हूँ, जो चाहता हूँ करता हूँ। अत: वे विश्वास कर लें कि मैं तेरे साथ हूँ और उन्हें जो ख़ुदा के वजूद पर ईमान नहीं लाते और ख़ुदा और ख़ुदा के धर्म और उसकी किताब और उसके पवित्र रसूल मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को इन्कार और तकज़ीब (विरोध और झूठ) की दृष्टि से देखते हैं, एक खुली निशानी मिले और मुजरिमों की राह प्रकट हो जाए। अत: तुझे खुश्खबरी हो कि एक वजीह (प्रतापी) और पवित्र लड़का तुझे दिया जाएगा। एक ज़की ग़ुलाम (पवित्र लड़का) तुझे मिलेगा। वह लड़का तेरे ही बीज से तेरी ही सन्तान व कुल का होगा। सुन्दर, पवित्र लड़का, तुम्हारा मेहमान आता है उसका नाम अन्मवाईल और बशीर भी है। उसको मुकद्दस रूह (पवित्र आत्मा) दी गई है और वह अशुद्धता से पवित्र है। वह अल्लाह का नूर (प्रकाश) है। मुबारक वह जो आसमान से आता है। उसके साथ फ़ज़ल है, जो उसके आने के साथ आयेगा। वह साहिबे शिकोह (प्रतापी) और अज़मत (महान) और दौलत (धनी) होगा। वह दुनिया में आयेगा और अपने मसीही नफ़स अर्थात् (मसीही शक्ति) और रूहुल हक़ की बर्कत से बहुतों को बीमारियों से साफ़ करेगा। वह कलिमतुल्लाह (अर्थात् एकेश्वरवाद का प्रतीक) है। क्योंकि ख़ुदा की रहमत (कृपा) व ग़य्यूरी (स्वाभिमान) ने उसे अपने कलिमा तम्जीद (बुज़ुर्गी व शान) से भेजा है। वह सख़्त ज़हीन व फ़हीम (बुद्धिमान एवं सूझवान) होगा और दिल का हलीम (शांत स्वभाव) और उलूमे ज़ाहिरी व बातिनी (अर्थात् सांसारिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान) से पुर किया जाएगा। वह तीन को चार करने वाला होगा (इसके अर्थ समझ में नहीं आए) दुशंब: (सोमवार) है मुबारक दौशम्बह (अर्थात् सोमवार) फ़र्ज़न्द दिल बंद गरामी अर्जुमन्द (सम्मान जनक, मनमोहक श्रेष्ठ सुपुत्र)।

مَظْهَرُ الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ ۔ مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْعُلَاءِ كَاَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

मज़्हरूल् अव्वले वल् आख़िरि, मज़्हरूल् ह़क्क़े वल् अलाऐ कअन्नल्लाह नज़्ज़ल मिनस्समाइ

अर्थात् वह उस ख़ुदा का प्रकाश है जो हमेशा से है और सदैव रहने वाला है वह उस ख़ुदा का प्रकाश है जो सच है और महान है (उसका आना ऐसा ही है) जैसा कि अल्लाह स्वंय आकाश से उतर आया हो। जिसका आना बहुत मुबारक और ख़ुदा के प्रताप के प्रकट होने का कारण होगा। नूर आता है नूर। जिसको खूदा ने अपनी इच्छा के इत्र से सुगंधित किया है। हम उसमें अपनी आत्मा डालेंगे। ख़ुदा का साया उसके सिर पर होगा। वह अतिशीघ्र बढ़ेगा और असीरों (गुलामों) की रुस्तगारी (मुक्ति) का कारण होगा और ज़मीन के किनारों तक शोहरत(प्रसिद्ध) पाएगा और क़ौमें (जातियां) उससे बरकत पाऐंगी। तब अपने नफ़सी नुक़ता आसमान अर्थात् ख़ुदा की तरफ उठाया जायेगा।

व काना अम्रम् मक़्ज़िय्या

और यह काम पूरा होकर रहने वाला है।

(विज्ञापन 20 फ़रवरी 1886, पृ. 3)

★ ★ ★

इस्लाम और जमाअत अहमदिय्या के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें

नूरुल इस्लाम नं. (टोल फ्री सेवा) :

1800 3010 2131

(शुक्रवार को छोड़ कर सभी दिन सुबह 9:00 बजे से रात 11:00 बजे तक)

Web.www.alislam.org

www.ahmadiyyamuslimjamaat.in

EDITOR
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Editor : +91-9915379255
e -mail : badarqadian@gmail.com
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN PUNHIN/2016/70553
Weekly BADAR Qadian
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA
POSTAL REG. No.GDP 45/ 2023-2025 Vol. 09 Thursday 13-20 february 2025 Issue No. 7-8

MANAGER :
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mobile : +91-9915379255
e -mail:managerbadrqnd@gmail.com

कुछ ने बहुत लंबी दूरी तय करके यहाँ पहुँचे थे।

सिरैक्यूज़ से आने वालों ने 356 मील

- क्लीवलैंड से आने वालों ने 362 मील
- शार्लट से आने वालों ने 422 मील
- बोस्टन से आने वालों ने 427 मील
- जॉर्जिया से आने वालों ने 661 मील
- सिएटल से आने वालों ने 2731 मील
- सैक्रामेंटो से आने वालों ने 2751 मील का लंबा सफर तय किया था ताकि वे हज़ूर-ए-अनवर से मुलाकात कर सकें।

जमाअत के सदस्यों के अनुभव

आज भी मुलाकात करने वालों में कई ऐसे सदस्य और परिवार थे, जिनकी यह पहली बार हज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ से मुलाकात थी।

एक दोस्त, मोसिन बेग साहब , जो जमाअत सैक्रामेंटो से 2751 मील का सफर तय करके आए थे, जब मुलाकात के बाद बाहर आए तो उनकी आँखों में आँसू थे। उन्होंने कहा, "मेरे जज़्बात को बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मेरे वालिद साहब का बचपन में इंतेकाल हो गया था। पूरी ज़िंदगी उनकी कमी महसूस होती रही, दिल में एक खालीपन था। लेकिन आज अपने प्यारे आका से मिलने, अपने रूहानी वालिद से मिलने के बाद वह खालीपन दूर हो गया और मेरा दिल सुकून से भर गया है। हज़ूर के चेहरे पर सिर्फ नूर ही नूर है। मैं अपने दिल में असीम खुशी महसूस कर रहा हूँ।"

फारूक़ ख़ान साहब ने बताया, "जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे तुरंत सुकून मिला और मेरी सारी परेशानियाँ और मुश्किलें दूर हो गईं। मुझे दिली इत्मीनान महसूस हुआ।"

ताहिर नसीम साहब , जो बाल्टीमोर (Baltimore) से आए थे, उन्होंने कहा, "आज पहली बार ज़िंदगी में हज़ूर-ए-अनवर से मुलाकात हुई। मेरा दिल सुकून से भर गया है। जैसे ही हज़ूर के चेहरे पर नज़र पड़ी, दिल को सुकून मिला। उनके चेहरे पर मैंने सिर्फ नूर ही नूर देखा। मैं बहुत कुछ सोचकर गया था, लेकिन सब कुछ भूल गया। बस मैंने दुआ की दरख्वास्त की। हज़ूर ने हमें बहुत सी दुआएँ दीं और मेरे बच्चे को प्यार से तबर्रुक भी दिया।"

आशिर अहमद साहब ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, "मैं पहली बार हज़ूर-ए-अनवर से मिला हूँ। उनका चेहरा बहुत ही नूरानी है। हम श्रीलंका से यहाँ आए थे। हज़ूर ने बड़ी शफकत से हमारे काम के बारे में पूछा और हमें दुआएँ दीं।"

एक नौ मुबाईन दोस्त, हज़ूर बख्श हादी साहब , जो सेंट्रल जर्सी से आए थे, उन्होंने कहा, "मैं नया अहमदी हूँ और पहली बार हज़ूर से मिला हूँ। मेरा दिल इस वक्त इतने जज़्बात से भरा हुआ है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पहले मैं शिया बन गया था, लेकिन वहाँ मुझे कोई सुकून नहीं मिला और मेरा दिल मुतमइन नहीं हुआ। फिर मैंने अहमदियों के साथ उठना-बैठना शुरू किया और दिल को सुकून मिला। आज हज़ूर-ए-अनवर से मुलाकात के बाद मैं खुलकर कहता हूँ कि यही सही रास्ता है और यही हक़ है।"

ज़ियाउर्रहमान साहब , जो पेनसिल्वेनिया से मुलाकात के लिए आए थे, जब बाहर निकले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह सिर्फ "अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र-अल्हम्दुलिल्लाह" कहे जा रहे थे। उन्होंने कहा, "हज़ूर-ए-अनवर ने फरमाया कि अब छोटे बेटे की भी शादी कर दो।" उनकी फैमिली इतनी खुश थी कि आपस में एक-दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे।

अब्दुल शकूर साहब , जो कोलंबस (Columbus) से आए थे, मुलाकात के बाद बेहद भावुक हो गए और रोने लगे। उन्होंने कहा, "आज मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना थी कि हज़ूर से मुलाकात हो, और अल्लाह ने आज यह पूरी कर दी। मैंने 13 साल नेपाल में गुजारे हैं और तीन साल पहले अमेरिका आया हूँ ।" उनकी पत्नी ने कहा, "हम इतने खुश हैं कि इसे बयान नहीं कर सकते। यह हमारी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हे थे। हज़ूर ने हमारे लिए दुआ भी की।"

ताहिर महमूद साहब, जो बाल्टीमोर से आए थे, उन्होंने कहा, "आज ज़िंदगी में पहली बार मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम कई दिनों से इस दिन का इंतेज़ार कर रहे थे। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें हज़ूर से मिलने का मौका मिला और उनकी इमामत में नमाज़ पढ़ने की भी तौफीक़ मिली। यह बहुत ही रूहानी माहौल था।"

हफीज़ अहमद साहब , जो रोचेस्टर (Rochester) से आए थे, उन्होंने अपने जज़्बात का इज़हार करते हुए कहा, "पाकिस्तान में मेरे खिलाफ़ मुकदमे थे। मैंने मलेशिया में बहुत मुश्किल हालात में पाँच साल गुज़ारे हैं, जिन्हें मैं बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन आज हज़ूर-ए-अनवर से मुलाकात के बाद मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो गईं और मुझे सुकून मिल गया। आज मैं बेहद खुश हूँ। हज़ूर मेरे सामने थे, मेरे साथ थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं हज़ूर से मिलकर आया हूँ। आज मैं बेहद सुकून में हूँ।"

मुलाकातों का यह सिलसिला 8:15 बजे तक जारी रहा। इसके बाद 8:30 बजे, हज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने "मस्जिद बैतुर्रहमान" में तशरीफ़ लाकर मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ाईं । नमाज़ के बाद हज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाह तआला अपने आवास पर तशरीफ़ ले गए।

हज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर "मस्जिद बैतुर्रहमान" तशरीफ़ लाए और नमाज़-ए-फज्र पढ़ाई। नमाज़ अदा करने के बाद हज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला अपने निवास स्थान पर तशरीफ़ ले गए।

सुबह हज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने दफ्तरी डाक का मुआयना किया और विभिन्न दफ्तरी कार्यों में व्यस्त रहे। आज जुम्मा मुबारक का दिन था। हज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की इमामत में नमाज़-ए-जुम्मा अदा करने के लिए मेरीलैंड (Maryland) की स्थानीय जमाअत के अलावा पूरे अमेरिका से अहबाब और परिवार लंबी दूरी तय करके पहुंचे थे।

मियामी (Miami) से आने वाले अहबाब ने 1078 मील, टुल्सा (Tulsa) से आने वाले 1220 मील, डलास (Dallas) से आने वाले 1342 मील और ह्यूस्टन (Houston) से आने वाले 1422 मील का सफर तय किया। टक्सन (Tucson) से आने वाले अहबाब ने 2280 मील और लॉस एंजेलेस (Los Angeles) से आने वाले अहबाब और परिवारों ने 2653 मील, सिएटल (Seattle) से आने वाले 2731 मील, जबकि सैक्रामेंटो (Sacramento) से आने वाले 2751 मील और सैन जोस (San Jose) से आने वाले 2843 मील की लंबी यात्रा तय कर अपने प्यारे आका की इमामत में नमाज़-ए-जुम्मा अदा करने पहुंचे थे।

इसके अलावा, पड़ोसी देशों मेक्सिको और पोर्टो रिको से आने वाले अहबाब ने भी अपने आका की इमामत में नमाज़-ए-जुम्मा अदा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। कनाडा से भी बड़ी संख्या में लोग नमाज़-ए-जुम्मा अदा करने के लिए मस्जिद बैतुर्रहमान पहुंचे थे।

नमाज़-ए-जुम्मा में हजारों जमाअत के लोग शामिल हुए।

★ ★ ★

शेष ..

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor:Shaikh Mujahid Ahmad